वार्षिक

रिपोर्ट 2015-16

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

ए-13, सैक्टर-1, नौएडा-201 301, जिला-गौतमबुद्धनगर (उ०प्र०)

वार्षिक रिपोर्ट

2015–2016

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

पोत परिवहन मंत्रालय

मुख्यालय : ए–13, सैक्टर–1, नौएडा–201 301 जिला– गौतमबुद्धनगर (उ0 प्र0)
दूरभाष सं0 : 0120–2544036, 2543972 ; फैक्स सं0 0120–2543973, 2521764
ई–मेल : iwainoi@nic.in,वेबसाइट : www.iwai.nic.in

प्राधिकरण के सदस्य (2015–16 के दौरान)

		दूरभाष सं.	फैक्स सं.
अध्यक्ष	**श्री अमिताभ वर्मा,** भा. प्र. से.	0120–2543972	0120–2543973
सदस्य	**डा.श्रीमती टी. कुमार,** भा. प्र. से. विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं पोत परिवहन मंत्रालय (16.11.2012 से 31.08.2015 तक)	011–23710140	011–23715195
	श्री संजीव रंजन, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं पोत परिवहन मंत्रालय (31.08.2015 से)	011–23710140	011–23715195
सदस्य	**अध्यक्ष,** कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट कोलकाता	033–22205370	033–22208226
सदस्य	**श्री सी. बी. सिंह** सलाहकार, पोत परिवहन मंत्रालय (05.05.2012 से 25.09.2015 तक)	011–23716619	011–23350648
सदस्य	**श्री आर. के. अग्रवाल,** संयुक्त सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय (09.05.2015 तक)		
सदस्य	**श्री रजत सच्चर,** सलाहकार, पोत परिवहन मंत्रालय (14.12.2015 से)	011–23716619	011–23350648
सदस्य	**श्री प्रवीर पाण्डेय,** भा.ले.प. एवं ले.से. सदस्य (वित्त), भा. अ. ज. प्रा. (22.02.2016 तक) उपाध्यक्ष, भा. अ. ज. प्रा. (23.02.2016 से)	0120–2544004	0120–2543976
सदस्य	**श्री आर. पी. खरे,** सदस्य (तकनीकी), भा. अ. ज. प्रा. (31.01.2016 तक)	0120–2521664	0120–2544041

अन्य विवरण

		दूरभाष सं.
सचिव	श्रीमती त. साई अमूथा देवी, भा.डा.एवं तार, वि. एवं ले.से.	0120–2544036
अंकेक्षक	भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक	011–23235793
बैंकर्स	सिंडीकेट बैंक परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001	011–23717573
	सिंडीकेट बैंक सैक्टर–18, नौएडा–201301	0120–2514381
	केनरा बैंक सैक्टर–1, नौएडा–201301	0120–2529163
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सैक्टर–2, नौएडा–201 301	0120–2511426

क्षेत्रीय कार्यालय

	दूरभाष सं.	फैक्स सं.
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण गायघाट, पोस्ट– गुलजारबाग, पटना–800007 (बिहार)	0612–2310026 0612–2310057 0612–2310028 0612–2310067 0612–2630100 (टर्मिनल)	0612–2310029
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण पी–78, गार्डन रीच रोड, कोलकाता– 700043(पश्चिम बंगाल)	033–24390393 033–24395577 033–24396055	033–24395570 033–24391710
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण पांडु पोर्ट काम्प्लैक्स, पांडु, गुवाहाटी– 781012 (असम)	0361–2570109 0361–2676925 0361–2676927 0361–2676929	0361–2570099 0361–2570055
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय जलमार्ग रोड, एन0 एच0 47 बाइपास, कन्नाडिकाडू मरदू, एर्नाकुलम – 682304 (केरल)	0484–2295064 0484–2389804	0484–2389445

उप–कार्यालय / ईकाई

	दूरभाष सं.	फैक्स सं.
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 360 / एफ / 44, नवाब यूसुफ रोड, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद– 211 006 (उ0 प्र0)	0532–2561151 0532–2560537	0532–2561152
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 52, द्वितीय तल, पटेल नगर, नदेसर, वाराणसी – 221 002 (उ0 प्र0)	0542–2505329	0542–2505329
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नवीन गांगुली रोड, दुर्गा स्थान (मंदिर घाट), बड़ी खंजरपुर, भागलपुर –821 001 (बिहार)	0641–2400651	0641–2400651
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ऑफिस बिल्डिंग संख्या–1, एफबीपी ऑफिस काम्प्लैक्स, पी0 ओ0– फरक्का बैरेज, जिला–मुर्शिदाबाद–742 212 (पश्चिम बंगाल)	03485–255809	03485–255809
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण फकीरतला, पी0 ओ0–महेशगंज, स्वरूपगंज, नादिया –741 315 (पश्चिम बंगाल)	09830508079	
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण दुर्गाबाड़ी रोड टिनियाली, ए. टी. रोड, नालियापूल, डिब्रूगढ़ – 786 001 (असम)	0373–2302540	
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण धुब्री टर्मिनल, फ्री इंडिया घाट, धुब्री–786 005	0366–2298111	
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण आई.डब्लू.टी. टर्मिनल सह ऑफिस कॉम्प्लेक्स, आश्रमम, नियर ईएसआई हॉस्पीटल, कोल्लम–691 002	0474–2766460	
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण परिसर सं.–191, प्रथम तल, बाया बाबा मठ लेन, यूनिट नं. 9, राधे कृष्णा मंदिर के निकट, भुवनेश्वर–751 022 (ओडिशा)	09437034763	
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण आईडब्लूएआईसब ऑफिस, भूतल, ब्लॉक– I, सिंचाई कार्यालय कॉम्प्लेक्स, गवर्नरपेट, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश– 520002	0866–2575123	

विषयसूची

1. अन्तर्देशीय जल परिवहन (अ.ज.प.) क्षेत्र– सामान्य सूचना 6
2. भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भा.अ.ज.प्रा.) की भूमिका 6
3. राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास 7
4. राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)–1 7
5. राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)–2 15
6. राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)–3 20
7. राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)–4 और 5 24
8. पारगमन और व्यापार पर भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल 25
9. जलीय सर्वेक्षण कार्यकलाप 26
10. राष्ट्रीय अन्तर्देशीय नौवहन संस्थान (निनी), पटना 40
11. 111 नए राष्ट्रीय जलमार्ग 43
12. भारत–म्यांमार कालादान मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन परियोजना 44
13. वर्ष के दौरान कार्गो की ढुलाई का विवरण 47
14. जलमार्ग विकास परियोजना 48
15. वित्तीय निष्पादन 58
16. प्राधिकरण में संघ सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन 62
17. कार्मिक और प्रशासन 62
18. तुलन पत्र 64
19. आय और व्यय 66
20. चालू दायित्व और प्रावधान 69
21. स्थायी परिसम्पत्तियों की अनुसूची 70
22. चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम 78
23. प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्चे 79
24. वेतन और भत्ते एवं अन्य स्टाफ लागतें 81
25. सामान्य एवं अन्य खर्चे 82
26. लेखाओं से संबंधित टिप्पणियाँ 83
27. भा.अ.ज.प्रा. लेखा नीतियाँ 90
28. भा.अ.ज.प्रा. के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अंकेक्षण रिपोर्ट 91
29. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अंकेक्षण रिपोर्ट में वार्षिक लेखाओं पर की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर 94

1. अन्तर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र (अ. ज. प.)–सामान्य सूचना

(i) रेलवे, राजमार्ग, सागर और तटीय नौवहन, अन्तर्देशीय जलमार्ग, पाइपलाइन और वायु मार्ग से बना परिवहन क्षेत्र किसी देश के आर्थिक विकास के लिए अहम अवसंरचना है। एक विकसित परिवहन प्रणाली, मल्टीमॉडल नेटवर्क में, परिवहन की ईष्टतम लागत को मामला दर मामला आधार पर सभी साधनों की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संभव बनाती है। इन गलियारों में, लागत प्रभावी, पर्यानुकूल और ईंधन दक्ष परिवहन साधन विशेषकर बल्क कार्गो, खतरनाक कार्गो और बड़े आकार के कार्गो जैसे तीन श्रेणियों के कार्गो की ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए तुलनात्मक रूप से बड़े आकार के नौचालन चैनल के साथ अन्तर्देशीय जलमार्गों का विकास किया जा सकता है। कुछ विकसित देशों (जैसे अमेरिका, चीन और अनेक यूरोपीय देशों) में अन्तर्देशीय जल परिवहन (अ.ज.प.) क्षेत्र का हिस्सा भारत की तुलना में काफी अधिक है, जिससे उन देशों की अर्थव्यवस्था में पूरक परिवहन साधन से काफी फायदा हुआ है।

(ii) भारत में अनेक नदियां, नहरें, संकरी खाड़ी और बैकवाटर हैं, जिन्हें लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल अन्तर्देशीय परिवहन साधन के रूप में उपयोग में लाने की काफी संभावनाएं हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक अन्तर्देशीय जल परिवहन (अ.ज.प.) को देश के विभिन्न भागों में परिवहन के महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रयोग किया गया था। हालांकि, सड़कों और रेलवे के तीव्र विकास देश में औद्योगिक विकास, सहित अनेक कारणों से अन्तर्देशीय जल परिवहन, इत्यादि के अनुरक्षण और विकास पर काफी कम ध्यान दिया गया जिसके कारण अनेक जलमार्ग, रेल और सड़क साधनों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से पीछे रह गए। आज भारत में अ.ज.प. क्षेत्र की महत्ता केवल कुछ क्षेत्रों में है जैसे–असम, गोवा, मुम्बई, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल और प्रायद्वीपीय भारत के कुछ छोटे क्षेत्र ।

(iii) भारत में अ.ज.प. क्षेत्र द्वारा वर्तमान में महसूस की जा रही परेशानियों में नदियों में अपर्याप्त मात्रा में बहाव होने के कारण निश्चित आकार के अ.ज.प. जलयानों के वर्ष भर प्रचालन के लिए आवश्यक गहराई और चौड़ाई वाले अपर्याप्त फेयरवे; कार्गो चढ़ाने और उतारने के लिए टर्मिनल अवसंरचना और उनके सड़क/रेल अवसंरचना के साथ सम्बद्धता; दिवस और रात्रि के दौरान सुरक्षित और निर्विघ्न नौचालन हेतु नौचालन सम्बंधी सहायताएं तथा अ.ज.प. जलयानों की कमी शामिल है। भारी मात्रा में अ.ज.प. आवाजाही हासिल करने के लिए अवसंरचना के सृजन (मुख्यतः सार्वजनिक निधिकरण द्वारा) पर मुख्य रूप से जोर देने के साथ–साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से अ.ज.प. बेरे को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

2. भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भा.अ.ज.प्रा.) की भूमिका

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भा.अ.ज.प्रा.) का गठन 27 अक्तूबर, 1986 को नौवहन और नौचालन के उद्देश्य से अन्तर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन के लिए किया गया था, देखें भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985।

भा.अ.ज.प्रा. अधिनियम, 1985 की धारा 14 के अनुसार भा.अ.ज.प्रा. को उन जलमार्गों के विकास और विनियमन करने के लिए अधिदेश है, जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 द्वारा कुल 111 जलमार्गों की घोषणा राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में की गई है।

इसके अलावा, भा.अ.ज.प्रा. भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल के तहत एक देश के अन्तर्देशीय जलयानों को दूसरे देश होकर पारगमन और व्यापार करने के लिए भारतीय सीमा के विनिर्दिष्ट जलमार्गों का भी विकास और अनुरक्षण कर रहा है तथा म्यांमार में कालादान मल्टीमॉडल परियोजना के विकास और अनुरक्षण में विदेश मंत्रालय का सहयोग कर रहा है।

अ.ज.प. क्षेत्र के समग्र विकास में भा.अ.ज.प्रा. की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इसे पर्यानुकूल, सस्ता और व्यवहार्य परिवहन साधन के रूप में विकसित होने की पूरी संभावना है, जिससे कि व्यापार, वाणिज्य, रोजगार सृजन, पर्यटन, इत्यादि के माध्यम से समाज के असंख्य लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।

3. राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास

नौवहन और नौचालन के लिए किसी जलमार्ग को व्यवहार्य बनाने हेतु तीन आधारभूत अवसंरचनाएं–(प) निश्चित आकार के अन्तर्देशीय जलयानों के प्रचालन हेतु पर्याप्त गहराई और चौड़ाई के साथ नौचालन चैनल, (पप) दिवस और रात्रि नौचालन के लिए नौचालन संबंधी सहायताएं और (पपप) सड़क /रेल सम्बद्धता के साथ माल/यात्री को चढ़ाने और उतारने सहित जलयानों की बर्थिंग मुहैया करने के लिए टर्मिनल।

4. राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)–1

हल्दिया (सागर) और इलाहाबाद के बीच (1620 कि.मी.) गंगा–भागीरथी–हुगली नदी प्रणाली की घोषणा राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.–1) के रूप में 1986 में की गई थी। तब से भा.अ.ज.प्रा. इसकी नाव्यता और विकास में सुधार के लिए तथा भा.अ.ज.प्रा. अधिनियम, 1985 (1985 का 82) में दी गई नौचालन सम्बंधी सहायताएं और टर्मिनल की सुविधाओं जैसे अन्य अवसंरचना के अनुरक्षण के लिए जलमार्ग पर विभिन्न प्रकार के विकासात्मक कार्य कर रहा है। वर्ष 2015–16 के दौरान रा.ज.–1 पर विकास और फेयरवे का अनुरक्षण, नौचालन सम्बंधी सहायताएं तथा टर्मिनल की सुविधाओं के लिए कराए गए महत्वपूर्ण कार्य के ब्यौरे निम्न हैं :

4.1 फेयरवे विकास :–

रा.ज.–1 पर सुगम और सुरक्षित नौचालन हेतु लक्षित गहराई और चौड़ाई के साथ फेयरवे का विकास/अनुरक्षण किया जाना है। यह कार्य केवल बंडालिंग और ड्रेजिंग जैसे नदी संरक्षण कार्य कराकर तथा रा.ज. –1 के त्रिवेणी–चुनार खण्ड (1226 कि.मी.) में नौचालन सम्बंधी सहायताएं मुहैया कराकर हासिल किया गया है। हल्दिया और त्रिवेणी के बीच का खण्ड (196 कि.मी.) ज्वारीय है तथा 3.0 मीटर से अधिक की न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) वार्षिक रूप से अनुरक्षित की जाती है। दिवस चैनल मार्किंग के अतिरिक्त भा.अ.ज.प्रा. चुनार–इलाहाबाद खण्ड में वर्तमान में फेयरवे विकास से सम्बंधित कोई कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि जल बहाव की गति निम्न होने के कारण इस खण्ड में बंडालिंग का कार्य काफी प्रभावी नहीं होता है। यातायात पर काफी दबाव पड़ने और जलमार्ग की मांग बढ़ने के कारण रा.ज.–1 के निचले खण्डों में वर्तमान में भा.अ.ज.प्रा. के रा.ज.–1 पर सीमित ड्रेजर हैं। कुछ महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्य जो रा.ज.–1 पर प्रगतिपरक है, उसकी सूची निम्न है :

वर्ष 2015–16 के दौरान, रा.ज.–1 के विकास और अनुरक्षण के लिए त्रिवेणी–राजमहल (395 कि.मी.) में 3900 मीटर और राजमहल–चुनार (827 कि.मी.) में 18,000 मीटर बंडालिंग कार्य किए गए। इसके अतिरिक्त, रा.ज.–1 के त्रिवेणी–राजमहल में 2.85 लाख मी^{3} और राजमहल–वाराणसी/चुनार खंड में 2.70 लाख मी.^{3} गाद भा.अ.ज.प्रा. के ड्रेजर द्वारा निकाली गई।

राष्ट्रीय जलमार्ग –1 पर लगाए गए बंडाल

राष्ट्रीय जलमार्ग –1 पर ड्रेजिंग का कार्य प्रगति में

रा.ज.–1 के गाजीपुर–वाराणसी खण्ड में गंगा नदी से हार्ड स्ट्रैटा को हटाने का कार्य वर्तमान में एक संविदा पर रखे गए एजेंसी द्वारा कराया जा रहा है तथा यह कार्य मार्च, 2017 तक पूरा किया जाना है। इस तरह के विशेष कार्य गंगा नदी में पहली बार कराया जा रहा है, जिससे रा.ज.–1 के प्रस्तावित खण्ड में जलयानों का सुगम नौचालन कम वर्षा वाले मौसम में भी किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय जलमार्ग –1 पर हार्ड स्ट्रैटा हटाने का कार्य प्रगति में

वर्ष 2015–16 के दौरान रा.ज.–1 के विभिन्न खण्डों में न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) का अनुरक्षण निम्न प्रकार से अनुरक्षित किया गया है :–

(क)	हल्दिया–फरक्का खण्ड	(560 कि0 मी0)	–	2.6 मी0 से 3.0 मी0
(ख)	फरक्का–बाढ़ खण्ड	(400 कि0 मी0)	–	2.1 मी0 से 2.5 मी0
(ग)	बाढ़–गाजीपुर खण्ड	(290 कि0 मी0)	–	1.6 मी0 से 2.0 मी0
(घ)	गाजीपुर–चुनार/इलाहाबाद	(370[1] कि0 मी0)	–	1.1 मी0 से 1.5 मी0

[1] चुनार–इलाहाबाद खण्ड (198 कि.मी.) में किसी प्रकार का नदी संरक्षण कार्य नहीं किया गया।

राष्ट्रीय जलमार्ग–1 होकर सैंड हेड्स (बंगाल की खाड़ी) से फरक्का तक एनटीपीसी के विद्युत संयंत्र हेतु कोयले की ढुलाई नवंबर, 2013 से की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान मेसर्स जिंदल आईटीएफ लि. द्वारा लगभग 1500 एमटी से 2000 एमटी क्षमता के 20 बार्जों के प्रयोग से लगभग 7.16 लाख टन कोयले की ढुलाई सफलतापूर्वक की गई है।

आयातित कोयले की ढुलाई

रा.ज.–1 होकर एनटीपीसी फरक्का के लिए कोयले की ढुलाई

रा.ज.–1 पर एनटीपीसी फरक्का में कोयले को उतारना

रा.ज.–1 पर ओडीसी ढुलाई

भा.अ.ज.प्रा. की रणनीतिक पहल के कारण अ.ज.प. साधन द्वारा कार्गो की ढुलाई में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका उदाहरण कार्गो की प्रकृति और आयतन में वृद्धि होना है और जिसमें राष्ट्रीय जलमार्ग–1 होकर वृहत आकार के कार्गो (ओडीसी) और अन्य कार्गो की ढुलाई शामिल है। राष्ट्रीय जलमार्ग–1 पर और राष्ट्रीय जलमार्ग–1 होकर भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग पर विगत् पाँच वर्षों में हुई ढुलाई के विवरण निम्न हैं :–

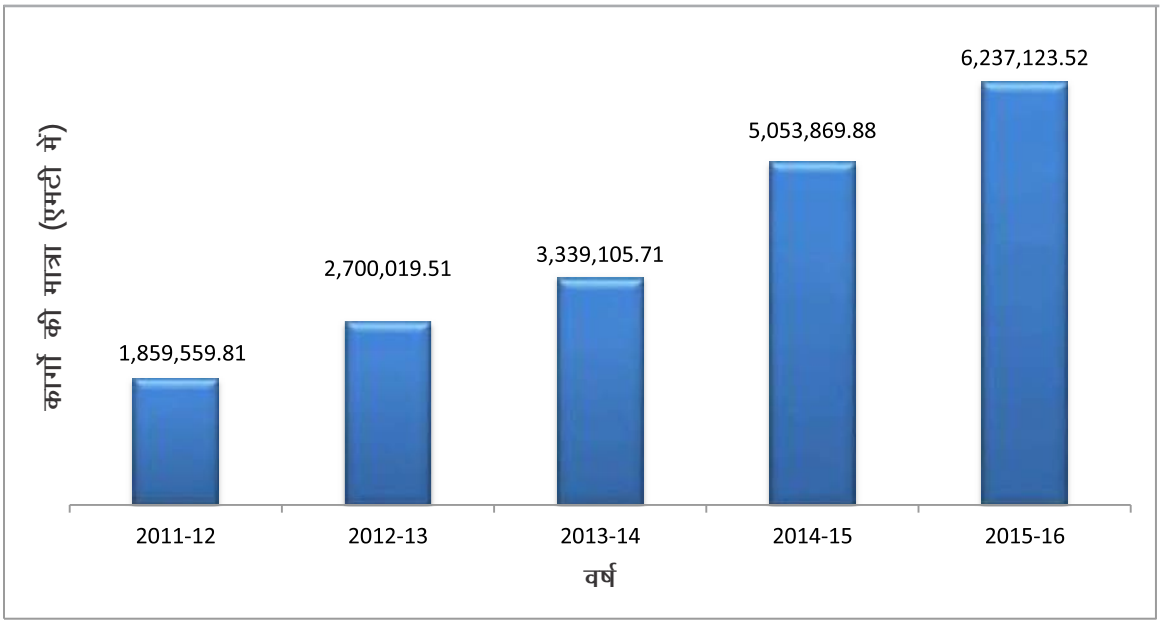

4.3 पर्यटन विकास :

अन्तर्देशीय पर्यटक जलयान– मेसर्स हरिटेज रिवर क्रूज प्रा. लि. के आरवी बंगाल गंगा, गंगा वोएजर–1 और गंगा वोएजर–2, मेसर्स असम बंगाल नेविगेशन कंपनी प्रा. लि. के एवीएन राजमहल तथा मेसर्स विवादा इन्लैंड वाटरवेज लि. के एमवी परमहंस अनेक वर्षों से पश्चिम बंगाल, झारखण्ड और बिहार राज्य के रा.ज.–1 पर चल रहे हैं।

विदेशी पर्यटकों के साथ इन जलयानों का प्रचालन वर्ष 2015–16 के दौरान निश्चित समय सीमा के अनुसार सफलतापूर्वक किया गया।

रा.ज.–1 पर पर्यटक जलयान आरवी बंगाल गंगा

रा.ज.–1 पर पर्यटक जलयान गंगा वोयाजर–।

रा.ज.–1 पर पर्यटक जलयान एबीएन राजमहल

रा.ज.–1 पर पर्यटक जलयान एमवी परमहंस

4.4 टर्मिनल सुविधाएं :

निम्नतल और उच्चतल जेट्टियाँ पटना (बिहार) में क्रमशः 2008 और 2012 से प्रचालन में हैं, जो इस टर्मिनल पर बंकरिंग और भंडारण सुविधा के साथ यांत्रिक कार्गो हैंडलिंग करने में सक्षम है।

गायघाट, पटना में निम्नतल और उच्चतल जेट्टी का दृश्य

सामान्य कार्गो की हैंडलिंग के लिए नवंबर, 2013 से जीआर जेट्टी–2, कोलकाता में एक स्थाई टर्मिनल प्रचालन में है।

जीआर जेट्टी–2, कोलकाता में स्थाई टर्मिनल

राष्ट्रीय जलमार्ग–1 पर फरक्का और पाकुड़ में स्थाई जेट्टियाँ पहले से ही विद्यमान हैं, जो ट्रांसपोर्टर/शिपर इत्यादि द्वारा प्रयोग की जा रही हैं।

इसके अलावा, रा.ज.–1 पर हल्दिया–इलाहाबाद खण्ड के बीच 20 स्थलों पर फ्लोटिंग टर्मिनलें प्रचालन में हैं, जिनका उपयोग जलयानों को बर्थिंग देने, लॉजिस्टिक सपोर्ट और उपयोगकर्ताओं द्वारा जहाज पर माल चढ़ाने और उतारने के लिए किया जाता है।

फरक्का में फ्लोटिंग टर्मिनल

रा.ज.–1 के फ्लोटिंग टर्मिनल पर पर्यटक जलयान की बर्थिंग

इन 20 फ्लोटिंग टर्मिनलों का स्थान निम्न है :

(i) **पश्चिम बंगाल** में हल्दिया, बज–बज, बीआईएसएन, बोटेनिकल गार्डेन (कोलकाता), शांतिपुर, स्वरूपगंज, कटवा, हजारद्वारी, डाउनस्ट्रीम (डी/एस) फरक्का और अपस्ट्रीम (यू/एस) फरक्का;

(ii) **झारखण्ड** में राजमहल (मंगलाहाट) और साहिबगंज (समदाघाट) (साहेबगंज) और बिहार में बटेश्वरस्थान, भागलपुर, मुंगेर, सिमरिया और बक्सर; और

(iii) **उत्तर प्रदेश** में गाजीपुर/राजघाट, रामनगर (वाराणसी) और इलाहाबाद टर्मिनल।

इसके अतिरिक्त, भा.अ.ज.प्रा. ने हल्दिया, साहेबगंज और वाराणसी में मल्टी–मॉडल टर्मिनल विकसित करने की योजना बनाई है जिसके लिए परियोजना विकास कार्य प्रारंभ किया जा चुका है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर है। इन परियोजनाओं को विश्व बैंक सहायता प्राप्त **जलमार्ग विकास परियोजना** के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है।

4.5 नौचालन संबंधी सहायताएं :

राष्ट्रीय जलमार्ग–1 पर हल्दिया से इलाहाबाद तक के पूरे खण्ड पर वर्ष भर नौचालन की सुविधा देने के लिए दिवस चैनल चिन्ह लगाए गए हैं। प्रकाशमान देशी नौका/बांस की संरचना, एम.एस. पोल और ट्रेसल बीकन टावर से बने प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग–1 के हल्दिया–बलिया खण्ड (1140 कि.मी.) के बीच रात्रि नौचालन की सुविधाएं भी मुहैया की गई हैं।

दिवस दायां हस्त मार्क

देशी नौका पर प्रकाश

इस्पात पोल पर प्रकाश

बीकन टॉवर पर प्रकाश

उपर्युक्त के अलावा भा.अ.ज.प्रा. पाक्षिक रूप से तलस्पर्शी सर्वेक्षण भी नियमित रूप से कराता है। नदी संबंधी सूचनाएं और पायलटेज की सुविधा प्रचालकों को आवश्यकतानुसार दी जाती है। इसके अलावा, जलमार्ग पर 24 घंटे नौचालन की अत्याधुनिक सुविधाएं देने के लिए रा.ज.–1 पर स्वरूपगंज, भागलपुर और पटना में डिफ्रेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) स्टेशन चालू किए गए हैं तथा इनकी सुविधाएं ट्रांसपोर्टरों/शिपरों को दी जा रही है। आगे, वाराणसी में दूसरा डीजीपीएस स्टेशन लगाया गया है, जो शीघ्र चालू हो जाएगा।

रा.ज.–1 पर विश्व स्तरीय नदी सूचना प्रणाली (आरआईएस) मुहैया करने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। रा.ज.–1 के हल्दिया–फरक्का खण्ड के बीच इस परियोजना के प्रथम चरण में 7 बेस स्टेशन और 30 वेजेल स्टेशन हैं। इसका शुभारंभ माननीय पोत परिवहन मंत्री, भारत सरकार द्वारा 6 जनवरी, 2016 को उद्घाटन करने के पश्चात् 545 कि.मी. के कुल क्षेत्र में प्रारंभ किया गया है।

फरक्का–पटना खण्ड के बीच 6 बेस स्टेशनों और 1 कंट्रोल स्टेशन से बने नदी सूचना प्रणाली (चरण–।।) 410 कि .मी. के कवरेज क्षेत्र में प्रगति पर है, जिसे वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान चालू किया जाएगा। पटना–वाराणसी के बीच 4 बेस स्टेशन और 1 कंट्रोल स्टेशन से बने नदी सूचना प्रणाली का चरण–।।। राष्ट्रीय जलमार्ग–1 के प्रस्तावित खण्ड पर 363 कि.मी. के कवरेज क्षेत्र में प्रारंभ करने के लिए भी प्रस्ताव किया गया है।

5. राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.) –2

सदिया से धुब्री के निकट बांग्लादेश बॉर्डर तक रा.ज.–2 बनने वाली ब्रह्मपुत्र नदी(891 कि.मी.) उत्तर–पूर्व क्षेत्र (एनईआर) में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अन्तर्देशीय जलमार्ग है। इस ताकतवर नदी में अनेक नदियां मिलकर इसे मछली के हड्डी की संरचना दी है। फीडर मार्ग के रूप में विकसित होने की संभावना रखने वाले उत्तर–पूर्व क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र और बराक नदी के करीब 1687 कि.मी. खण्ड को अभिज्ञात किया गया है। रा.ज.–2 भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग (1700 कि.मी.) के माध्यम से उत्तर–पूर्व क्षेत्र में वैकल्पिक सम्बद्धता मुहैया करता है। वर्ष 2015–16 के दौरान रा.ज.–2 पर फेयरवे, नौचालन संबंधी सहायताएं और टर्मिनल की सुविधाएं देने के लिए कराए गए महत्वपूर्ण कार्य नीचे इस प्रकार हैं :–

5.1 फेयरवे विकास :

धुब्री–पांडु खण्ड (255 कि.मी.)और पांड–नीमाति खण्ड (374 कि.मी.) में 2.5 मीटर न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) के साथ 45 मीटर की न्यूनतम चौड़ाई का नाव्य फेयरवे अनुरक्षित किया गया। नीमाति–डिब्रूगढ़ खण्ड में 350 दिनों के लिए 2.0 मी. एलएडी अनुरक्षित किया गया था। डिब्रूगढ–सदिया (ओरियमघाट) खण्ड में 365 दिनों के लिए 1.5 मी. एलएडी अनुरक्षित किया गया था। इस न्यूनतम उपलब्ध गहराई को अनुरक्षित करने के लिए 54 स्थानों पर 21,000 मीटर बंडाल खड़े और अनुरक्षित किए गए। इसके अतिरिक्त, दो विभागीय सीएसडी, सीएसडी मंडोवी और सीएसडी ब्राह्मणी का उपयोग करत हुए 13 स्थानों पर 1,14,506 मीटर^3 निकर्षण कार्य किया गया था।

फेयरवे में गहराई बढ़ाने के लिए दो जलीय सर्वेक्षण ड्रेजर (एच.एस.डी.) एच.एस.डी. धनसीरी और एच.एस.डी. जया भोराली भी निकर्षण के लिए तैनात किए गए थे।बांग्लादेश सीमा और नीमाति के बीच कुछ भेद्य जोन (लगभग नौ) हैं, जहां गहराई और नदी क्षेत्र/चैनल में निरंतर परिवर्तन आता है। आईआईटी गुवाहाटी को ऐसे ही एक स्थान 'गणेश पहाड़ क्षेत्र' का प्रायोगिक आधार पर 19.16 लाख रूपए की लागत से गणितीय और भौतिकी मॉडल बनाने का कार्य सौंपा गया। दीर्घावधि आधार पर एलएडी में सुधार करने के लिए इन स्थलों पर नदी प्रशिक्षण कार्यों को अभिज्ञात और कार्यान्वयन करने में इस अध्ययन के नतीजे से सहूलियत मिलेगी।

बंडाल का प्रारूपी चित्र

सीएसडी मंडोवी द्वारा पांडु में निकर्षण

5.2 टर्मिनल :

पांडु पत्तन पर आरसीसी जेट्टी

मल्टीमॉडल नदी पत्तन के विकास के लिए रा.ज.–2 पर पांडु (गुवाहाटी) सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल है। पांडु में चरणबद्ध ढंग से टर्मिनल का विकास करने के लिए एक मास्टर प्लान इसीलिए तैयार किया गया था, जिसका विकास चरणबद्ध ढंग से किया गया। निम्नतल जेट्टी 2009 में चालू किया गया था। कंटेनर सहित यांत्रिक हैंडलिंग सुविधा का प्रचालन वर्ष भर करने के लिए वर्ष 2014–15 के दौरान 43.85 करोड़ रुपए की लागत पर एक उच्चतल जेट्टी को भी चालू किया गया था।

पांडु पोर्ट को कामख्या रेलवे स्टेशन (गुवाहाटी) से जोड़ने वाली बड़ी रेलवे लाइन का निर्माण एनएफ रेलवे के माध्यम से 16.84 करोड़ रुपए की लागत पर करके एनएफ रेलवे द्वारा वर्ष 2013 में वाणिज्यिक प्रचालन हेतु खोल दिया गया है। बीजी साइडिंग के उपयोग से कार्गो की ढुलाई तीसरी पार्टी द्वारा कराने के लिए भा.अ.ज.प्रा. ने एनएफ रेलवे के साथ उपबंध पर हस्ताक्षर किया है।

जोगीघोपा होकर 220 कि.मी. के घुमावदार सड़क मार्ग से बचने के लिए धुब्री से मेघालय तक (नदी मार्ग द्वारा 29 कि.मी.) सीधी अ.ज.प. सम्बद्धता मुहैया करने के लिए एक धुब्री में और दूसरा हथसिंगीमारी (ब्रह्मपुत्र नदी के उस पार) के लिए दो आरओ–आरओ टर्मिनलों का नियोजन भा.अ.ज.प्रा. द्वारा वर्ष 2013 में किया गया था। एल एंड टी और ईसीसी द्वारा तैयार की गई डीपीआर के आधार पर धुब्री में 46.69 करोड़ रु. की लागत पर टर्मिनल निर्माण का कार्य दिनांक 12.03.2014 को सीपीडब्ल्यूडी को दिया गया था। सीपीडब्ल्यूडी ने अगस्त, 2014 के दौरान काम प्रारंभ किया। मार्च, 2016 तक 85 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। इस परियोजना के जनवरी, 2017 तक पूरा होने की संभावना है।

ब्रॉड गॉज साइडिंग
बीजी साइडिंग

धुब्री में रो–रो टर्मिनल

हालांकि, हथसिंगीमारी में टर्मिनल के निर्माण के लिए चयनित भूमि के नदी द्वारा करीब–करीब अपरदन हो जाने के कारण वर्तमान परिस्थिति में किसी भी तरह की स्थाई संरचना का निर्माण करना कठिन है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने इस स्थल पर लगभग 5 कि.मी. के क्षेत्र में तट के बचाव के लिए एक योजना तैयार किया है। हालांकि, इस योजना के कार्यान्वयन और तदुपरांत तटरक्षण के कार्य करने में कुछ समय लगेगा। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए भा.अ.ज.प्रा. ने नदी तट के स्थिर हो जाने तक के लिए हथसिंगीमारी में अस्थाई रो–रो सुविधा विकसित किया है। इसी तरह की अस्थाई रो–रो सुविधा धुब्री में विकसित की गई है। अस्थाई रो–रो सेवा अ.ज.प. निदेशालय, असम सरकार के दो जलयानों को लगाकर प्रारंभ कर दिया गया है। यह जनवरी, 2016 से प्रभावी है।

तेजपुर में फ्लोटिंग टर्मिनल

कार्गो ढुलाई की सुविधा देने के लिए दस (10) स्थलों –धुब्री, जोगीघोपा, तेजपुर, सिलघाट, विश्वनाथघाट, नीमाति, बोगीबील, डिब्रूगढ़, सेंगाजन/पनबाड़ी और ओरियमघाट में फ्लोटिंग टर्मिनलें मुहैया और अनुरक्षित किए गए हैं। हथसिंगीमारी, धुब्री, सिलघाट, विश्वनाथघाट, नीमाति, डिब्रूगढ़ और ओरियमघाट में टर्मिनलों के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

जोगीघोपा में 16.47 हेक्टेयर भूमि में से लगभग 8.93 हेक्टेयर भूमि पानी में बह गयी। निरंतर हो रहे बहाव से आस–पास के बासिंदों को खतरा उत्पन्न हो गया है। भा. अ. ज. प्रा. 27 करोड़ रु. की लागत पर दो चरणों में तटरक्षण संबंधी कार्यों का कार्यान्वयन करके जल संसाधन विभाग, असम सरकार के सहयोग से शेष बचे टर्मिनल भूमि को बचा लिया है।

जोगीघोपा में चरण–I के कार्य

चरण–I में : गाद पूर्व कार्य प्रारंभ करने के लिए जोगीघोपा के नदी चैनल के अपस्ट्रीम में आरसीसी पोरकुपाइन स्क्रीन लगाना और चरण–II में :बोल्डर,मृदा डोवन बंड के साथ लांचिंग एपरन और तट निर्माण सहित तट संरक्षण कार्य। यह परियोजना नवंबर, 2015 में पूर्ण की गई थी। इस परियोजना से 18.63 एकड़ भूमि का बचाव होगा, जो अन्यथा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी।

5.3 नौचालन संबंधी सहायताएं :

संपूर्ण जलमार्ग में दिवस नौचालन हेतु चैनल चिन्ह लगाए और अनुरक्षित किए गए। धुब्री और सिलघाट (440 किमी.) के बीच रात्रि नौचालन सुविधाएं भी मुहैया करके अनुरक्षित की जा रही है। संपूर्ण जलमार्ग में पाक्षिक/मासिक तलस्पर्शी सर्वेक्षण करवाकर अ. ज.प. प्रचालकों को फेयरवे संबंधी सूचना देने के लिए नदी संबंधी सूचनाएं दी गई हैं। इसके अलावा संपूर्ण रा.ज.–2 में डीजीपीएस सम्बद्धता की सुविधा देने के लिए धुब्री, जोगीघोपा, सिलघाट और डिब्रूगढ़ में अत्याधुनिक डीजीपीएस स्टेशन चालू किए गए हैं। सिलघाट पर अत्यधिक अपरदन के कारण डीजीपीएस स्टेशन को विश्वनाथ घाट स्थानांतरित कर दिया गया है।

5.4 नदी पर्यटन :

काजीरंगा और ओरंग में वन्य जीव अभ्यारण्य की उपस्थिति और अन्य पर्यटन स्थानों जैसे–सुआलकुची, शिवसागर और ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कमालबाड़ी से रा.ज.–2 पर नदी पर्यटन हेतु विगत् के कुछ वर्षों में रूचि काफी बढ़ी है। रा.ज.–2 के पांडु–नीमाति (630 किमी.) खण्ड में 2.5 मीटर न्यूनतम उपलब्ध गहराई के प्रावधान से इस शक्तिशाली नदी पर नदी पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है। प्रत्येक वर्ष धुब्री/पांडु और नीमाति के बीच विदेशी पर्यटकों को 3 पर्यटक जलयानों द्वारा लगातार यात्रा कराई जा रही है।विपत्ती में पड़े जलयानों को सहायता देने के अलावा नौचालन सम्बंधी सहायता और टर्मिनल की सुविधा सहित उपयुक्त नौचालन सम्बंधी अवसंरचना मुहैया करने की भा.अ.ज.प्रा. की वचनबद्धता से नदी पर्यटन के लिए मजबूत पारिस्थिति तंत्र तैयार हुआ है। यह शक्तिशाली नदी ब्रह्मपुत्र में सफल जलयात्रा करने में प्रतिबिंबित होता है जिसमें प्रचालकों ने वर्ष 2015–16 के दौरान सफलतापूर्वक 40 खेपें पूरे करवाए हैं।

6. राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.) – 3

कोट्टापुरम–कोल्लम (168 कि.मी.), कोची–एलूर के बीच उद्योगमंडल कैनाल (23 कि.मी.) और कोची पत्तन–अंबलमुगल के बीच चंपाकारा कैनाल (14 कि.मी.) से बने पश्चिम तट कैनाल राष्ट्रीय जलमार्ग–3 (कुल लंबाई 205 कि.मी.) है। रा.ज.–3 पर फेयरवे, टर्मिनल और नौचालन सम्बंधी सहायता के विकास और अनुरक्षण हेतु वर्ष 2015–16 के दौरान किए गए महत्वपूर्ण कार्य के विवरण नीचे हैं :–

6.1 फेयरवे विकास :

रा.ज.–3 एक ज्वारीय जलमार्ग है, जिसके समुद्र पर चार मुहाने मुनम्बम, कोची, कायमकुलम और नीलदाकारा में हैं। रा.ज.–3 में नौचालन हेतु चौड़े खण्डों में 38 मीटर चौड़ाई के और संकीर्ण खण्डों में 32 मीटर चौड़ाई के नौचालन चैनल विकसित करने के बारे में विचार किया गया है।

रा.ज.–3 में कार्यरत एक अन्तर्देशीय हेजर

कोट्टापुरम स्थित रा.ज.–3 का एक दृश्य

इन आयामों के साथ नौवहन चैनल विकसित करने के लिए 40.33 लाख मीटर^3 गाद निकालने के कार्य को संपूर्ण जलमार्ग के छिछले क्षेत्रों में किया जाना प्रस्तावित किया गया था। इन छिछले क्षेत्रों की कुल लंबाई लगभग 87 कि.मी. है। अब तक इदापल्लीकोट्टा–कोल्लम खण्ड में 2.25 कि.मी. और कायमकुलम कयाल में एक कि.मी. के क्षेत्र में फैले शोल को छोड़कर सभी खण्डों में भारी निकर्षण कराए गए हैं। यथा दिनांक 31.03.2016 भा.अ.ज.प्रा. ने 83.75 कि.मी. क्षेत्र में 38.50 लाख घनमीटर ड्रेजिंग कार्य कराया है।

सम्पूर्ण रा.ज.–3 में 2.0 मीटर के लक्षित गहराई के साथ एकल मार्ग चैनल मुहैया किया गया है। द्विमार्ग नाव्य चैनल (चौड़ाई 32 मी.) मुहैया करने के लिए चैनल को चौड़ा करने का कार्य दो स्थलों – कायमकुलम कयाल में 1 कि.मी. और चावड़ा के निकट 2.25 कि.मी. के 3.25 कि.मी. के क्षेत्र में शेष है। कायमकुलम कयाल में राज्य सरकार द्वारा रा.ज.–3 चैनल से चीनी मत्स्य जाल को हटाने का कार्य प्रगति पर है। मत्स्य जालों को हटाने के बाद निकर्षण प्रारंभ किया जाएगा। हार्ड स्ट्रैटा को हटाने सहित चौड़ा करने का कार्य संविदा के माध्यम से जनवरी, 2016 से ही कार्यान्वयन में है। इसके अलावा, भा.अ.ज.प्रा. ने रा.ज.–3 के विभिन्न स्थलों पर निकर्षण अनुरक्षण निकर्षण के लिए 4 विभागीय ड्रेजरों (2 कटर सक्शन ड्रेजरऔर 2 एम्फिबियन ड्रेजर) को तैनात किया है।

भा.अ.ज.प्रा. द्वारा अलापुझा में पुनर्निर्मित यात्री जेट्टी

अपरदन से कैनाल तट का बचाव रा.ज.–3 में सुरक्षित नौचालन का अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि है। अब तक चम्पाकारा और उद्योगमंडल कैनालों में 15.30 कि.मी. के कैनाल तट पर स्थाई तटरक्षण कराया गया है। अलापुझा और कोल्लम के बीच कैनाल के संकरे क्षेत्रों में जहां चौड़ा करने का कार्य किया गया था, वहां अब तक 9.78 कि.मी. लंबाई में तट रक्षण किया गया है। ऐसे कार्य चावड़ा में प्रगति पर है। रा.ज.–3 के अलापुझा–कायमकुलम खण्ड में लंबे समय से चल रहे पूंजीगत कार्य को वर्ष 2015–16 के दौरान सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।

रा.ज.–3 पर भारी निकर्षण और संकरे कैनालों को चौड़ा करने के कार्य की प्रगति में विलंब के अनुभव वर्षों से विभिन्न स्थानीय कारणों जैसे–निकर्षित सामग्री के निस्तारण, अतिरिक्त तट रक्षण की मांग, कार्यों में बारंबार रूकावट और स्थानीय लोगों द्वारा मुकदमेबाजी करने और मछुआरों का विरोध सेरहा है। ऐसी समस्याओं का समाधान करने और काम को आगे बढ़ाने के लिए भा.अ.ज.प्रा. राज्य सरकारों के साथ लगातार विचार–विमर्श कर रहा है और उनकी सुविधा भी ले रहा है।

6.2 अ.ज.प. टर्मिनल :

8 स्थानों (कोट्टापुरम, अलुवा, मरदु, वैकुम, तनेरमुखम, त्रिकुणापुझा, कायमकुलम और कोल्लम) में कार्गो टर्मिनल बनाए गए हैं। अलापुझा में 9.04 करोड़ रु. की लागत पर 1 टर्मिनल का निर्माण प्रगति पर है। इस टर्मिनल के 98 प्रतिशत कार्य पूरे हो गए हैं। कक्कानाडु और चावड़ा नामक दो और स्थलों पर टर्मिनलें कार्गो की उपलब्धता (जलमार्ग के लिए संभावित मांग) सुनिश्चित होने के लिए अगले चरण में विकसित करने का प्रस्ताव है। भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो गया है। परेषक और परेषिति के मॉडल शिफ्ट स्वीकार नहीं करने के कारण अब तक इन टर्मिनलों पर अपेक्षित कार्गो नहीं आ रहा है। केरल सरकार ने अ.ज.प. के लिए 1 जनवरी, 2016 से 1 रु. प्रति टन कि.मी. इमदाद देने की एक योजना कार्यान्वित की है। उम्मीद की जाती है कि इससे रा.ज.–3 और टर्मिनलों के अत्यधिक प्रयोग पर सकारात्मक प्रभावी पड़ेगा। एनएचएआई से दीर्घावधि पर ली गई भूमि के अधिग्रहण के पश्चात कोट्टापुरम टर्मिनल के लिए नए और चौड़ा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया।

6.3 रो–रो टर्मिनल :

कोचीन पत्तन क्षेत्र के अधीन दो रॉल ऑन रॉल ऑफ टर्मिनल पहला बोलगट्टी में और दूसरा विलिंगटन आईलैंड में आईसीटीटी वल्लारपदम से सम्पर्क स्थापित करने के लिए कोचिन पत्तन न्यास के माध्यम से भा.अ.ज.प्रा. द्वारा तैयार किया गया है। इस सुविधा के उपयोग से वल्लारपदम की ओर जाने वाले ट्रकों/ट्रेलरों को कोची शहर की भीड़भाड़ वाले सड़कों होकर गुजरने की जरूरत नहीं होती है। ये टर्मिनल फरवरी, 2011 से प्रचालन में हैं। 31 मार्च, 2016 के अंत तक कुल 93,419 बीस फीट समतुल्य यूनिट (टीईयू) और 61,468 चालीस फीट समतुल्य यूनिट (एफईयू) कंटेनरों का परिवहन इन टर्मिनलों के बीच संविदा पर व्यवस्था किए गए रो–रो टर्मिनल और रो–रो जलयान द्वारा किए गए हैं।

रा.ज.–3 में रो–रो बार्ज सेवा

रा.ज.–3 में बोलगट्टी रो–रो टर्मिनल

6.4 वृहत आकार के कार्गो (ओडीसी) :

वर्ष के दौरान चम्पाकारा कैनाल होकर वृहत आकार के कार्गो (ओडीसी) का बार्जों द्वारा कोचीन पत्तन न्यास से अम्बलमुगल स्थित बीपीसीएल–कोची रिफाइनरी तक ढुलाई की गई। 179 टन से 700 टन तक के बीच (कुल 2910 टन) के कुल 7 मालों यथा–डीजल हाइड्रो ट्रीटर (डीएचडीटी) और वैक्यूम गैसऑयल हाइड्रो ट्रीटर (वीजीओ एचडीटी) / अन्य सम्बद्ध भारी उपकरण / परेषण की ढुलाई सफलतापूर्वक पहले ही की जा चुकी है।

वर्ष 2015–16 के दौरान मुख्य रूप से सल्फर, फॉस्फेरिक एसिड, रॉक फास्फेट, लीक्वीफाइड एमोनिया गैस, पीओएल, इत्यादि के कुल 10.62 लाख टन कार्गो की ढुलाई बार्जों द्वारा रा.ज.–3 में हुई हैं।

रा.ज.–3 पर ओडीसी ढुलाई

6.5 नौचालन सम्बंधी सहायताएं :

24 घंटे सुरक्षित नौचालन की सुविधा देने के लिए रा.ज.–3 पर भा.अ.ज.प्रा. द्वारा सौर ऊर्जा से प्रकाशमान कुल 132 बोया और 17 बीकन लाईट अनुरक्षित किए गए थे।

रा.ज.–3 में नौचालन बोया

रा.ज.–3 में बीकन लाईट

7. राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)–4 और 5

नवम्बर, 2008 में इन जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। इसके बाद दोनों राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) तैयार की गई। इसके बाद, योजना आयोग की सलाह पर, आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की आर्थिक सलाह के साथ लेनदेन सलाहकार (परामर्शदाता) को नियुक्त कर पीपीपी माध्यम से आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य खंडों का विकास किया गया। तथापि, दोनों जलमार्गों को पीपीपी माध्यम में विकसित करने हेतु व्यवहार्य नहीं पाया गया। अतः एडीबी अथवा विश्व बैंक जैसे बहुपक्षीय संसाधानों द्वारा सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) / बाह्य सहायता के माध्यम से दोनों जलमार्गों को विकसित करने का निर्णय लिया गया था।

7.1 राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.–4) :

आन्ध्रप्रदेश क्षेत्र में जलमार्ग का विकास करने के लिए विजयवाड़ा (प्रकाशम बैरेज) से मुक्तला (पुलिचिंतला डैम के प्रवाह की दिशा में) तक, विजयवाड़ा से काकीनाडा तक एलुरू और काकीनाडा कैनाल तथा राजामुंदरी से भद्रचलम तक गोदावरी नदी को चरण–। में विकसित करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। पेडागंजम से पुदुचेरी तक नॉर्थ बकिंघम कैनाल और साउथ बकिंघम कैनाल सहित विजयवाड़ा से पेडागंजम तक कॉमामोर कैनाल का विकास चरण–।। में किया जाना नियोजित है। पोलवरम (गोदावरी नदी) और पुली चिन्ताला (कृष्णा नदी) पर बांधों और नौचालन लॉकों का निर्माण पूरा होने के बाद कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के शेष भाग का विकास चरण–।।। में किया जाना नियोजित है। इसी बीच में अद्यतन रूपांत्मक स्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए संपूर्ण रा.ज.–4 में विस्तृत जलीय सर्वेक्षण कराए गए हैं।

आन्ध्रप्रदेश सरकार नई भूमि का रूपात्मक सर्वेक्षण, विद्यमान जटिल क्रॉस आकारों का श्रेणीकरण और लागत निर्धारण तथा टर्मिनलों के निर्माण के लिए डीपीआर कर रहा है। इस अध्ययन के नतीजे के आधार पर भा.अ.ज.प्रा. श्रेणी– ।। अथवा श्रेणी– ।।। में से किसी के लिए फेयरवे का विकास करने की रणनीति को अंतिम रूप देगा। चरण– । की गतिविधि के एक भाग के रूप में कृष्णा नदी के मुक्तला–हरिशचंद्रपुर (विजयवाड़ा के विपरीत प्रवाह में) जटिल शोलों के निकर्षण का कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए विजयवाड़ा स्थित सिंचाई विभाग के कार्यालय परिसर में भा.अ.ज.प्रा. ने एक उप–कार्यालय स्थापित किया है।

7.2 राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज. –5) :

भ.अ.ज.प्रा., ओडिशा सरकार, पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) और धमरा पोर्ट कंपनी लिमिटेड (डीपीसीएल) के मध्य रा.ज.–4 के 332 किमी. क्षेत्र का विकास दो चरणों में करने के लिए एक समझौते पर 30 जून, 2016 को हस्ताक्षर किए गए। पहले चरण के अंतर्गत पंकोपल से धमरा और पारादीप से 207 किमी. और दूसरे चरण में तलचर से पंकोपल 125 किमी. का कार्य किया जाएगा। तथापि, चरण–एक के अंतर्गत विकास कार्य वर्तमान में बाधित है क्योंकि सुजानपुर में विद्यमान छोटे बांध के पुनर्निर्माण और जकोदिया में पुरानी बैराज के लिए उपयुक्त नौवहन लॉकों की आवश्यकता है। प्रस्तावित विकासात्मक कार्यों के समन्वय और निगरानी के लिए भुवने वर में भ.अ.ज.प्रा. का उप–कार्यालय स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त, मैसर्स वैपकोस द्वारा चरण–एक के अंतर्गत खंड विकास हेतु अध्ययन प्रारंभ किया गया है। इनकी रिपोर्ट और राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर आईआईटी गुवाहाटी को बैराजों और 3.0 मीटर एलएडी फेयरवे के विकास हेतु अन्य क्रास आकारों के निर्माण हेतु डिजाइन इनपुट ढूंढ़ने हेतु बहमणी नदी और इसकी डेल्टा प्रणाली हेतु गणितीय मॉडल अध्ययन करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इस दौरान अद्यतन रूपिम स्थितियों का आंकलन करने के लिए रा.ज.–5 के तलचर–धमरा और पारादीप खंड तथा मतई नदी में विस्तृत जल सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। ओडिशा सरकार द्वारा भ.अ.ज.प्रा. पीपीटी, डीपीसीएल और ओडिशा के संबंधित विभागों से सदस्यों के साथ एक समन्वय समिति गठित की गई है, जो मासिक आधार पर रा.ज.–5 के विकास की प्रगति की निगरानी करती है।

8. पारगमन और व्यापार पर भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल

भारत और बांग्लादेश के बीच एक अन्तर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल है जिसके तहत भारतीय भूमि (कोलकाता) से उत्तर–पूर्व क्षेत्र तक कार्गो के पारगमन के लिए और दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए अपने–अपने जलमार्गों के प्रयोग दोनों देशों की सरकारें परस्पर रूप से लाभकारी व्यवस्था के लिए करने हेतु सहमत हो गई है। इसमें एक देश में दो स्थानों के बीच मालों की आवाजाही दूसरे देश के भू–भाग से होकर उस देश के कानूनों के अनुसार होगी। विद्यमान प्रोटोकॉल मार्ग हैं :–

(I) कोलकाता–सिलघाट–कोलकाता, (ii) कोलकाता–करीमगंज–कोलकाता, (iii) राजशाही–धुलिया–राजशाही, (iv) सिलघाट–करीमगंज–सिलघाट। अंतर देशीय व्यापार हेतु विनिर्दिष्ट पांच पोर्ट ऑफ कॉल भारत में हल्दिया, कोलकाता, पांडु, सिलघाट और करीमगंज में हैं और बांग्लादेश में नारायणगंज, खुलना, मोंगला, सिराजगंज और आशुगंज हैं।यह प्रोटोकॉल 1972 में अस्तित्व में आया और समय–समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। यह प्रोटोकॉल मार्च, 2020 तक वैध हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान इस प्रोटोकॉल के तहत कोलकाता/हल्दिया और बांग्लादेश/भारत के उत्तर पूर्व भागों के बीच 19 लाख टन आयात–निर्यात और पारगमन कार्गो की ढुलाई हुई।

9. जलीय सर्वेक्षण कार्यकलाप

जलसर्वेक्षण विज्ञान की ऐसी शाखा है जो महासागर, समुद्र, तटीय क्षेत्र, झील और नदियों के वास्तविक रूपरेखा की माप और वर्णन करने के साथ–साथ लंबे समय के बाद उसमें होने वाले बदलाव की भविष्यवाणी, नौचालन की सुरक्षा और अन्य सामुद्रिक गतिविधियों का अध्ययन होता है, जिसमें आर्थिक विकास, सुरक्षा और प्रतिरक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावर्णिक सुरक्षा शामिल हैं। जलीय सर्वेक्षण जहाजों के सुरक्षित और दक्ष नौचालन करने, नौचालन सम्बंधी हरेक तरह की गतिविधि को संरक्षण देता है।

जलीय सर्वेक्षण निर्णय लेने के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होता है, चाहे यह नियोजन और विकासात्मक और अनुरक्षण सम्बंधी गतिविधियों का कार्यान्वयन हो। यह नाविकों/समुद्र का उपयोग करने वालों, सामुद्रिक मानचित्र का प्रकाशन करने वालों, इत्यादि को सूचना मुहैया करता है। साउण्डिंग, शोर लाइन, ज्वार, लहर, नदी संरचना और पानी में डूबे हुए अवरोधों पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, जो कि पूर्व में उल्लिखित गतिविधियों से सम्बद्ध है। जलीय सर्वेक्षण में एकत्र की गई सूचना से समुद्र का उपयोग करने वाले लोगों को सुरक्षित नौचालन करने सहित विभिन्न प्रकार के विश्लेषण में मदद मिलती है। जलीय पक्ष नाविकों को अतिरिक्त जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग से सम्बंधित पायलट और नौचालन मानचित्र का प्रकाशन भी करता है।

9.1 राष्ट्रीय जलमार्ग –1 (हल्दिया–इलाहाबाद) :

तलस्पर्शी सर्वेक्षण

तलस्पर्शी सर्वेक्षण पाक्षिक रूप से विभागीय आधार पर कराकर नदी संबंधी सूचनाएं अ.ज.प. उपयोगकर्ताओं को (अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में) जारी किए गए थे। एलएडी और नदी सूचना भा.अ.ज.प्रा. की वेबसाइट पर नियमित रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। वर्ष 2015–16 के दौरान कुल 28016.5 लाइन कि.मी. तलस्पर्शी सर्वेक्षण कराए गए। खण्डवार कराए गए सर्वेक्षण के ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं :–

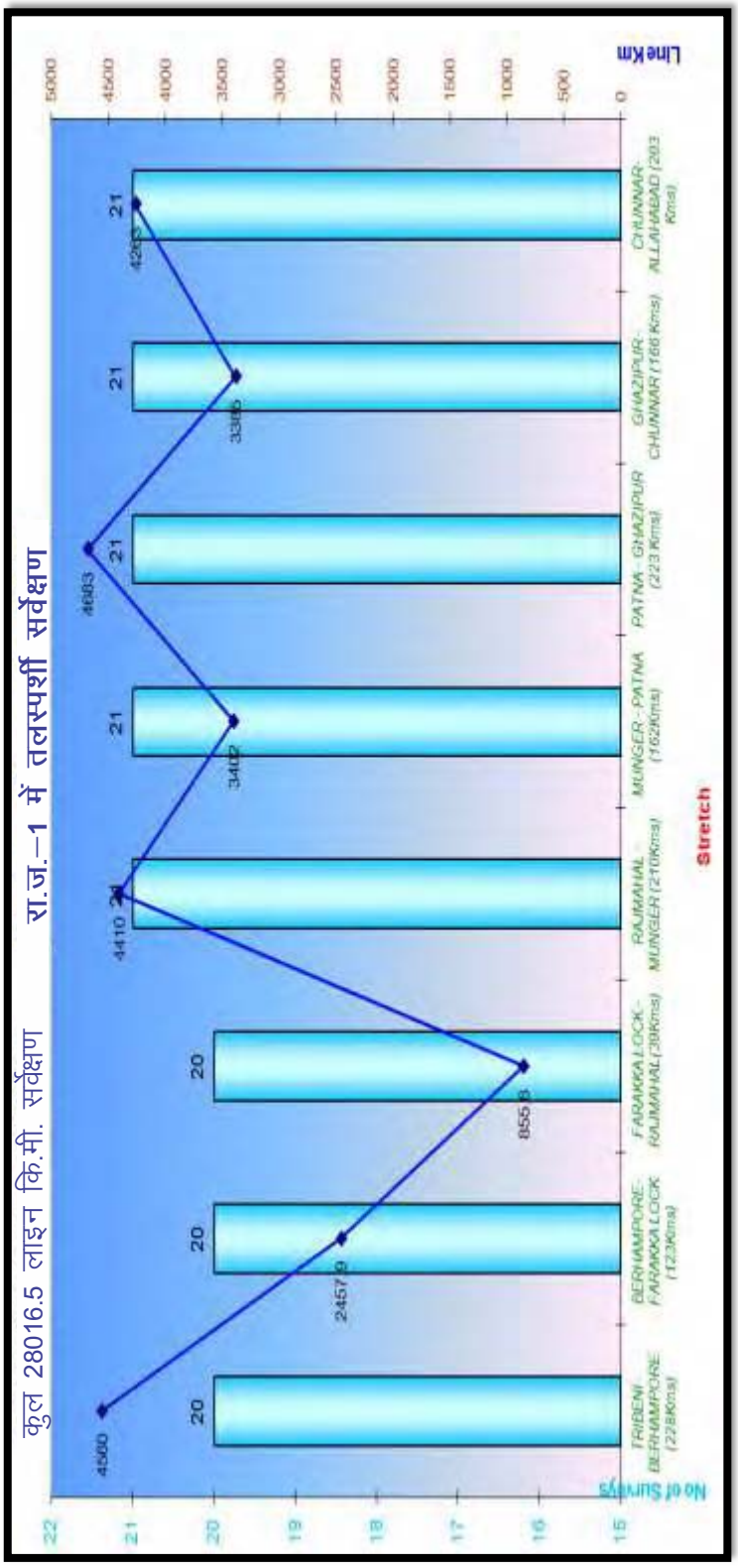

कुल 28016.5 लाइन कि.मी. सर्वेक्षण
रा.ज.–1 में तलस्पर्शी सर्वेक्षण
No of Surveys
Line Km
Stretch
TRIBENI-BERHAMPORE (228Kms)
BERHAMPORE-FARAKKA LOCK (123Kms)
FARAKKA LOCK-RAJMAHAL (39Kms)
RAJMAHAL-MUNGER (210Kms)
MUNGER-PATNA (162Kms)
PATNA-GHAZIPUR (223 Kms)
GHAZIPUR-CHUNNAR (166 Kms)
CHUNNAR-ALLAHABAD (203 Kms)
4500
2457.9
855.8
4410
3402
4683
3385
20
20
20
21
21
21
21
21

विस्तृत सर्वेक्षण :

विभागीय पूर्व/उत्तर बंडालिंग और निकर्षण सर्वेक्षण एवं अन्य सर्वेक्षण 222 स्थानों पर कराए गए थे, जिसका विवरण नीचे है :–

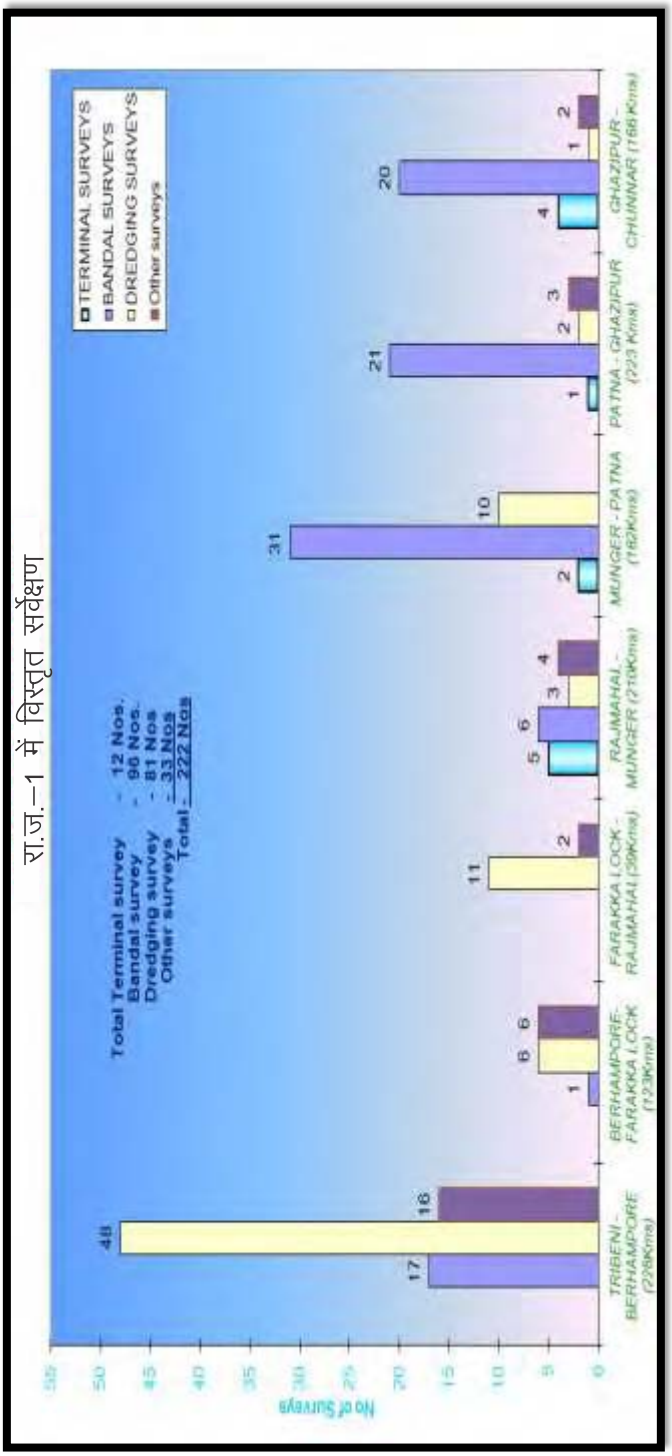

रा.ज.–1 में विस्तृत सर्वेक्षण

टर्मिनल सर्वेक्षण :

मंगलाघाट (दूरी 589.0 कि.मी.), समदाघाट (दूरी 618.0 कि.मी.), बटेश्वर (दूरी 683.0 कि.मी.), भागलपुर (दूरी 715.0 कि.मी.) मेंटर्मिनल सर्वेक्षण कराए गए। राजमहल–मुंगेर टर्मिनल में गायघाट टर्मिनल (दूरी 955.0 कि.मी.),पटना–मुंगेर खण्ड में सिमरिया घाट और गाजीपुर (दूरी 1178.0 कि.मी.), राजघाट (दूरी 1308.0 कि.मी.), रामनगर (दूरी 1318.0 कि.मी.) और गाजीपुर–चुनार खण्ड में चुनार (दूरी 1344.0 कि.मी.) में टर्मिनल सर्वेक्षण कराए गए।

अन्य सर्वेक्षण :

वर्षा के कम मौसम के दौरान चैनल की नाव्यता की जांच करने के लिए रा.ज.–1 के 16 स्थानों पर 17 कि.मी. क्षेत्र में भा.अ.ज.प्रा. के स्वरूपगंज कार्यालय ने क्रॉस सेक्शनल सर्वेक्षण कराया है, जिसका विवरण नीचे इस प्रकार है :–

क्र.सं.	स्थान	दूरी (कि.मी. में)
1	भोलादंगा	305–307
2	कुमारपुर	396–399
3	साहापट्टी	387.5
4	बलीदंगा	336.5
5	डी/एस गुप्तीपारा	238.0
6	साहापट्टी	387.5
7	डी/एस पलासे	368.0
8	बलीदंगा	335.5 और 336
9	बहीरद्वीप	296.0
10	यू/एस गौरंगा सेतु	278.0
11	बलीदंगा	337.0
12	नूतनग्राम	358.0
13	डी/एस पलासे	368.0
14	बलीदंगा	335.5 और 336
15	डी/एस बलीदंगा	335.5
16	सुजापुर	363.5

फरक्का भूमि क्षेत्र में कुल स्टेशन सर्वेक्षण

भा.अ.ज.प्रा. ने फरक्का में नए नौचालन लॉक गेट का निर्माण करने के लिए इसके लिए चयनित भूमि में स्थलाकृति सर्वेक्षण कराया है। भा.अ.ज.प्रा., फरक्का ने निम्नलिखित 08 स्थलों पर तट से तट सर्वेक्षण कराया है :–

क्र.सं.	स्थान	दूरी (कि.मी. में)
1	डी/एस लॉक गेट	542–544.0
2	यू/एस लॉक गेट	546.0
3	यू/एस गंगा संगम के लिए बैरेज	546.0–554.0
4	घोड़पारा	427.5
5	डी/एस दस्तुरिहाट फेरी	444.5
6	मोहम्मदपुर	450.0

9.2 भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग (सुंदरवन)

भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग में सिल्वर ट्री प्वाईंट से बेहारीखल (बांग्लादेश बॉर्डर) तक मासिक तलस्पर्शी सर्वेक्षण कराए गए। कुल 1872 लाइन कि.मी. तलस्पर्शी सर्वेक्षण कराकर नदी संबंधी सूचनाएं भा.अ.ज.प्रा. की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई।

सुंदरवन में तलस्पर्शी सर्वेक्षण

9.3 राष्ट्रीय जलमार्ग –2

तलस्पर्शी सर्वेक्षण

कम वर्षा के मौसम के दौरान विभागीय तलस्पर्शी सर्वेक्षण पाक्षिक रूप से बाढ़ के मौसम के दौरान मासिक रूप से कराकर नदी संबंधी सूचनाएं (अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में) जारी किए गए। नदी संबंधी सूचनाएं भा.अ.ज.प्रा. की वेबसाइट पर नियमित रूप से प्रकाशित की जाती है। वर्ष के दौरान कुल 15,480 लाइन कि.मी. तलस्पर्शी सर्वेक्षण कराए गए। जिसका खण्डवार ब्यौरा नीचे हैं :–

विस्तृत सर्वेक्षण

विभागीय पूर्व और उत्तर बंडालिंग, ड्रेजिंग सर्वेक्षण, टर्मिनल और क्रॉस सक्शन सर्वेक्षण 157 स्थानों पर कराए गए, जिसका विवरण नीचे है :–

टर्मिनल सर्वेक्षण

टर्मिनल सर्वेक्षण वर्ष 2015–16 के दौरान हथसिंगीमारी (दूरी 02 कि.मी.), धुब्री (दूरी 32 कि.मी.), जोगीघोपा (दूरी 108 कि.मी.), बोगीबिल (दूरी 738 कि.मी.), सेंगाजन (दूरी 772 कि.मी.) और ओरियमघाट (दूरी 860 कि.मी.) में कराए गए।

स्वचालित जलीय सर्वेक्षण प्रणाली (जहाज पर)

अन्य सर्वेक्षण

बी' बोर्ड से पांडु तक के खण्ड में निम्नलिखित स्थलों में क्रॉस सेक्शनल सर्वेक्षण कराए गए हैं :–

क्र.सं.	स्थान	दूरी (कि.मी. में)
1	बुरहा भूरी–जलेश्वर घाट	50 से 55 कि.मी.
2	हथसिंगीमारी–भेराभागा	02 से 15 कि.मी.
3	भेराभागा – यू/एस धुब्री	15 से 33 कि.मी.

गणितीय मॉडल के लिए आंकड़े लेने के लिए गणेश पहाड़ क्षेत्र (283 से 305 कि.मी. तक) में परिवर्तनीय क्षेत्रीय सर्वेक्षण कराया गया। इन आंकड़ों का उपयोग आईआईटी गुवाहाटी द्वारा गणितीय मॉडल बनाने के लिए किया गया है।

नदी की नाव्यता का निर्धारण करने के लिए 81 कि.मी. से अधिक क्षेत्र में लोहित नदी में तलस्पर्शी सर्वेक्षण कराया गया।

9.4 डीजीपीएस आधारित नौचालन प्रणाली :

भ.अ.ज.प्रा. ने रा.ज.–1 और 2 में विश्वसनीय और सुरक्षित अंतर्देशीय नौचालन उपायों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए डीजीपीएस (डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) तकनीक के साथ नौचालन प्रारंभ किया है। इस परियोजना के अंतर्गत रा.ज. –1 में डीजीपीएस स्टेशन, स्वरूपगंज, भागलपुर, पटना और वाराणसी तथा रा.ज.–2 में धुब्री, जोगीघोपा और डिब्रूगढ़ में पहले ही स्थापित किये गए और ये कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में, डीजीपीएस संपर्क रा.ज.–1 के 1620 किमी. में से सागर–बक्सर खंड (1124 किमी.) तथा संपूर्ण रा.ज. –2 (891 किमी.) में उपलब्ध है।सिलघाट स्थित स्टेशन ब्रह्मपुत्र नदी में आई भीषण बाढ़ के कारण प्रभावित हुआ। सारे उपकरण को हटाकर सुरक्षित स्थान में रखा गया है।

राष्ट्रीय जलमार्ग–1, गंगा नदी प्रणाली को रात्रि नौचालन और जलमार्ग में सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए दृश्य और श्रवण नौचालन सहायता प्रणााली का स्थापन किया गया है।

राष्ट्रीय जलमार्ग–1 (हल्दिया और इलाहाबाद के गंगा–भागीरथी–हुगली नदी प्रणाली) और राष्ट्रीय जलमार्ग–2 सदिया और धुब्री के बीच ब्रह्मपुत्र नदी में जलयानों को चलाने में सहायता देने के लिए डीजीपीएस नेटवर्क काम कर रहा है। भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्गों में सुरक्षित और प्रभावी नौचालन धुब्री स्थित अतिरिक्त स्टेशन की मदद से किया जा रहा है। इन स्थानों का नियोजन इस तरह से किया गया है कि सब–मीटर में परिशुद्धता के साथ 150 कि.मी. के परिधि क्षेत्र में कवरेज दिया जा सके।

9.5 राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.) –3 :

तलस्पर्शी सर्वेक्षण

विभागीय तलस्पर्शी सर्वेक्षण कोट्टापुरम–कोची–कोल्लम खण्ड (उद्योगमंडल और चंपाकारा कैनाल सहित पश्चिम तट कैनाल) में मासिक आधार पर कराकर नदी संबंधी सूचनाएं (अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में) जारी किए गए। वर्ष के दौरान कुल 2673.5 लाइन कि.मी. तलस्पर्शी सर्वेक्षण कराए गए, जिसका खण्डवार विवरण नीचे है :–

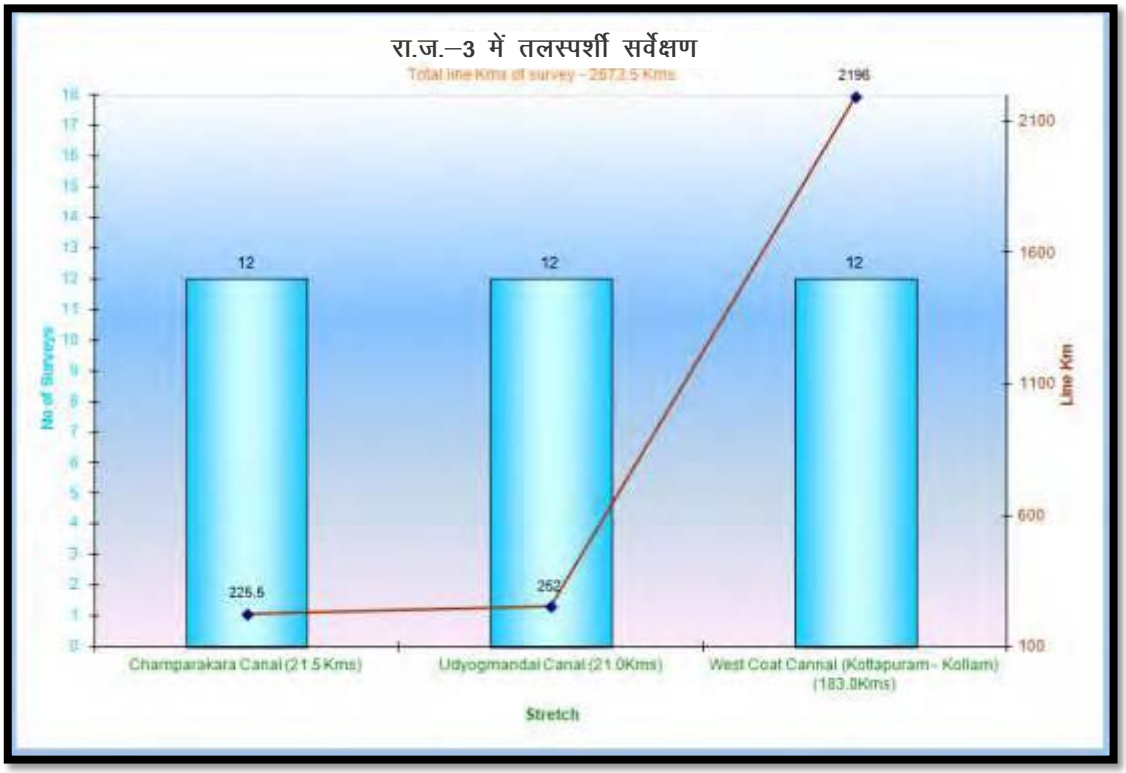

विस्तृत सर्वेक्षण

पूर्व और उत्तर निकर्षण सर्वेक्षण निम्नलिखित स्थानों पर कराए गए :–

क्र. सं.	स्थान	पूर्व/उत्तर	तिथि	दूरी	गाद मात्रा
1	राजागिरि–अम्बालामुगल	पूर्व	9, 10 और 16.4.15	21.85–23.50	47151 मी.^{3}
2	थेवड़ा जेट्टी	पूर्व	29.05.2015	9.0 (सीसी)	
3	डालवापुरम–समरानी कोडी	पूर्व	14 और 15.09.15	172.64–173.1 173.97–175.85	4720 मी.^{3}
4	थेवड़ा जेट्टी	उत्तर	14.10.2015	9.0 (सीसी)	4445 मी.^{3}
5	टी.सी.सी (यूडी कैनाल)	पूर्व	11.12.2015	23.0 (यूडी)	
6	कायमकुलम एस.माउथ	पूर्व	17.12.2015	149.0	
7	केएमएमएल और कोविलथोट्टम	पूर्व	18.12.2015	166.0	
8	मरदु टर्मिनल	पूर्व	5 और 29.12.15	12.5 (सीसी)	
9	रो–रो जेट्टी टर्मिनल प . आईलैंड और बोलगट्टी	पूर्व	06.01.2016	3.5 (सीसी) 5.8 (यूडी)	2880 मी.^{3}

सीसी–चंपाकारा कैनाल और यूडी–उद्योगमंडल कैनाल
2015–16 के दौरान कुल 59196 मी.^{3} निकर्षण कराए गए

9.6 राष्ट्रीय जलमार्ग– 5 :

राष्ट्रीय जलमार्ग–5 में नौवहन मार्ग की स्थिति का आकलन और आगे इनके विकास के लिए मासिक आधार पर तलस्पर्शी सर्वेक्षण कराए गए।

9.7 सर्वेक्षण जलयान :

आंकड़ा को संग्रह, तैयार और प्रिंट करने के लिए सभी सर्वेक्षण जलयान डिजिटल इको साउंडर, डीजीपीएस रिसीवर, लैपटाप/डेस्कटाप और करेंट मीटर सेट सहित नदी सूचना प्रणाली (आरआईएस) और स्वचालित जलीय सर्वेक्षण जैसे–अत्याधुनिक सर्वेक्षण उपकरण से युक्त हैं।

विभिन्न जलमार्गों में निम्नलिखित सर्वेक्षण जलयान प्रचालन में हैं, जो सर्वेक्षण कार्य के लिए तैनात हैं :–

रा.ज.–1		रा.ज.–2	रा.ज.–3
1. एस.एल. कोयल	7. एस.एल. मंदाकनी	1. एस.एल. लोहित	1. एस.एल. पम्बा
2. एस.एल. द्वारकेश्वर	8. एस.एल. गंडक	2. एस.एल. सुबानसिरि	
3. एस.एल. मेगना	9. एस.एल. पुनपुन	3. एस.एल. बराक	
4. एस.एल. अनुपल्लव	10. एस.एल. कोसी	4. एस.एल. बूढ़ी दिहिंग	
5. एस.एल. कमला	11. एस.एल. रिहंद	5. एस.एल. दिबांग	
6. एस.एल. घाघरा	12. एस.एल. दिहांग		

9.8 राष्ट्रीय जलमार्ग–1 में नदी सूचना प्रणाली (आरआईएस) की स्थापना

नदी सूचना प्रणाली (आरआईएस) अंतर्देशीय नौचालन में यातायात और परिवहन को अधिकतम करने के लिए सम्बंधित हार्डवेयर और साफ्टवेयर के मेल से बना आधुनिक ट्रैकिंग उपकरण है। प्रणाली मोबाइल जलयानों और किनारे (बेस स्टेशनों) पर स्थित जलयानों के मध्य सरलता से इलेक्ट्रोनिक डाटा अंतरण को सूचना के अग्रिम और वास्तविक समय विनियम के आधार पर सुनिश्चित करती है। आरआईएस जलमार्ग प्रचालकों और प्रयोक्ताओं के मध्य सूचना विनिमय को सुकर बनाता है। इससे सुविधा मिलेगी :–

- पत्तनों और नदियों में अन्तर्देशीय नौचालन सुरक्षा में वृद्धि
- अन्तर्देशीय नौचालन की दक्षता में वृद्धि
- अन्तर्देशीय जलमार्गों के बेहतर उपयोग
- पर्यावर्णिक सुरक्षा

6 जनवरी, 2016 को नई दिल्ली में नदी सूचना सेवा (आरआईएस–चरण–I) प्रणाली का श्री नितिन गडकरी, केन्द्रीय मंत्री, सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं पोत परिवहन द्वारा उद्घाटन। पोत परिवहन मंत्रालय के सचिव, श्री राजीव कुमार और अध्यक्ष, भा.अ.ज.प्रा., श्री अमिताभ वर्मा भी उपस्थित हैं।

भा.अ.ज.प्रा. ने भारत में पहली बार राष्ट्रीय जलमार्ग–1 (गंगा) पर नदी सूचना सेवा प्रणाली की स्थापना की तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण परियोजना को लिया है।

यह परियोजना तीन चरणों में नीचे इस प्रकार कार्यान्वित की जा रही है :–

	चरण– I :	चरण– II :	चरण– III :
	हल्दिया–फरक्का	**फरक्का–पटना**	**पटना–वाराणसी**
परियोजना लागत	रु. 26.23 करोड़	रु. 15.89 करोड़	रु. 14.49 करोड़
आच्छादित नदी खंड	545 कि.मी.	410 कि.मी.	356 कि.मी.
अवसंरचना	7 बेस स्टेशन 2 कंट्रोल स्टेशन 30 जलयान स्टेशन 27.4.14 को कार्य आवंटित	6 बेस स्टेशन 1 कंट्रोल स्टेशन 28.5.15 को कार्य आवंटित	4 बेस स्टेशन 1 कंट्रोल स्टेशन 03.03.16 को कार्य आवंटित
स्थिति	प्रचालन	सिविल निर्माण कार्य प्रगति पर तथा बेलजियम में ओईएम उपकरण के लिए फैक्ट्री एक्सेप्टेंश टेस्ट कराए गए।	भूमि अधिग्रहण और सिविल कार्य के लिए निविदा प्रगति पर

फरक्का आरआईएस कंट्रोल स्टेशन का नदी दृश्य

चरण– I : आरआईएस परियोजना के चरण–I में मेसर्स एलकॉम इंटीग्रेटेड सिस्टम प्रा. लि., मुम्बई द्वारा रा.ज.–1 के 545 कि.मी. नदी खण्ड में कार्यान्वित किया गया है। इस परियोजना में जलयानों की 7 रिमोट (बेस स्टेशन स्थल) यथा–हल्दिया, जीआर जेट्टी, त्रिवेणी, स्वरूपगंज, कुमारपुर, बलिया और फरक्का में लगाकर निगरानी की जा रही है। फरक्का और जीआर जेट्टी में दो नियंत्रण केन्द्र होंगे। दोनों नियंत्रण स्टेशनों से नदी खण्ड में चलने वाले जलयानों की निगरानी एआईएस (ऑटोमेटिक आइडेन्टिफिकेशन सिस्टम) द्वारा की जाएगी और जलयानों को इसकी सूचना वीएचएफ द्वारा दी जाएगी। इस परियोजना के तहत् 30 जलयान अन्तर्देशीय एआईएस प्रणाली, सॉर्ट रेंज रडार और वीएचएफ से भी सुसज्जित है। जलयान के एआईएस डाटा और ध्वनि संप्रेषण की भी निगरानी करके नियंत्रण स्टेशनों (फरक्का और जीआर जेट्टी) में रिकॉर्ड किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर कभी भी सुना जा सकेगा। जलयानों को वीएचएफ द्वारा नियंत्रण स्टेशन से नियंत्रित किया जा सकता है तथा प्रचालक आवश्यक निदेश जलयानों को दे सकता है।

स्थल स्वीकृति जाँच (एसएटी) कराई गई है। सभी उपकरण चरण–I परियोजना के तहत् लगाए गए हैं तथा ठेकेदार को एसएटी रिपोर्ट के तथ्यों के अनुसार प्रणाली को अद्यतन करने के लिए सूचित कर दिया गया है।

चरण– II : कार्य मेसर्स रेक्ट्रॉनिक डिवाईसेज एण्ड सिस्टम (आरडीएस), पूणे – 411033 को सौंपा गया है। डब्ल्यू.पी.सी. द्वारा एआईएस और वीएचएफ उपकरण के लिए लाईसेंस के आवंटन करने पर मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के सदस्यों की एक टीम ने आयातित सामग्री के लिए पेरिसकल, बेल्जियम में ओईएम उपकरण के लिए फैक्ट्री स्वीकृति टेस्ट (एफएटी) कराए गए हैं। क्षेत्रीय निदेशक ने देशी सामानों के लिए कोलकाता और मुम्बई में एफएटी कराया है।

चरण– III : कार्य मेसर्स एलकॉम इंटीग्रेटेड सिस्टम प्रा. लि., मुम्बई को सौंपा गया है। एजेंसी ने स्टेशनों के लिए लाईसेंस देने हेतु आवेदन किया है। इसके लिए भूमि भा.अ.ज.प्रा. द्वारा अधिगृहित की गई है।

9.9 मानचित्र प्रकोष्ठ / सेमिनार / प्रशिक्षण :

भा.अ.ज.प्रा., मुख्यालय नोएडा का मानचित्र प्रकोष्ठ भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) और सीएआरआईएस, ईआरडीएएस इमेजिंग, आटो सीएडी, इत्यादि जैसे ईमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर द्वारा डिजिटल चार्ट को तैयार करने के लिए आधुनिक उपकरण और साफ्टवेयर से सुसज्जित है। भा.अ.ज.प्रा. के मानचित्र का जीआईएस, साफ्टवेयर और ईमेज प्रोसेसिंग साफ्टवेयर इत्यादि के प्रयोग करने पर प्रशिक्षित है। मानचित्र प्रकोश्ठ में नए पहचान किए गए 106 जलमार्गों को खोजा गया और निर्देशिका मानचित्र की तैयारी हेतु मानचित्र प्रयोगशाला में आधुनिक कंप्युटर हार्डवेयर और साफ्टवेयर का प्रयोग कर नदी मार्गों को डिजिटलीकृत किया गया।

वर्ष 2015–16 के दौरान सभी जलमार्गों के लिए राश्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर, हैदराबाद के सेटेलाइट डाटा तैयार करके उसको केरिश जीआईएस साफ्टवेयर द्वारा डिजिटल बना दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ट को तैयार करने के लिए लैंडमार्क, सर्वे ऑफ इंडिया (एसओआई) की स्थलाकृति विशेषता वाले डिजिटल आंकड़े का संग्रह फिल्ड सर्वे डाटा (हाईपैक से) के साथ–साथ एनआरएससी डाटा के साथ किया गया था।

9.10 <u>वर्ष 2015–16 में नक्शा, एटलस और नौचालन उत्पाद की बिक्री</u> :

वर्ष 2015–16 में नक्शा, एटलस और नौचालन उत्पाद की बिक्री से भा.अ.ज.प्रा. के प्रचालकों, उपयोगकर्ताओं, निजी और सरकारी विभाग को अब तक 90,688 रु. की रकम एकत्र हुई है, जिसका विवरण नीचे इस प्रकार है :–

क्र.सं.	नक्शा / एटलस / पायलट	खरीदार का नाम	राशि
1	रा.ज.–1 के लिए डिजिटल नक्शा	मेसर्स आईआईसी टेक्नोलॉजीज, हैदराबाद	2450.00
2	इंडिया मैप इंडेक्स	मेसर्स क्लीन टेक	1000.00
3	रा.ज.–1एटलस	मेसर्स होवे, नई दिल्ली	25000.00
4	रा.ज.–1 पायलट	वही	650.00
5	वही	एच.आर. वेलिंगफोर्ड, मुम्बई	25000.00
6	रा.ज.–1 पायलट	वही	650.00
7	वही	मेसर्स जेप्पीसेन, मुम्बई	18750.00
8	रा.ज.–1 पायलट	वही	488.00
9	रा.ज.–2एटलस	मेसर्स ट्रैक्टीबेल इंजि., गुड़गांव	10000.00
10	सुंदरबन एटलस	मेसर्स विराजक्लीन सी इन्टरप्राईजेज, मुम्बई	6000.00
11	पायलट–सुंदरबन	वही	300.00
12	रा.ज.–3 पायलट	मेसर्स आईएमसी, चेन्नई	400.00
		कुल राशि रु.	**90688.00**

आईएनसीए प्रदर्शनी

<u>आईएनसीए मानचित्र कांग्रेस में भागीदारी</u> : भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण भारतीय राष्ट्रीय कार्टोग्राफिक एसोसिएशन (आईएनसीए) का एक कॉरपोरेट सदस्य है, जिसने 15–17 दिसंबर, 2015 के दौरान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में आयोजित स्मार्ट सिटी आपदा प्रबंधन सम्मेलन के विकास और नियोजन के लिए विशेष शासन विषय पर आयोजित XXXVवां आईएनसीए इंटरनेशनल कांग्रेस में भाग लिया है। भा.अ.ज.प्रा. ने नक्शों और चार्टों की कुछ प्रदर्शनियों में भी भाग लिया है। सम्मेलन के दौरान भा.अ.ज.प्रा. को आवंटित दूकान में नक्शा, नौचालन चार्ट, नदी मानचित्र और नदी सूचना प्रणाली प्रदर्शित किए गए।

इसके अतिरिक्त, भा.अ.ज.प्रा. के कार्यकलाप से सम्बद्ध हिन्दी/अंग्रेजी पत्रिका, ''तकनीकी साहित्य'', ''भूगोल और आप'' और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान भी आगन्तुकों और अनुसंधान से सम्बद्ध छात्रों को मुहैया की गई।

10. राष्ट्रीय अन्तर्देशीय नौवहन संस्थान (निनी), पटना

राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान (निनी) की स्थापना भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भा.अ.ज.प्रा.) द्वारा फरवरी, 2004 में पटना, बिहार में अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र हेतु मानव संसाधन विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। निनी, पटना का प्रबंधन और प्रशासन भा.अ.ज.प्रा. की प्रोग्राम सलाहकार समिति के परामर्श से मैसर्स एआरआई प्रा. लि. नई दिल्ली के अधीन है। वर्ष 2015–16 के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:–

क. निम्नलिखित गतिविधियां की गई–

प्रारंभिक प्रशिक्षण जीपी रेटिंग कोर्स (23वां और 24वां बैच)

- जेनरल परपस रेटिंग इंडक्शन पाठ्यक्रम के लिए आंतरिक अंतिम परीक्षा (लिखित एवं मौखिक) का संचालन जुलाई, 2015 और जनवरी, 2016 के महीनों में किया गया।
- प्रशिक्षण जलयान सर्वेक्षक और अन्तर्देशीय जलयान प्रशिक्षण सिमुलेटर पर जीपी रेटिंग (आईवी) प्रशिक्षु को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।
- निम्नलिखित चार डीजी अनुमोदित प्रारंभिक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण दिया गया :

    - प्रारंभिक प्राथमिक उपचार (ईएफए)
    - अग्निशमन और अग्निशामक (ईपीएफएफ)
    - व्यक्तिगत उत्तरजीविता तकनीक (पीएसटी)
    - व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी (पीएसएसआर)

आई.वी. जी.पी. रेटिंग के 23वां और 24वां बैच के छात्रों को प्रायोगिक प्रशिक्षण

अन्तर्देशीय जलयान सक्षमता प्रमाणपत्र हेतु प्रारंभिक पाठ्यक्रम

- अन्तर्देशीय जलयान परीक्षा हेतु निम्नलिखित प्रारंभिक पाठ्यक्रम संचालित किए गए :–
    - सेरांग
    - मास्टर क्लास– I I
    - सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर
    - फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर

बिहार सरकार की ओर से अन्तर्देशीय जलयान परीक्षा का संचालन

- बिहार सरकार के अन्तर्देशीय जलयान नियम के अनुसार सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों हेतु निम्नलिखित विभिन्न श्रेणियों की परीक्षाएं ली गयी :
    - सेरांग
    - मास्टर क्लास– I I
    - मास्टर क्लास– I
    - सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर
    - फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर
    - अन्तर्देशीय अभियंता

	सेरांग	मास्टर क्लास– I I	मास्टर क्लास– I	इंजन ड्राइवर क्लास– I I	इंजन ड्राइवर क्लास– I	अभियंता IV
कुल उत्तीर्ण	28	0	38	57	4	0

ख. <u>प्रशिक्षण</u>

निनी नियमित आधार पर प्रशिक्षण देकर सामुद्रिक पत्रिका और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में पाठ्यक्रमों का विज्ञापन देता है।

- डेक और इंजन पर कराए गए प्रारंभिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले प्रशिक्षुओं को निजी बार्ज ऑपरेटरों की मदद से नियोजन।
- विभिन्न जलयानों पर प्रशिक्षण के लिए भेजे गए प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण रिकॉर्ड पुस्तिका जारी की गई।
- निनी जलयानों पर काम करने वाले सभी प्रशिक्षुओं की छुट्टी, भुगतान और प्रशिक्षण से सम्बंधित रिकॉर्ड एक अलग से नियोजन प्रकोष्ठ के माध्यम से रखता है।
- सीओसी परीक्षा का डाटा और प्रमाणपत्र अनुरक्षित किया जा रहा है।

ग. <u>मानव संसाधन</u>

संस्थान ने संस्थान के प्रबंधन हेतु संकाय सदस्य और अनुदेशकों का एक पूल विकसित किया है। संस्थान ने संकाय सदस्यों को तीन श्रेणियों यथा–नियमित परामर्श संकाय, नियमित विजिटिंग संकाय और आवश्यकता आधारित विजिटिंग संकाय में तैनात किया है।

मुम्बई में मसौदा अन्तर्देशीय जलयान पर कार्यशाला सह विचार–विमर्श सत्र

घ. <u>अंगीभूत और सम्बद्ध</u>

- आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणपत्र एबीएस द्वारा, जिसे संस्थान के निरीक्षण के उपरांत नवीकृत किया गया।
  निनी अ.ज.प. बिहार सरकार के लिए निनी कैम्पस में सक्षमता प्रमाणपत्र (सीओसी) का संचालन करता है।

ड. मेरिन सिमुलेटर केन्द्र, निनी

निनी कैम्पस में मेरिन सिमुलेटर केन्द्र की स्थापना मेसर्स एआरआई प्रा. लि. के साथ संयुक्त उद्यम उपबंध के माध्यम से हुई थी, जिसमें मर्चेन्ट मेरिन अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया।

मर्चेन्ट मेरिन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण

- शिड्यूल के अनुसार निम्नलिखित पाठ्यक्रम कराए गए :

  - रडार ऑब्जर्वर सिमुलेटर कोर्स (आरओएससी)
  - ऑटोमेटिक रडार प्लॉटिंग एड (एआरपीए)
  - शिप मैन्यूवेयरिंग सिमुलेटर (एसएमएस)
  - इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले एण्ड इन्फॉरमेशन सिस्टम (ईसीडीआईएस)
  - ब्रीज टीम मैनेजमेंट (बीटीएम)

उपर्युक्त पाठ्यक्रम में 171 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

11. 111 नए राष्ट्रीय जलमार्ग :

पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत में व्यवहार्य जलमार्गों को अभिज्ञात करने का निदेश दिया था, ताकि चरणबद्ध ढंग से उनका विकास किया जा सके। तदुनुसार, भा.अ.ज.प्रा. द्वारा 106 नए जलमार्ग अभिज्ञात करके पोत परिवहन मंत्रालय को सूचित कर दिया गया। इस सम्बंध में राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 का प्रकाशन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग– ।। और अनुभाग– ।, दिनांक 26 मार्च, 2016 को 2016 का अधिनियम संख्या 17 के रूप में हुआ था। 111 राष्ट्रीय जलमार्गों की सूची उनकी लंबाई (लगभग) के साथ अनुलग्नक– । में दी गई है।

11.1 111 नए राष्ट्रीय जलमार्गों की स्थिति :

1. 106 नए राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए कराए गए प्रारंभिक कार्य के रूप में भा.अ.ज.प्रा. ने उनको तीन श्रेणियों में नीचे इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया है :–

2. (क) श्रेणी– । : 8 जलमार्गों को सर्वाधिक व्यवहार्य मानकर चरण– । में विकास किया जाना है। तदुनुसार, इन जलमार्गों के लिए ईपीसी संविदा कागजात और पर्यावर्णिक अध्ययन तैयार करने के लिए परामर्श सम्बंधी कार्य चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है।

(ख) श्रेणी– ।। : जो जलमार्ग तटीय क्षेत्र में है तथा जिनमें कुछ ज्वारीय खण्ड हैं उनको इस श्रेणी में विकास करने पर विचार किया जा रहा है। ऐसे तटीय नदियों और कैनालों की संख्या 60 (सुंदरबन के 14 नदियों को एक जलमार्ग के रूप में विचार किया गया है और पश्चिम तट कैनाल का विस्तार रा.ज.–3 में करने पर विचार किया गया है, इस प्रकार नए जलमार्गों की कुल संख्या 46 हो जाता है) है। भौगोलिक रूप से इन 60 नदियों को 8 क्लस्टर में विभाजित किया गया है।

(i)सभी नदियों के लिए दो स्तरीय डीपीआर अध्ययन (स्तर–। पर व्यवहार्यता अध्ययन और स्तर–।। व्यवहार्यता के आधार पर डीपीआर अध्ययन) पहले ही कराए गए हैं। स्तर–। के तहत् 33 जलमार्गों की व्यवहार्यता रिपोर्ट की जांच की जा रही है और शेष जुलाई, 2016 से उपलब्ध होगी।

(ग) श्रेणी–।।। : शेष जलमार्ग जो दूर–दराज, दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में हैं उन्हें इन श्रेणियों में रखा गया है। इन 54 नदियों/कैनालों (कृष्णा और गोदावरी नदियों को रा.ज.–4 के विस्तार के रूप में शामिल किया गया है, इस प्रकार 106 जलमार्गों की सूची में 52 नए जलमार्ग प्रभावी हैं) को भी विभिन्न क्लस्टरों में उपविभाजित किया गया है। प्रारंभ में केवल व्यवहार्यता अध्ययन इन सभी जलमार्गों के कराने के लिए काम दिए गए हैं। 17 जलमार्गों की व्यवहार्यता रिपोर्ट की जांच की जा रही है। शेष जुलाई, 2016 से उपलब्ध होगी।

12. भारत–म्यांमार कालादान मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन परियोजना

म्यांमार में कालादान मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन परियोजना (केएमटीटीपी) की परिकल्पना की गई थी, जिस पर नियंत्रण विदेश मंत्रालय द्वारा सामुद्रिक नौवहन, अन्तर्देशीय जलमार्ग और म्यांमार की सड़कों होकर देश के उत्तर–पूर्वी राज्यों और स्थल भूमि के बीच सम्बद्धता मुहैया करने के उद्देश्य से हुआ है। भारत के उत्तर–पूर्वी राज्यों और म्यांमार के बीच सम्पर्क से सीमा के आर–पार वाणिज्य एवं व्यापार, सांस्कृतिक और सामाजिक एकता क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत होने का मार्ग प्रशस्त होगा। विदेश मंत्रालय ने दिनांक 19.03.2009 को कालादान परियोजना के अन्तर्देशीय जल परिवहन (अ.ज.प.) और पत्तन के कार्यान्वयन के लिए परियोजना विकास परामर्शदाता (पीडीसी) नियुक्त किया है। मेसर्स एस्सार प्रोजेक्ट्स इंडिया लि. को भा.अ.ज.प्रा. की देखरेख में म्यांमार में कार्यान्वित होने वाले कार्यों के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा मुख्य संविदाकार नियुक्त किया गया है। इस परियोजना के लिए मेसर्स यूआरएस एस्कॉट विल्सन इंडिया प्रा. लि. को भा.अ.ज.प्रा. का पर्यवेक्षण सलाहकार बनाया गया है। यथा दिनांक 31.03.2016 को कार्यों की कार्यों की समग्र रूप से हुई वास्तविक और वित्तीय प्रगति क्रमशः 89 प्रतिशत और 83 प्रतिशत है। वास्तविक प्रगति के मुख्य बिन्दु नीचे इस प्रकार हैं :–

<u>क. सिटवे :</u>

- बैकअप सुविधा के लिए भूमि सुधार – 96 प्रतिशत पूरा
- रबरयुक्त डाइक का निर्माण – 90 प्रतिशत पूरा
- पत्तन और अ.ज.प. जेट्टी दोनों के लिए संपर्क जेट्टी – 100 प्रतिशत पूरा
- समुद्र निकर्षण कार्य – 100 प्रतिशत पूरा

- बैकअप सुविधा देने वाली संरचना का निर्माण – 85 प्रतिशत पूरा
- पोर्ट जेट्टी पर 10 टन लेवल लफिंग क्रेन का स्थापन – 100 प्रतिशत पूरा
- 300 टन क्षमता वाले 6 बार्जों का निर्माण – 68 प्रतिशत पूरा
- ड्रेन (अतिरिक्त सामग्री) का निर्माण – 100 प्रतिशत पूरा
- नौचालन सम्बंधी सहायताओं का स्थापन – 100 प्रतिशत पूरा

ख. पलेतवा :

- सम्पर्क और मुख्य जेट्टी कार्य – 100 प्रतिशत पूरा
- बैकअप सुविधा देने वाली संरचना का निर्माण – 60 प्रतिशत पूरा
- कालादान नदी में नदी निकर्षण कार्य – 100 प्रतिशत पूरा

अक्तूबर, 2015 में एक संशोधित लागत अनुमान कुल 2904 करोड़ रु. की लागत पर कैबिनेट द्वारा संस्वीकृत किया गया था, जिसमें से 983 करोड़ रु. पत्तन और अ.ज.प. सम्बंधी कार्यों के लिए और शेष बचे 1921 करोड़ रु. राजमार्ग सम्बंधी कार्यों के शामिल हैं। पत्तन और अ.ज.प. सम्बंधी मदों के लिए कैबिनेट द्वारा अनुमोदित राशि के ब्यौरे नीचे इस प्रकार हैं :–

1.	एस्सार प्रोजेक्ट्स के साथ चालू संविदा	– रु. 356 करोड़
2.	मुद्रामें उतार–चढ़ाव	– रु. 55 करोड़
3.	भा.अ.ज.प्रा. के लिए पीडीसी शुल्क	– रु. 32 करोड़
4.	आपात स्थिति	– रु. 11 करोड़
5.	ईपीआईएल द्वारा पलेतवा में अतिरिक्त सुविधा	– रु. 50 करोड़
6.	जलमार्गसम्बंधी कार्यों के लिए ईआईए/एसआईए अध्ययन	– रु. 1 करोड़
7.	क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए फर्निचर की अधिप्राप्ति	– रु. 2 करोड़
8.	सितवे और पलेतवा में कंटेनर सुविधा	– रु. 300 करोड़
9.	5 वर्षों के लिए प्रचालन और रखरखाव कार्य	– रु. 166 करोड़
10.	सितवे पत्तन क्षेत्र में मलवा को हटाना	– रु. 10 करोड़

भा.अ.ज.प्रा. ने पीडीसी की भुमिका में सभी सम्बद्ध पक्षों यथा–विदेश मंत्रालय, भारत–यंगून दूतावास, पोत परिवहन मंत्रालय, उत्तर–पूर्व क्षेत्र विभाग के मंत्रालय, म्यांमार सरकार, संविदाकार और सलाहकारों से परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नियमित रूप से समन्वय बनाए रखा।

प्लेतवा में निर्मित नई पोर्ट जेट्टी (नेवी जलयान खड़ा है)

सितवे, म्यांमार में सड़क और सिविल कार्य निर्माणाधीन

13. वर्ष के दौरान कार्गो की ढुलाई का विवरण

अंतर्देशीय जल परिवहन को परिवहन के अनुपूरक और विश्वसनीय माध्यम के रूप में कार्य करने के लिए किफायती नौचालन के लिए आवश्यक नौचलनात्मक गहराई, 24X7 नौचालन सुविधाएं, यांत्रिक लदान और ढ़लाई सुविधाओं के साथ गारंटी फेयरे के संबंध में शिपरों में विश्वास निर्माण करने की आश्यकता है। यद्यपि, भारतीय अंतरर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भा.अ.ज.प्रा.) कार्गो जलयानों की सुकर आवाजाही हेतु आवश्यक सभी अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय जलमार्ग 1,2, 3 और 5 का निरंतर विकास कर रहा है। निरंतर कार्गो आवाजाही हेतु अ.ज.प. बाजार में जलयानों की कमी एक सबसे बड़ी बाधा है। भा.अ.ज. प्रा. के स्वामित्व वाले 7 कार्गो जलयानों में से 4 को राश्ट्रीय जलमार्ग और भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग पर या तो बेयरबोट चार्टर या यात्रा चार्टर आधार पर और शेष 3 जलयान विभाग द्वारा प्रचालित किए जा रहे हैं। राश्ट्रीय जलमार्गों पर ओवर डाइमेंशनल कार्गो (ओडीसी) की भी नियमित रूप से ढुलाई होती है क्योंकिऐसे कार्गो की ढुलाई सड़क अथवा रेल मार्ग से करना सामान्यतया व्यवहार्य नहीं होता है। वर्श 2015–16 के दौरान राश्ट्रीय जलमार्ग–1 पर ओडीसी के 14 परेषण और भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग पर कोलकाता से 2 तथा राष्ट्रीय जलमार्ग–2 पर हुए ढुलाई के साथ मुख्य रूप से विद्युत परियोजना के उपकरण के कुल **6,055.68** एमटी की ढुलाई हुई।

भा.अ.ज.प्रा. ने दो आरओ–आरओ जलयान का आदेश दिया है जिसमें से एक धुब्री में और दूसरा हथसिंगीमारी में तैनात किया जाएगा। एक का डिजाइन लगभग 10 करोड़ रु. की लागत पर इस तरह से किया गया है कि उस पर 8 ट्रक और 100 यात्रियों की ढुलाई की जा सके। डिलिवरी की निर्धारित तिथि 20 मार्च, 2017 है जिसे मेसर्स ए. सी. राय एण्ड कंपनी, कोलकाता द्वारा डिलिवर किया जाएगा। दूसरे का डिजाइन लगभग 13.3 करोड़ की लागत पर इस तरह से तैयार किया गया है कि उस पर 12 ट्रक और 200 यात्रियों की ढुलाई की जा सके। डिलिवरी की निर्धारित तिथि 26 मई, 2017 है, जो मेसर्स टेम्बा शिपयार्ड लि., चेन्नई द्वारा डिलिवर किया जाएगा।

राष्ट्रीय जलमार्ग–1, 2 और 3 पर क्रूज जलयानों से नियमित रूप से ढुलाई हो रही है। क्रूज जलयानों के प्रचालन में शामिल कंपनियां हैं – मेसर्स हेरिटेज, मेसर्स असम बंगाल नेविगेशन, मेसर्स ब्रह्मपुत्र क्रूज प्रा. लि. और मेसर्स होराइजन टूर। राष्ट्रीय जलमार्ग–1 पर पर्यटक सर्किट हैं – कोलकाता–सिमरिया / राजमहल / पटना / बक्सर–कोलकाता / पटना–वाराणसी और राष्ट्रीय जलमार्ग–2 पर जोरहट से पांडु तक। राष्ट्रीय जलमार्ग–3 पर निजी स्वामित्व वाले आवास नौका और पर्यटक नौका ने केरल में पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुम्बई और गोवा जलमार्गों से भी क्रमशः 72.69 लाख टन और 45.45 लाख टन कार्गो की ढुलाई की गई।

हल्दिया डॉक कम्पलेक्स और जीआर जेट्टी पर भा.अ.ज.प्रा. के पांतून जेट्टियों से फ्लाई ऐश नियमित रूप से बांग्लादेश भेजा जा रहा है। वर्ष 2015–16 के दौरान प्रोटोकॉल मार्ग से कुल 22,60,803 एमटी फ्लाई ऐश की ढुलाई बांग्लादेश को हुई। सागर आईलैंड से फरक्का एनटीपीसी संयंत्र तक आयातित कोयले की ढुलाई सुगमतापूर्वक हो रही है।

मेसर्स जिंदल आईटीएफ ने वर्ष के दौरान लगभग 716,116.300 एमटी कोयले की ढुलाई किया है। निष्कर्ष यह है कि राष्ट्रीय जलमार्ग–1, 2 और 3 तथा आईबीपी मार्गों पर वर्ष के दौरान हैंडल किए गए कुल कार्गो 79.005 लाख एमटी और सभी प्रकार के कार्गो की ढुलाई 2.713 बीटीकेएम की गई।

2015–16 के दौरान हुए कार्गो की ढुलाई का संक्षिप्त वार्षिक डाटा

राष्ट्रीय जलमार्ग	एमटी	टीकेएम
रा.ज.–1	3953440	79989587.2
रा.ज.–2	602371	12114556
रा.ज.–3	1061041	10472868
आईबीपी मार्ग	2283684	1890260762
कुल	**7900536**	**2712744062**
	79.00 लाख एमटी	**2.712 बीटीकेएम**

14. जलमार्ग विकास परियोजना

गंगा–भागीरथी–हुगली नदी प्रणाली का हल्दिया–इलाहाबाद खण्ड पर राष्ट्रीय जलमार्ग–1 (रा.ज.–1) उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल राज्यों होकर गुजरता है। यह हल्दिया, हावड़ा, कोलकाता, भागलपुर, पटना, गाजीपुर, वाराणसी और इलाहाबाद जैसे सम्भाव्य वाले मुख्य शहरों और उनके पृष्ठ प्रदेशों सहित गंगा बेसिन पर स्थित अनेक उद्योगों के लिए काफी उपयोगी साबित हुआ है।

नौचालन चैनल की गहराई ही जलमार्ग को नाव्य और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाने की सर्वप्रमुख शर्त होती है। जहां भा.अ.ज.प्रा. हल्दिया और फरक्का के बीच 2.5 मीटर से 3.0 मीटर तक न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) अनुरक्षित करता है। वहीं काफी कम मात्रा में पानी के बहाव होने सहित कठिन जलीय भू–आकृति के कारण पटना और इलाहाबाद के बीच रा.ज. –1 के ऊपरी खण्डों में 2.0 मीटर एलएडी को नहीं बनाया जा सका। संपूर्ण रा.ज.–1 पर इलाहाबाद तक क्षमता विस्तार की काफी मांग हो रही है, क्योंकि संभाव्य वाले पोत वणिक (तापीय विद्युत संयंत्र, सिमेंट कम्पनी, उर्वरक कम्पनी, सिमेंट और फ्लाई ऐश, खाद्य तेल कम्पनी, मारूति सुजुकी, भारतीय खाद्य निगम, इत्यादि) ने रा.ज.–1 का उपयोग करने में रूचि दिखाई है, यदि इसका विकास आवश्यक अवसंरचना के साथ 1500–2000 डेड वेट टनेज (डीडब्ल्यूटी) के बड़े जलयानों के नौचालन के लिए सक्षम होता है।

दिनांक 10.07.2014 को दिए गए वर्ष 2014–15 के अपने बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि जलमार्ग विकास (राष्ट्रीय जलमार्ग–1) नामक गंगा नदी की परियोजना का विकास 1620 कि.मी. क्षेत्र में हल्दिया और इलाहाबाद के बीच की जाएगी, जिससे कम से कम 1500 टन जलयानों का वाणिज्यिक नौचालन होगा तथा यह परियोजना 4200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 6 वर्षों की अवधि में पूरी की जाएगी।

14.1 <u>परियोजना उद्देश्य</u> :

i) राष्ट्रीय जलमार्ग–1 की नाव्यता में सुधार करके (i)1500–2000 डेड वेट टनेज (डीडब्ल्यूटी) के बड़े जलयानों का नौचालन वर्ष में कम से कम 330 दिनों के लिए पूरे कॉरिडोर में कम से कम 3.0 मीटर गहराई सुनिश्चित करने के लिए फेयरवे का विकास और (ii) इस परियोजना के लिए आवश्यक सिविल संरचना, लॉजिस्टिक तथा संचार उपकरण जिसमें टर्मिनलें, जेट्टियाँ, नौचालन लॉक, बैरेज, चैनल चिन्ह प्रणाली, डीजीपीएस का स्वचालित सूचना तकनीक, नदी सूचना प्रणाली (आरआईएस), रात्रि नौचालन सुविधाएं, स्लिपवेज, बंकरिंग सुविधा, नदी सम्बंधी प्रशिक्षण और नदी संरक्षण कार्य, इत्यादि के लिए फेयरवे का विकास शामिल हैं।

ii) भू–तल परिवहन के अन्य माध्यमों जैसे–सड़क और रेल को जोड़ने/सुधार करने से सम्बंधित अवसर का सृजन लॉजिस्टिक चेन की समग्र दक्षता में सुधार के लिए करना। इससे जल परिवहन प्रबंधन की क्षमता में विस्तार संस्थागत मजबूती, क्षमता निर्माण तथा विनिवेश में सुधार के लिए होगा।

14.2 <u>परियोजना विकास अध्ययन</u> :

निम्नलिखित तीन कन्सल्टेंसीज चालू किए गए हैं :–

(1) रा.ज.–1 की क्षमता का विस्तार करने के लिए विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन और इसके आनुषांगिक कार्यों के लिए विस्तृत अभियांत्रिकी अध्ययन मेसर्स होवे इंजिनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) प्रा. लि., मेसर्स वालिंग फोर्ड लि. और मेसर्स रोडिक कन्सल्टेंट्स प्रा. लि. के संयुक्त उद्यम द्वारा कराया जाना है। यह अध्ययन 25.05.2015 को प्रारंभ हुआ था, जो प्रगति में है। परामर्शदाता ने निम्नलिखित रिपोर्ट/दस्तावेज अब तक प्रस्तुत किया है :–

क) प्रारंभिक रिपोर्ट

ख) प्रारंभिक संभाव्यता अध्ययन। इसकी जांच करके स्वीकार कर लिया गया है।

ग)मध्यस्थता कार्यवाही रिपोर्ट

घ) फरक्का में नए नौचालन लॉक के लिए डीपीआर और निविदा कागजात

ड.) वाराणसी में मल्टीमॉडल टर्मिनल के चरण प्रथम (क) के लिए डीपीआर और निविदा कागजात

च) हल्दिया में मल्टीमॉडल टर्मिनल के चरण प्रथम (क) के लिए डीपीआर और निविदा कागजात

छ) साहेबगंज में मल्टीमॉडल टर्मिनल के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट और निविदा कागजात

ज) फरक्का–भागलपुर खण्ड में 3.0 मीटर गहराई के साथ तल की चौड़ाई 45 मीटर के प्रावधान के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट और निविदा कागजात

(2) मेसर्स ईक्यूएमएस इंडिया प्रा. लि., मेसर्स अबनाकी इन्फ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन एण्ड इंटीग्रटेड डेवलपमेंट प्रा. लि. तथा आईआरजी सिस्टम साउथ एशिया प्रा. लि. द्वारा पर्यावर्णिक प्रबंधन योजना (ईएमपी) और पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) सहित पर्यावर्णिक और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन (ईएसआईए)। यह अध्ययन 25.03.2015 को प्रारंभ हुआ जो प्रगति में है। परामर्शदाता ने अब तक निम्नलिखित रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं :–

क) बेसिन लेवल क्रीटिकल रिसोर्स अध्ययन;

ख) वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया मल्टीमॉडल टर्मिनल के लिए मसौदा ईआईए और ईएमपी रिपोर्ट;

ग) वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया मल्टीमॉडल टर्मिनल के लिए मसौदा एसआईए और आरएपी रिपोर्ट;

घ) फरक्का में नए नौचालन लॉक के लिए मसौदा एसआईए एवं आरएपी और मसौदा ईआईए एवं ईएमपी रिपोर्ट;

कृ) वाराणसी के निकट कछुआ वन्य विहार के लिए मसौदा ईआईए रिपोर्ट;

च) रा.ज.–1 के लिए मसौदा संचित ईआईए रिपोर्ट

(3) मेसर्स हम्बर्ग पोर्ट कन्सल्टिंग, मेसर्स यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट कन्सल्टिंग, मेसर्स आईएमएस इमेजिनियर्स सेल चैट गम्भ और मेसर्स रामबोल इंडिया के संयुक्त उद्यम द्वारा रा.ज.–1 की क्षमता का विस्तार करने के लिए अ.ज.प. क्षेत्र विकास रणनीति और बाजार विकास अध्ययन। दिनांक 24.04.2015 को अध्ययन प्रारंभ किया गया, जो प्रगति पर है। परामर्शदाता ने अब तक निम्नलिखित रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं :–

क) प्रारंभिक रिपोर्ट;

ख) वाराणसी, हल्दिया, साहिबगंज, गाजीपुर और जीआर जेट्टी कोलकाता में मल्टीमॉडल टर्मिनल के लिए यातायात अध्ययन रिपोर्ट;

ग) विपणन विकास विश्लेषण रिपोर्ट के भाग–क के लिए अंतिम मसौदा;

घ) भाग–ख संस्थागत विकास अध्ययन की अंतिम मसौदा रिपोर्ट;

ड.) अ.ज.प. विकास रणनीति का मसौदा भाग–ग

14.3 जल मार्ग विकास परियोजना की उप–परियोजनाएं

(क) वाराणसी में मल्टीमॉडल टर्मिनल

भा.अ.ज.प्रा. के पास पहले से ही 5.586 हेक्टेयर भूमि कब्जे में है, जो रामनगर, वाराणसी में 3.95 करोड़ रु. की लागत पर वर्ष 2010 में अधिग्रहित की गई थी। टर्मिनल का चरण–। (क) मुख्य रूप से नदी के किनारे का कार्य इस भूमि पर 196 करोड़ रु. की लागत पर कार्यान्वित किया जा रहा है। ईपीसी मोड में तकनीकी डिजाइन और टर्मिनल का आधारशिला कार्गो डाटा, बाजार विश्लेषण और ईआईए/एसआईए अध्ययन द्वारा तैयार किया गया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में इलाहाबाद हाईकोर्ट की खण्डपीठ के दिनांक 28.04.2016 को जारी आदेश द्वारा वाराणसी में अ.ज.प. टर्मिनल बनाने की अनुमति भा.अ.ज.प्रा. को मिल गई है। टर्मिनल के चरण–। (क) के निर्माण के लिए संविदा पर मेसर्स एफकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा. लि. के साथ दिनांक 13 मई, 2016 को हस्ताक्षर किया गया था। भूमि संविदाकार को सौंप दी गई है और कार्य प्रारंभ हो गया है।

जीवनाथपुर से वाराणसी टर्मिनल तक रेल सम्बद्धता पर परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच उत्तर–मध्य रेलवे, इलाहाबाद द्वारा अनुमोदन हेतु की जा रही है। तदुपरांत 22 हेक्टेयर भूमि की मांग जिलाधिकारी, वाराणसी की जाएगी।

(ख) साहिबगंज में मल्टीमॉडल टर्मिनल

मुख्य टर्मिनल के लिए 183.13 एकड़ भूमि और सड़क से सम्बद्धता के लिए 8.7 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु आवेदन राज्य सरकार को किया गया है। 79 करोड़ रु. अब तक झारखण्ड सरकार के पास जमा करा दिए गए हैं। 111 एकड़ भूमि को सौंपने की सूची पहले ही तैयार कर दी गई है जो कि राज्य सरकार के पास अंतिम चरण में है। मल्टीमॉडल टर्मिनल के निर्माण के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन की लागत सहित 187 करोड़ रु. की कुल लागत पर भूमि की अधिग्रहण के प्रस्ताव का मूल्यांकन सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 16.02.2016 को आयोजित एसएफसी की बैठक में किया गया था। सक्षम प्राधिकारी ने परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास पर आने वाली लागत सहित 187 करोड़ रु. की लागत पर 195 एकड़ भूमि को अधिग्रहित करने के प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी ने अनुमोदन प्रदान कर दिया है। टर्मिनल के चरण–। की निविदा देने का कार्य प्रगति पर है।

(ग) हल्दिया में मल्टीमॉडल टर्मिनल

टर्मिनल निर्माण के लिए हल्दिया डॉक कम्प्लेक्स से 30 वर्ष की पट्टे पर 61 एकड़ भूमि ली गई है। निदेशक, भा.अ.ज.प्रा., कोलकाता द्वारा भूमि कब्जे में ले ली गई है। टर्मिनल के चरण–। के निर्माण की अनुमानित लागत 495 करोड़ रु. है।

(घ) फरक्का में नए नौचालन लॉक

एफबीपी से पोत परिवहन मंत्रालय को भूमि अंतरण के प्रस्ताव पर दिनांक 06.01.2016 को आयोजित बैठक में कैबिनेट द्वारा विचार–विमर्श करके अनुमोदित कर दिया गया था। इस भूमि का अंतरण फरक्का बैरेज परियोजना से भा.अ.ज.प्रा. को दिनांक 02.03.2016 को हुआ था। भू–तकनीकी जांच पूरी कर ली गई है। फरक्का बैरेज परियोजना, केन्द्रीय जल आयोग के परामर्श से नए नौचालन लॉक के विस्तृत तकनीकी डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है। भूमि की लागत को छोड़कर नौचालन लॉक के निर्माण की अनुमानित लागत 380 करोड़ रु. है।

(ड) फरक्का–कहलगांव खण्ड में 3 मीटर की न्यूनतम सुनिश्चित गहराई और 35 से 45 मीटर चौड़ाई के बॉटम चैनल का प्रावधान :

प्रस्तावित कार्य के उद्देश्य में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(i) प्रस्ताव के पूरे पाँच वर्ष की अवधि के दौरान 3 मीटर की न्यूनतम गहराई सुनिश्चित करना

(ii) प्रस्ताव के प्रथम दो वर्षों के दौरान 35 मीटर के बॉटम चैनल का अनुरक्षण

(iii) प्रस्ताव के तीसरे, चौथे और पांचवे वर्ष के दौरान 45 मीटर के बॉटम चैनल का अनुरक्षण तथा

(iv) पूरे प्रस्ताव अवधि के दौरान नौचालन सम्बंधी सहायता का स्थापन और अनुरक्षण

परियोजना की अनुमानित लागत 162.93 करोड़ रुपए है।

अनुलग्नक–1

111 – राष्ट्रीय जलमार्ग सूची

राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या	राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	राज्य
1	गंगा–भागीरथी–हुगली	1620	उ.प्र., बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल
2	ब्रह्मपुत्र	891	असम
3	चंपाकारा और उद्योगमंडल कैनाल सहित पश्चिम तट कैनाल	365	केरल
4	गोदावरी और कृष्णा नदी सहित काकीनाडा पुदुचेरी कैनाल	2890	तमिल नाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
5	ब्रह्मणी और महानदी डेल्टा सहित पूर्व तट कैनाल	588	ओडिशा, पश्चिम बंगाल
6	आई	71	असम
7	अजॉय (अजय)	96	पश्चिम बंगाल
8	अलापुझा–चंगानेशरी कैनाल	28	केरल
9	अलापुझा–कोट्टायम–अथिरमपुझा कैनाल	38	केरल
10	अम्बा नदी	45	महाराष्ट्र
11	अरूणावति / अरण नदी	98	महाराष्ट्र
12	असि	5ण्5	उ.प्र.
13	एवीएम कैनाल (कन्याकुमारी से कोल्लम)	11	तमिल नाडु
14	बैतरणी नदी	49	ओडिशा
15	बक्रेश्वर / मयूराक्षी नदी	137	पश्चिम बंगाल
16	बराक	121	असम
17	बिस	191	हिमाचल प्रदेश और पंजाब
18	बेकी	73	असम
19	बेतवा	68	उ.प्र.

राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या	राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	राज्य
20	भवानी नदी	94	तमिल नाडु
21	भीमा	139	तेलंगाना और कर्नाटक
22	बिरूपा / बड़ी गेंगुटी / ब्रह्मणी नदी प्रणाली	156	ओडिशा
23	बूढ़ा बलंगा	56	ओडिशा
24	चंबल	60	उ.प्र.
25	चपोरा	33	गोवा
26	चेनाब	53	जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब
27	कुम्बरजुआ	17	गोवा
28	दाभोल क्रीक / वशिष्टी नदी	45	महाराष्ट्र
29	दामोदर	135	पश्चिम बंगाल
30	देहिंग	114	असम
31	धनसिरि / कैथी	110	असम
32	दिखु	63	असम
33	दोयांस	61	असम
34	डीवीसी कैनाल	130	पश्चिम बंगाल
35	द्वारकेश्वर	113	पश्चिम बंगाल
36	द्वारका	121	पश्चिम बंगाल
37	गंडक	300	बिहार और उ.प्र.
38	गंगाधर	62	असम और पश्चिम बंगाल
39	गैनोल नदी	49	मेघालय
40	घाघरा नदी	340	बिहार और उ.प्र.
41	घाटप्रभा	112	कर्नाटक
42	गोमती	518	उ.प्र.
43	गुरूपुर	10	कर्नाटक
44	इचामती	64	पश्चिम बंगाल
45	इंदिरा गाँधी कैनाल	650	हरियाणा, पंजाब और राजस्थान
46	इंडस	35	जम्मू और कश्मीर
47	**जलंगी**	131	**पश्चिम बंगाल**
48	ज्वाई – लूनी नदी और कच्छ का रण	590	राजस्थान और गुजरात

राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या	राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	राज्य
49	झेलम	110	जम्मू और कश्मीर
50	जिंजीराम नदी	43	मेघालय और असम
51	काबिनी	23	कर्नाटक
52	काली	54	कर्नाटक
53	कल्याण–थाणे–मुम्बई जलमार्ग, वसाई क्रीक और उल्हास नदी	145	महाराष्ट्र
54	करमनासा	86	उ.प्र. और बिहार
55	कावेरी /कोल्लीडैम नदी	364	तमिल नाडु
56	खेरकई	23	झारखण्ड
57	कोपिली नदी	46	असम
58	कोसी	236	बिहार
59	कोट्टयम–वयकॉम कैनाल	28	केरल
60	कुमारी	77	पश्चिम बंगाल
61	किंशी नदी	28	मेघालय
62	लोहित	100	असम
63	लूनी	327	राजस्थान
64	महानदी	425	ओडिसा
65	महानन्दा	81	पश्चिम बंगाल
66	महि	248	गुजरात
67	मालप्रभा	94	कर्नाटक
68	मंडोवी	41	गोवा
69	मणिमुथरू	5	तमिल नाडु
70	मंजरा	242	महाराष्ट्र और तेलंगाना
71	मपुसा / मोईद नदी	27	गोवा
72	नाग	60	महाराष्ट्र
73	नर्मदा	227	गुजरात
74	नेत्रवती	78	कर्नाटक
75	पलार	141	तमिल नाडु

राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या	राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	राज्य
76	पंचागंगावलि (पंचागंगोली)	23	कर्नाटक
77	पझयार	20	तमिल नाडु
78	पेन गंगा / वर्धा	265	महराष्ट्र और तेलंगाना
79	पेन्नार	29	आंध्र प्रदेश
80	पोन्नियार	125	तमिल नाडु
81	पुनपुन	35	बिहार
82	पुथीमारी	72	असम
83	राजपुरी क्रीक	31	महाराष्ट्र
84	रावी	42	हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर
85	रेवदंदा क्रीक/कुदालिका नदी	31	महाराष्ट्र
86	रूपनारायण नदी	72	पश्चिम बंगाल
87	साबरमति	212	गुजरात
88	साल	14	गोवा
89	सावित्री नदी (बैंकट क्रीक)	46	महाराष्ट्र
90	शरावती नदी	29	कर्नाटक
91	शास्त्री नदी / जयगाद क्रीक	52	महाराष्ट्र
92	सिलाबटी	26	पश्चिम बंगाल
93	सिमसैंग नदी	62	मेघालय
94	सोन	160	बिहार
95	सुबंसिरि	111	असम
96	सुवर्णरेखा नदी	314	झारखण्ड, पश्चिम बंगाल और ओडिसा
97	सुंदरबन जलमार्ग	654	पश्चिम बंगाल
	बिद्या नदी		पश्चिम बंगाल
	छोटा कालागाछी (छोटो कालेरगाची) नदी		पश्चिम बंगाल
	गोमर		पश्चिम बंगाल
	हरिभंगा नदी		पश्चिम बंगाल
	हुगला (होगल) – पठानखली नदी		पश्चिम बंगाल

राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या	राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	राज्य
	कालिंदी (कालंदी) नदी		पश्चिम बंगाल
	कटाखली नदी		पश्चिम बंगाल
	मत्ला नदी		पश्चिम बंगाल
	मूरी गंगा (बराताला) नदी		पश्चिम बंगाल
	रायमंगल नदी		पश्चिम बंगाल
	साहिबखली (साहेबखली) नदी		पश्चिम बंगाल
	सप्तमुखी नदी		पश्चिम बंगाल
	थाकुरन नदी		पश्चिम बंगाल
98	सतलज	377	पंजाब और हिमाचल प्रदेश
99	टमरापरानी	64	तमिल नाडु
100	तापी	436	महाराष्ट्र और गुजरात
101	तिझु/जुंगकी नदी	42	नागालैंड
102	त्वांग (धलेश्वरी)	86	मिजोरम
103	टोन्स	73	उ.प्र.
104	तुंगभद्रा	230	तेलंगाना, कर्नाटक और उ.प्र.
105	उदयवारा	16	कर्नाटक
106	उमंगॉट (दाउकी) नदी	20	मेघालय
107	वैगई	45	तमिल नाडु
108	वरूणा नदी	53	उ.प्र.
109	वेनगंगा /प्रणहिता नदी	164	महाराष्ट्र और तेलंगाना
110	यमुना	1089	हरियाणा, उ.प्र. और दिल्ली
111	जुआरी	50	गोवा

15. वित्तीय निष्पादन

क. आय और व्यय

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार से 32191.00 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई थी और 1249.12 लाख रुपए की राशि प्राधिकरण द्वारा अल्पावधि जमा पर ब्याज, टेंडर फर्मों की बिक्री, वृहत आकार के कार्गो/सामान्य कार्गो की ढुलाई, बर्थिंग/पायलटेज प्रभार इत्यादि से अर्जित की गई थी। मुख्य स्कीमों के अनुसार व्यय के ब्योरे निम्नलिखित हैं :–

(रु. लाख में)

क्र.सं0	योजना का नाम	व्यय	
		गत वर्ष 2014–15	चालू वर्ष 2015–16
1.	तकनीकी अध्ययन	77.00	98.50
2.	ऋण ब्याज इमदाद/आईवीबीबीएस	..	.
3.			राष्ट्रीय जलमार्ग सं0–1
क.	नदी संरक्षण कार्य	3703.23	3519.70
ख.	कार्गो बर्थ /टर्मिनलों का निर्माण	153.19	99.73
ग.	निकर्षकों एवं एलाइड जलयानों का निर्माण	75.99-	-
घ.	कार्य नौकाओं का अधिग्रहण	878.16	-
ड.	स्टील पांतून की अधिप्राप्ति	-	28.04
च.	डीजीपीएस स्टेशन का स्थापन	33.54	61.83
छ.	पटना में कार्यालय भवन का निर्माण	78.62	-
ज.	आरआईएस प्रणाली का स्थापन	1047.57	664.27
झ.	निनी	304.86	236.67
4.			राष्ट्रीय जलमार्ग सं0–2
क.	नदी संरक्षण कार्य	1403.77	1436.31
ख.	टर्मिनलों का निर्माण	839.26	467.49
ग.	रो–रो टर्मिनल का निर्माण	-	2182.00
घ.	रो–रो जलयानों का निर्माण		327.12
ड.	जोगीग में तट रक्षण कार्य		546.20
च.	कार्य नौकाओंका निर्माण	1358.11	2595.54
छ.	स्लिपवे		253.79
ज.	प्रोटोकॉल मार्ग (एकल नाव) का विकास	132.31	130.83
झ.	सर्वे उपकरण का निर्माण	-	-

5			**राष्ट्रीय जलमार्ग सं0–3**
क.	नदी संरक्षण कार्य	948.12	740.88
ख.	टर्मिनलों का निर्माण	86.97	90.13
ग.	सर्वे उपकरण की अधिप्राप्ति	35.44	0.72
6.			**राष्ट्रीय जलमार्ग सं0– 4**
क.	विकासात्मक कार्य	179.06	256.97
7.			**राष्ट्रीय जलमार्ग सं0–5**
क.	विकासात्मक कार्य	61.86	385.14
8.	आई.टी. संबंधी कार्यकलापों पर व्यय	9.77	23.09
9.	नोएडा में कार्यालय सह आर एंव डी परिसर का ऊपरी विस्तार	6.51	-
10.	जलमार्ग विकास (इलाहाबाद–हल्दिया) वि व बैंक परियोजना	78.39	14144.07
11.	अ.ज.प. विकास निधि	203.36	178.85
12.	स्थापना	3589.77	3389.65
13.	परियोजना प्रबंधन परामर्शी		226.39
14.	पीपीपी परियोजना व्यय		183.05
15.	नए राष्ट्रीय जलमार्ग		145.74
	कुल	**15203.87**	**32412.70**

ख. **स्रोत और निधि का विनियोग** :–

(लाख रूपए में)

क्र.सं0	**योजना का नाम**	**व्यय**	
		गत वर्ष 2014–15	**चालू वर्ष 2015–16**
	स्रोत		
1.	पूंजी अनुदान में वृद्धि	3243.00	18901.66
2.	कार्यशील पूंजी में कमी	3569.72	-
3.	पूंजीगत कार्य की प्रगति में कमी	2675.11	4297.82
	कुल	**9487.83**	**23199.48**
	विनियोग		
1.	स्थायी परिसम्पत्तियों में वृद्धि	9487.83	10713.22
2.	पूंजीगत कार्य की प्रगति में वृद्धि	-	-
3.	कार्यशील पूंजी में वृद्धि	-	12486.26
	कुल	**9487.83**	**23199.48**

ग. वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए रोकड़ प्रवाह के विवरण

(रु.लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2015–16
प्रचालन संबंधी कार्यकलाप से रोकड़ प्रवाह		
आय से अधिक व्यय	(1,903.91)	(1,135.59)
सरकार से राजस्व अनुदान	(11,817.44)	(13,800.60)
पूंजी आरक्षित	(6.19)	(7.49)
मूल्यह्रास	2,882.14	2,219.85
प्रतिस्थापन आरक्षित	(2,875.99)	(2,212.35)
चुकता ब्याज		
हानि : ब्याज से आय	(333.74)	(555.96)
जोड़ : स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि/बट्टट खाता	21.04	-
हानिः स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ		(1.82)
भंडार के लोप के लिए प्रावधान		-
कार्मिकों के लाभ हेतु खुले आरक्षित का प्रावधान		-
प्रचालन लाभ	(14,034.09)	(15,493.96)
परिवर्तनीय कार्यशील पूंजी का समायोजन		
भंडारण में वृद्धि/कमी	(86.59)	21.87
ऋण और अग्रिम में वृद्धि/कमी	3,341.08	(9,334.11)
अन्य के खाते में जमा में वृद्धि/कमी	727.63	(318.67)
चालू दायित्वों में वृद्धि/कमी	820.43	2,351.76
अन्य दायित्वों और प्रावधानों में वृद्धि/कमी	1,110.77	914.42
प्रचालन से सृजित रोकड़	(8,120.77)	(21,858.69)
आयकर (शुद्ध)		
प्रचालन संबंधी कार्यकलाप से रोकड़ प्रवाह(क)	(8,120.77)	(21,858.69)

निवेश संबंधी कार्यकलाप से रोकड़ प्रवाह		
स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद	(9,661.46)	(12,004.38)
पट्टा भूमि हेतु भुगतान	-	(3,959.28)
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री	173.62	1,291.17
परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	(21.08)	1.82
प्रतिस्थापन आरक्षित से		
सीडब्ल्यूआईपी में कमी	2,675.11	4,297.83
सरकारी प्रतिभूति में निवेश	(168.86)	(34.48)
सरकारी प्रतिभूति के अतिरिक्त की बिक्री	49.97	0.03
सरकारी अनुदान की प्राप्ति	15,081.82	32,702.97
ब्याज से आय	333.70	555.96
निवेश संबंधी कार्यकलाप से रोकड़ प्रवाह (ख)	8,462.82	22,851.64
वित्तीय कार्यकलाप से रोकड़ प्रवाह		
बैंक ओवर ड्राफ्ट में वृद्धि/कमी		
लाभांश और कारपोरेट लाभांश कर		
ब्याज भुगतान		
वित्तीय कार्यकलाप से रोकड़ प्रवाह(ग)		
वर्ष के दौरान रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में कुल वृद्धि/कमी	342.05	992.95
वर्ष के प्रारंभ में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	3,404.33	3,746.38
वर्ष के अंत में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	3,746.38	4,739.33

16. प्राधिकरण में संघ सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयनः 2015–16

प्राधिकरण अपने सभी कार्यकलापों में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु प्रगामी रूप में कार्य करने के लिए कटिबद्ध है। प्राधिकरण के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में समय–समय पर हिन्दी कार्यशालाएं और अन्य संबंधित कार्यकलाप आयोजित किए गए। प्राधिकरण के मुख्यालय एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी दिवस/ सप्ताह/पखवाड़ा आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी कार्यालयों में विभिन्न प्रकार की हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा भा. अ. ज. प्रा. को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) नौएडा के सभी सदस्य कार्यालयों में भारत सरकार की राजभाषा नीति को कार्यान्वित कराने का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा गया है। भा0 अ0 ज0 प्रा0 के अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष हैं। नराकास, नौएडा के विभिन्न सदस्य कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं पर विचार–विमर्श करने के लिए अर्द्धवार्षिक बैठक नियमित रूप से आयोजित की गई। सदस्य कार्यालयों के कार्मिकों को राजभाषा हिन्दी में अधिक से अधिक काम करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु समय–समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, कार्यशालाएं और अन्य संबंधित गतिविधियाँ न0 रा0 का0 स0, नौएडा के तत्वावधान में आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक लाने वाले सदस्य कार्यालयों के कार्मिकों के बच्चों को प्रत्येक वर्ष 'हिन्दी प्रतिभा पुरस्कार' से सम्मानित किया जाता है।

17. कार्मिक और प्रशासन

यथा दिनांक 31.03.2016 को मुख्यालय में 30 अधिकारी एवं 64 स्टाफ तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में 47 अधिकारी एवं 162 स्टाफ कार्यरत थे। प्राधिकरण ने पद पुनर्संरचना प्रस्ताव को स्वीकृत किया है और यह भारत सरकार के विचाराधीन है।

आभारोक्ति

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर दिए गए अमूल्य सहयोग और योगदान के लिए कृतज्ञता सहित आभार व्यक्त करता है।

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत के लेखा नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक और अन्य सरकारी विभागों / अभिकरणों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करता है।

कृते एवं भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के निमित्त

(अमिताभ वर्मा)
अध्यक्ष

भारतीय अन्तर्देशीय
तुलन पत्र यथा

गत वर्ष (रुपए)	पूँजी एवं दायित्व	अनुसूची संख्या	चालू वर्ष (रुपए)	
1	2	3	4	5
	पूँजी			
9,437,244	पूँजी यू/एस 11 (i) (ग)		9,437,244	
8,585,231,285	पूँजी अनुदान यू/एस 18		10,469,420,936	
(1,934,434,668)	न्यून प्रतिस्थापन आरक्षित		(2,153,194,589)	
(5,976,407)	विस्थापन पट्टा किराया			8,325,663,591
	आरक्षित एवं अधिशेष			
15,010,367	पूँजी आरक्षित		15,121,007	
(6,784,509)	कटौती		(7,533,306)	7,587,701
	सामान्य रिजर्व			
	कटौती			
	उधारी			
	चालू दायित्व एवं प्रावधान			
395,590,039	चालू दायित्व	I	630,765,909	
391,835,091	प्रावधान		483,237,198	
170,626,939	अन्यों के खातों में जमा		138,760,938	1,252,764,045
7,620,535,381	**योग**			**9,586,015,337**

अनुसूची I से VIII लेखा के अभिन्न भाग हैं।

(अजय कुमार गुप्ता)
मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी)

(प्रवीर पाण्डेय)
उपाध्यक्ष / सदस्य (वित्त)

जलमार्ग प्राधिकरण

दिनांक 31 मार्च, 2016

गत वर्ष (रुपए)	संपत्ति एवं परिसंपत्तियाँ	अनुसूची संख्या	चालू वर्ष (रुपए)	
6	7	8	9	10
	स्थायी परिसम्पत्तियाँ	II		
6,784,036,815	सकल ब्लॉक		7,855,358,401	
1,941,219,177	न्यून मूल्य ह्रास		2,160,727,895	
4,842,817,638	शुद्ध ब्लॉक		-	5,694,630,506
24,448,916	पट्टा भूमि		414,400,569	
(5,976,407)	न्यून बट्टा		-	414,400,569
1,022,573,182	पूँजीगत कार्य में प्रगति			592,790,739
-	**निवेश (लागत पर)**		-	-
71,261,202	सरकारी प्रतिभूति		-	74,709,494
303,289	से इतर सरकारी प्रतिभूति		-	300,000
	चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	III		
47,532,851	भंडार, कलपुर्जे एवं उपकरण		45,345,796	
-	लागत पर विविध देनदार जमा, ऋण एवं		-	
920,906,618	अग्रिम		1,854,316,869	
374,637,566	नकद एवं बैंक शेष		473,932,833	2,373,595,498
	विविध व्यय			
322,030,526	आय एवं व्यय खाता (नामे शेष)			435,588,531
7,620,535,381	**योग**			**9,586,015,337**

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(अमिताभ वर्मा)
अध्यक्ष

भारतीय अन्तर्देशीय
दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त

गत वर्ष (रुपए)	व्यय	अनुसूची संख्या	चालू वर्ष (रुपए)	
1	2	3	4	5
	प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्चे			
		IV		
	वेतन और भत्ते एवं			
204,495,317	अन्य स्टाफ लागतें		210,691,590	
95,359,068	सर्वेक्षण		58,601,313	
195,296,899	निकर्षण		318,825,144	
64,970,466	बंडालिंग		76,185,313	
-	नौचालन एवं चैनल मार्किंग			
15,653,381	के लिए सहायता		21,471,259	
108,018,802	टर्मिनल सुविधाएं		115,199,387	
101,205,706	जलयान मरम्मत		53,849,509	
27,175,095	प्रशिक्षण संस्थान निनी		23,667,313	
76,392,055	रात्रि नौचालन		77,362,657	
-	पी.पी.पी. परियोजना		18,305,000	
117,459,000	तट रक्षण		-	
-	परियोजना प्रबंधन और परामर्शी		16,198,758	
	परामर्शी शुल्क		155,455,440	
12,524,495	प्रोटोकॉल		13,083,031	
	नए राष्ट्रीय जलमार्ग		14,573,805	
54,365,485	अन्य प्रशासनिक एवं विविध खर्चे		25,594,844	1,199,064,363
	प्रशासनिक खर्चे			
	वेतन और भत्ते एवं			
117,183,737	अन्य स्टाफ लागतें	V		113,337,524
24,792,313	सामान्य एवं अन्य खर्चे	VI	-	28,563,002
	वित्तीय प्रभार			
			-	-
70,783	बैंक कमीशन / प्रभार		-	89,652
977,157	ब्याज आई.टी. खर्चे			2,308,968
	बट्टे खाते में डालना			
	विदेशी मुद्रा			
8,743,680	तकनीकी अध्ययन एवं परामर्शी शुल्क		-	16,205,880
-			-	
288,213,604	मूल्य ह्रास		-	221,984,444
-	इमदाद		-	-
2,108,001	परिसम्पत्तियों की बिक्री पर		-	-
-	हानि / कीमत / बट्टे खाते में डालना			
19,513,142	अ0 ज0 प0 प्रोन्नयन संबंधी कार्यकलाप		-	17,884,709
29,300,172	पूर्वावधि समायोजन लेखा			2,605,970
1,563,818,358	**योग**			**1,602,044,512**

(अजय कुमार गुप्ता)
मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी)

(प्रवीर पाण्डेय)
उपाध्यक्ष / सदस्य (वित्त)

जलमार्ग प्राधिकरण
वर्ष के लिए आय एवं व्यय

गत वर्ष (रुपए)	आय	अनुसूची संख्या	चालू वर्ष (रुपए)	
6	7	8	9	10
1,181,741,586	सरकार के राजस्व अनुदान			1,380,060,068
33,374,196	ब्याज / आय		55,595,641	
	परामर्शी शुल्क		-	
6,500	स्टोरेज और हैंडलिंग प्रभार		4,955,792	
204,176	घाट शुल्क		-	
	डिमरेज		-	
502,032	पायलटेज प्रभार		332,250	
2,669,715	बर्थिंग प्रभार		3,791,821	
43,862,706	अन्य		22,821,358	
12,777,163	विविध प्राप्तियाँ		38,836,346	
466,680	टर्मिनल किराया		83,100	
	स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ (आंतरिक आवती से सरकार और केएमपीयू को देय आय प्रदर्शित नहीं होता है)			
-			182,810	
			126,599,118	
619,037	उभय प्रविष्टियों के अनुसार			748,797
287,594,567	पूँजी आरक्षित			221,235,647
-	पूर्वावधि समायोजन			-
-	आय से व्यय की अधिकता को तुलन पत्र में दर्शाया गया			-
1,563,818,358	**योग**			**1,602,044,512**

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(अमिताभ वर्मा)
अध्यक्ष

अन्य अनुसूचियाँ

एवं

अंकेक्षण रिपोर्ट

अनुसूची–I

चालू दायित्व और प्रावधान यथा दिनांक 31.03.2016

गत वर्ष (रुपए)	विवरण	चालू वर्ष (अंक रुपयों में)	
	(क) चालू दायित्व		
-		-	
1,485,150	(i) फुटकर लेनदारों के लिए दायित्व	36,734	
223,254,486	(ii) खर्चों के लिए दायित्व	344,228,623	
	(iii) अधिशेष में प्राप्त अनुदान		
	(iv) आंतरिक आवती का दायित्व	124,912,196	
	(v) कालादान परियोजना का दायित्व	1,686,922	
170,850,403	(vi) अन्य	159,901,434	630,765,909
	(ख) प्रावधान		
-	(i) उपदान हेतु प्रावधान	498,564	
1,143,071	(ii) अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान हेतु प्रावधान (प्रतिनियुक्ति)	978,215	
904,948	(iii) बोनस के लिए प्रावधान	894,331	
391,895,344	(iv) पेंशन एवं उपदान अंशदान के लिए प्रावधान	480,866,088	
-	(v) अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	-	-
78,565	(vi) नई पेंशन का प्रावधान	-	483,237,198
	(ग) अन्यों के खातों में जमा		
170,626,939	विविध पार्टियाँ	138,760,938	138,760,938
960,238,906	**योग**		**1,252,764,045**

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(अजय कुमार गुप्ता)
मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी)

(प्रवीर पाण्डेय)
उपाध्यक्ष / सदस्य (वित्त)

(अमिताभ वर्मा)
अध्यक्ष

भारतीय अन्तर्देशीय
स्थायी परिसम्पत्तियों की अनुसूची

	विवरण	31.03.2015 को सकल ब्लॉक	वर्ष के दौरान जोड़	समायोजन/ कटौतियाँ
1	2	3	4	5
नौएडा	सर्वे उपकरण	2,503,166	-	-
	वाहन	2,312,373	-	(887,772)
	फर्नीचर एवं उपस्कर	5,170,980	67,790	-
	कार्यालय उपकरण	4,864,740	260,510	-
	बिजली अधिष्ठापन	10,185,045	218,989	
	वातानुकूलन यंत्र	20,538,986	471,603	
	जलशीतलक एवं प्रशीतलक	182,751	-	
	पंखे एवं वायुशीतलक	1,183,023	3,990	
	जनरेटर सेट	7,047,195	-	
	साइकिल	27,711	-	
	अस्थायी संरचना	539,260	-	
	पुस्तकालय पुस्तकें	1,120,746	51,025	
	कम्प्यूटर	16,444,942	571,163	-
	संचार उपकरण	778,471	744,949	
	भवन	104,654,503	5,522,396	
	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	1,515,011	-	
	आवासीय क्वार्टर	30,732,753	-	
	कार पार्किंग	23,392,491	-	
	यात्री लिफ्ट	4,612,400	-	
	योग (क)	**237,806,547**	**7,912,415**	**(887,772)**
कोलकाता	टर्मिनल	422,436,441	8,241,719	-
	वाहन	2,354,787	-	(1,170,738)
	फर्नीचर एवं उपस्कर	1,449,466	-	
	कार्यालय उपकरण	651,567	29,000	-
	बिजली अधिष्ठापन	67,889	-	-
	सर्वे उपकरण	25,446,600	-	
	पुस्तकालय पुस्तकें	127,535	2,665	
	गति नौकाएं	2,961,016	-	1,271,668
	जलयान साधारण	206,991,004	-	12,751,129
	पंखे एवं वायुशीतलक	76,323	14,750	
	संचार नेटवर्क	450,413	66,900	
	बार्ज	120,666,602	-	
	साइकिल	5,975	-	
	जलयान निकर्षक एकक	492,389,907	-	(52,862,958)
	कम्प्यूटर	2,585,482	59,500	
	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	1,679,784	-	
	रात्रि नौचालन उपकरण	43,850,743	7,118,250	(13,495)
	वातानुकूलन यंत्र	658,854	70,000	-
	जेनरेटर सेट	1,185,869	-	
	आरआईएस स्टेशन संरचना/उपकरण		160,368,112	
	डीजीपीएस स्टेशन	14,215,359	-	
	योग (ख)	**1,340,251,616**	**175,970,896**	**(40,024,394)**

(अजय कुमार गुप्ता)
मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी)

(प्रवीर पाण्डेय)
उपाध्यक्ष / सदस्य (वित्त)

जलमार्ग प्राधिकरण
यथा दिनांक 31.03.2016

अनुसूची–II

(अंक रुपए में)

31.03.2016 को सकल ब्लॉक	मूल्य ह्रास		बिक्री / हस्तांतरित परिसम्पत्तियों का समायोजन	31.03.2016 को कुल मूल्यह्रास	31.03.2016 को शुद्ध ब्लॉक
	31.03.2015 को	वर्ष हेतु			
(3+4+5)				(7+8+9)	(6-10)
6	7	8	9	10	11
2,503,166	1,302,707	1,075,301	-	2,378,008	125,158
1,424,601	1,405,680	124,274	(890,884)	639,070	785,531
5,238,770	3,418,168	355,448	-	3,773,616	1,465,154
5,125,250	2,084,654	1,310,665	-	3,395,319	1,729,931
10,404,034	1,721,005	1,087,004	-	2,808,009	7,596,025
21,010,589	3,219,046	2,103,204	-	5,322,250	15,688,339
			-		
182,751	119,840	34,058	-	153,898	28,853
1,187,013	884,861	219,426	-	1,104,287	82,726
7,047,195	1,334,993	562,797	-	1,897,790	5,149,405
27,711	23,793	587	-	24,380	3,331
539,260	539,260	-	-	539,260	-
1,171,771	1,120,746	51,025	-	1,171,771	-
17,016,105	13,109,254	2,188,674	-	15,297,928	1,718,177
1,523,420	739,548	141,540	-	881,088	642,332
110,176,899	27,293,899	1,633,366	-	28,927,265	81,249,634
1,515,011	1,179,382	196,714	-	1,376,096	138,915
30,732,753	6,512,272	472,634	-	6,984,906	23,747,847
23,392,491	2,222,286	338,977	-	2,561,263	20,831,228
4,612,400	438,178	66,838	-	505,016	4,107,384
244,831,190	**68,669,572**	**11,962,532**	**(890,884)**	**79,741,220**	**165,089,970**
430,678,160	34,812,510	11,925,192	-	46,737,702	383,940,458
1,184,049	1,290,303	94,852	(1,112,201)	272,954	911,095
1,449,466	708,900	158,968		867,868	581,598
680,567	299,624	238,900		538,524	142,043
67,889	24,764	11,891	-	36,655	31,234
25,446,600	14,006,096	1,469,414	-	15,475,510	9,971,090
130,200	127,535	2,665		130,200	-
4,232,684	2,587,076	51,157	1,129,605	3,767,838	464,846
219,742,133	81,571,780	6,291,185	(4,226,007)	83,636,958	136,105,175
91,073	40,514	11,799		52,313	38,760
517,313	298,549	135,678		434,227	83,086
120,666,602	29,292,982	2,427,482	-	31,720,464	88,946,138
5,975	3,798	230		4,028	1,947
439,526,949	163,228,588	11,078,779	(50,689,411)	123,617,956	315,908,993
2,644,982	2,186,723	250,190		2,436,913	208,069
1,679,784	1,346,739	244,180		1,590,919	88,865
50,955,498	14,732,980	4,335,143	-	19,068,123	31,887,375
728,854	128,606	80,332	-	208,938	519,916
1,185,869	222,921	77,893	-	300,814	885,055
160,368,112		9,212,858		9,212,858	151,155,254
14,215,359	2,925,522	705,271		3,630,793	10,584,566
1,476,198,118	**349,836,510**	**48,804,059**	**(54,898,014)**	**343,742,555**	**1,132,455,563**

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(अमिताभ वर्मा)
अध्यक्ष

भारतीय अन्तर्देशीय
स्थायी परिसम्पत्तियों की अनुसूची

	विवरण	31.03.2015 को सकल ब्लॉक	वर्ष के दौरान जोड़	समायोजन/ कटौतियाँ
1	2	3	4	5
पटना	भूमि	35,051,542	-	
	वाहन	1,982,617	-	-
	फर्नीचर एवं उपस्कर	2,061,235	-	-
	कार्यालय उपकरण	181,263	14,600	-
	बिजली अधिष्ठापन	6,885	-	-
	वातानुकूलन यंत्र	1,210,025	-	-
	जलशीतलक एवं	-		
	प्रशीतलक	31,450	39,500	-
	जेनरेटर सेट	-		-
	सर्वे उपकरण	16,519,165	-	-
	जलयान : निकर्षक एकक	342,348,611	141,307,107	263,371,824
	जलयान : साधारण	137,428,270	-	(28,608,868)
	गति नौकाएं	3,654,977	-	(1,271,668)
	बार्ज	84,062,200	-	
	अस्थायी संरचना	1,018,158	-	(1,018,158)
	कम्प्यूटर	3,909,679	49,900	-
	पुस्तकालय पुस्तकें	75,787	13,879	
	सर्वे उपकरण (कम्प्यूटर)	4,837,917	-	-
	सर्वे स्तंभ	649,995		
	संचार उपकरण	1,118,858	-	-
	भवन	-	49,719,000	-
	टर्मिनल एवं भवन	602,909,758	-	-
	रात्रि नौचालन बोया	9,277,200		
	डीजीपीएस स्टेशन	32,245,501	-	-
	बीकन टावर	15,895,321	-	
	शोल विश्लेषण		3,335,236	
	क्रेन	46,326,824	-	
	योग (ग)	**1,342,803,238**	**194,479,222**	**232,473,130**
गुवाहाटी	संचार उपकरण	1,673,126	-	
	वाहन	590,523	-	
	फर्नीचर एवं उपस्कर	919,772	-	
	कार्यालय उपकरण	495,972	-	-
	बिजली अधिष्ठापन	46,979	-	
	पंखे एवं वायुशीतलक	39,580	-	
	सर्वे उपकरण	16,425,912	-	-
	साइकिल	680	-	
	पुस्तकालय पुस्तकें	40,595	290	
	जलयान गति नौका	4,021,123		
	जेनरेटर सेट	36,100		
	कम्प्यूटर	4,076,929	346,700	-
	टर्मिनल–पांडु	1,067,963,536	207,497,432	-
	रात्रि नौचालन उपकरण	12,460,554	-	-
	बार्ज	133,745,241	-	
	जलयान – साधारण	184,159,998	-	-
	भूमि–टर्मिनल	39,457,809	62,020	
	जलयान निकर्षक यूनिट	952,736,583	523,555,614	(194,692,577)
	क्रेन	44,969,796		
	वातानुकूलन यंत्र	246,350	-	
	भवन	-		-
	योग (घ)	**2,464,107,158**	**731,462,056**	**(194,692,577)**

(अजय कुमार गुप्ता)
मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी)

(प्रवीर पाण्डेय)
उपाध्यक्ष / सदस्य (वित्त)

जलमार्ग प्राधिकरण
यथा दिनांक 31.03.2016

अनुसूची–II
(अंक रुपए में)

31.03.2016 को सकल ब्लॉक	मूल्य ह्रास		बिक्री/हस्तांतरित परिसम्पत्तियों का समायोजन	31.03.2016 को कुल मूल्यह्रास	31.03.2016 को शुद्ध ब्लॉक
	31.03.2015 को	वर्ष हेतु			
(3+4+5)				(7+8+9)	(6-10)
6	7	8	9	10	11
35,051,542	-			-	35,051,542
1,982,617	945,940	97,386	-	1,043,326	939,291
2,061,235	521,637	144,919		666,556	1,394,679
195,863	23,999	64,042		88,041	107,822
6,885	2,946	719		3,665	3,220
1,210,025	132,819	108,162	-	240,981	969,044
-	-			-	-
70,950	4,969	11,420	-	16,389	54,561
-	-	-	-	-	-
16,519,165	9,629,225	986,327	-	10,615,552	5,903,613
747,027,542	254,386,473	7,480,821	141,320,873	403,188,167	343,839,375
108,819,402	46,183,161	3,148,741	(10,302,808)	39,029,094	69,790,308
2,383,309	2,456,161	72,456	(1,129,605)	1,399,012	984,297
84,062,200	34,594,615	1,521,269		36,115,884	47,946,316
-	1,018,158	-	(1,018,158)	-	-
3,959,579	3,258,302	289,126	-	3,547,428	412,151
89,666	75,787	13,879		89,666	-
4,837,917	4,371,386	147,108	-	4,518,494	319,423
649,995	281,741	89,906		371,647	278,348
1,118,858	963,675	80,291	-	1,043,966	74,892
49,719,000	-	675,797	-	675,797	49,043,203
602,909,758	155,577,867	16,294,772	-	171,872,639	431,037,119
9,277,200	3,084,669	494,552		3,579,221	5,697,979
32,245,501	7,470,817	1,640,344	-	9,111,161	23,134,340
15,895,321	3,775,137	1,029,583		4,804,720	11,090,601
3,335,236		1,056,269		1,056,269	2,278,967
46,326,824	16,884,939	4,963,362		21,848,301	24,478,523
1,769,755,590	**545,644,423**	**40,411,251**	**128,870,302**	**714,925,976**	**1,054,829,614**
1,673,126	1,153,390	77,944	268,393	1,499,727	173,399
590,523	560,997	-		560,997	29,526
919,772	569,271	56,889	14,972	641,132	278,640
495,972	202,171	128,268	90,329	420,768	75,204
46,979	25,293	7,081	82	32,456	14,523
39,580	20,361	2,715	572	23,648	15,932
16,425,912	8,203,191	1,268,910	142,188	9,614,289	6,811,623
680	646	-	-	646	34
40,885	40,595	290		40,885	-
4,021,123	2,383,220	58,162	-	2,441,382	1,579,741
36,100	29,155	-	5,141	34,296	1,804
4,423,629	3,592,044	148,588	-	3,740,632	682,997
1,275,460,968	187,539,669	30,597,367	-	218,137,036	1,057,323,932
12,460,554	5,673,437	1,321,592	-	6,995,029	5,465,525
133,745,241	42,288,770	3,916,523	-	46,205,293	87,539,948
184,159,998	64,026,395	5,274,420	-	69,300,815	114,859,183
39,519,829	-			-	39,519,829
1,281,599,620	377,398,846	17,342,906	(76,102,647)	318,639,105	962,960,515
44,969,796	15,019,910	4,619,008	-	19,638,918	25,330,878
246,350	44,329	24,296	8,623	77,248	169,102
-	-	-	-	-	-
3,000,876,637	**708,771,690**	**64,844,959**	**(75,572,347)**	**698,044,302**	**2,302,832,335**

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(अमिताभ वर्मा)
अध्यक्ष

भारतीय अन्तर्देशीय
स्थायी परिसम्पत्तियों की अनुसूची

	विवरण	31.03.2015 को सकल ब्लॉक	वर्ष के दौरान जोड़	समायोजन/ कटौतियाँ
1	2	3	4	5
भागलपुर	बोया	54,467		
	वाहन	152,658		
	फर्नीचर एवं उपस्कर	195,158	56,254	-
	कार्यालय उपकरण	66,090	61,500	
	बिजली अधिष्ठापन	3,227		
	पंखे एवं वायुशीतलक	15,899	9,920	
	सर्वे उपकरण	2,585,423	-	
	बार्ज	561,255		
	साइकिल	701		
	पुस्तकालय पुस्तकें	25,805	-	
	संचार उपकरण	157,026		
	भूमि	36,734		
	कम्प्यूटर	237,197	-	
	डीजीपीएस स्टेशन	18,320,308	-	-
	टर्मिनल्स–	2,856,463	-	-
	वातानुकूलन यंत्र	20,000	-	
	योग (ड.)	**25,288,411**	**127,674**	**-**
कोची	वाहन	-	-	-
	फर्नीचर एवं उपस्कर	947,266	69,527	
	कार्यालय उपकरण	369,781	46,487	
	पंखे एवं वायुशीतलक	56,885	-	
	वातानुकूलन यंत्र	67,595	-	
	सर्वे उपकरण	6,922,627	-	-
	संचार उपकरण	734,727	-	
	जेनरेटर	354,969	-	
	कम्प्यूटर	3,929,007	105,650	-
	सर्वे लांच	5,464,584	-	
	गति नौकाएं	1,120,418	-	-
	भूमि (टर्मिनल)	182,870,917	10,063,613	(600,000)
	भूमि चौड़ा करना	170,295,586	898,463	(125,426,466)
	पुस्तकालय पुस्तकें	19,847	-	
	भवन	8,318,162	71,854	
	टर्मिनल	338,679,010	1,282,000	
	ड्रेजर	183,821,000	1,704,953	-
	रात्रि नौचालन	36,624,825	-	-
	थोटापल्ली में पैदल पार करने वाला पुल	2,188,615	-	
	फोर्क लिफ्ट्स	6,370,925	-	
	हाइड्रोलिक क्रेन	68,945,177		
	अस्थायी टर्मिनल	1,196,370	-	
	योग (च)	**1,019,298,293**	**14,242,547**	**(126,026,466)**
इलाहाबाद	कम्प्यूटर	424,291	51,000	-
	फर्नीचर एवं उपस्कर	154,341		(2)
	कार्यालय उपकरण	63,554		
	पंखे एवं वायुशीतलक	12,155		
	पुस्तकालय पुस्तकें	34,310	5,000	
	बिजली अधिष्ठापन	24,950	1,049,389	
	भूमि	2,405,763		
	टर्मिनल	5,882,942	-	
	सर्वे उपकरण	2,284,447	-	-
	योग (छ)	**11,286,753**	**1,105,389**	**(2)**

(अजय कुमार गुप्ता)
मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी)

(प्रवीर पाण्डेय)
उपाध्यक्ष / सदस्य (वित्त)

जलमार्ग प्राधिकरण
यथा दिनांक 31.03.2016

अनुसूची–II
(अंक रुपए में)

31.03.2016 को सकल ब्लॉक	मूल्य ह्रास		बिक्री / हस्तांतरित परिसम्पत्तियों का समायोजन	31.03.2016 को कुल मूल्यह्रास	31.03.2016 को शुद्ध ब्लॉक
	31.03.2015 को	वर्ष हेतु			
(3+4+5)				(7+8+9)	(6-10)
6	7	8	9	10	11
54,467	52,612	-		52,612	1,855
152,658	151,776			151,776	882
251,412	158,636	8,903	-	167,539	83,873
127,590	48,756	5,937		54,693	72,897
3,227	2,351	213		2,564	663
25,819	7,129	1,080		8,209	17,610
2,585,423	1,706,697	314,296		2,020,993	564,430
561,255	554,410	-		554,410	6,845
701	682	-	-	682	19
25,805	25,805	-	-	25,805	-
157,026	157,026	-		157,026	-
36,734				-	36,734
237,197	219,627	8,234		227,861	9,336
18,320,308	5,137,811	966,905	-	6,104,716	12,215,592
2,856,463	421,745	90,455	-	512,200	2,344,263
20,000	1,900	1,900		3,800	16,200
25,416,085	**8,646,963**	**1,397,923**	**-**	**10,044,886**	**15,371,199**
-	-	-	-	-	-
1,016,793	546,734	123,536	(11,893)	658,377	358,416
416,268	181,583	140,305	(889)	320,999	95,269
56,885	24,834	19,592	(157)	44,269	12,616
67,595	47,269	16,946		64,215	3,380
6,922,627	2,796,095	561,787	(6,804)	3,351,078	3,571,549
734,727	395,591	302,400		697,991	36,736
354,969	150,679	30,784		181,463	173,506
4,034,657	3,514,170	195,692	(25,069)	3,684,793	349,864
5,464,584	2,800,744	307,673		3,108,417	2,356,167
1,120,418	792,140	54,452		846,592	273,826
192,334,530	-	-		-	192,334,530
45,767,583	-	-		-	45,767,583
19,847	19,847	-		19,847	-
8,390,016	890,833	138,817		1,029,650	7,360,366
339,961,010	95,451,924	8,631,308	-	104,083,232	235,877,778
185,525,953	56,888,548	4,627,504	-	61,516,052	124,009,901
36,624,825	13,500,100	3,101,920	-	16,602,020	20,022,805
2,188,615	920,507	54,743		975,250	1,213,365
6,370,925	3,603,396	349,855		3,953,251	2,417,674
68,945,177	37,787,105	3,819,798		41,606,903	27,338,274
1,196,370	1,196,370	-		1,196,370	-
907,514,374	**221,508,469**	**22,477,112**	**(44,812)**	**243,940,769**	**663,573,605**
475,291	292,886	72,570	-	365,456	109,835
154,339	138,789	7,833	-	146,622	7,717
63,554	41,618	18,758		60,376	3,178
12,155	7,364	4,183		11,547	608
39,310	34,310	5,000		39,310	-
1,074,339	16,590	103,255		119,845	954,494
2,405,763	-			-	2,405,763
5,882,942	838,320	175,944		1,014,264	4,868,678
2,284,447	1,167,273	217,061	-	1,384,334	900,113
12,392,140	**2,537,150**	**604,604**	**-**	**3,141,754**	**9,250,386**

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(अमिताभ वर्मा)
अध्यक्ष

भारतीय अन्तर्देशीय
स्थायी परिसम्पत्तियों की अनुसूची

	विवरण	31.03.2015 को सकल ब्लॉक	वर्ष के दौरान जोड़	समायोजन/ कटौतियाँ
1	2	3	4	5
वाराणसी	फर्नीचर एवं उपस्कर	129,719	46,888	
	कम्प्यूटर	308,505	56,190	
	कार्यालय उपकरण	53,297	14,990	
	पंखे एवं वायुशीतलक	5,875	1,350	
	वाहन	243,069		
	संचार उपकरण	-	-	-
	पुस्तकालय पुस्तकें	5,520	-	
	सर्वे उपकरण	2,971,849	-	-
	भूमि	29,662,024	22,440,382	
	योग (ज)	**33,379,858**	**22,559,800**	**-**
निनी	फर्नीचर एवं उपस्कर	5,031,121	-	-
	जेनरेटर सेट	657,371	-	-
	कम्प्यूटर	1,477,002	-	-
	कार्यालय उपकरण	1,252,179	-	-
	वायुशीतलक	1,237,281	-	-
	भवन/कार्यशाला	98,354,075	3,277,000	-
	छात्रावास एवं रसोई	606,957	-	
	कार्यशाला उपकरण	402,778	-	
	फायर मॉक अप उपकरण	5,237,144	-	
	ओबीएम के साथ एफआरपी बोट	528,962	-	
	जल शीतलक एवं प्रशीतलक	367,573	-	-
	अस्थाई संरचना	1,440,262	221,280	
	पाठ्य सामग्री एवं उपकरण	529,999	-	
	सिमुलेटर	31,731,375	-	-
	पुस्तकालय पुस्तकें	890,223	366,380	
	सॉफ्टवेयर	3,108,400	2,893,988	
	विद्युत स्थापन	494,676	-	
	पंखे एवं वायुशीतलक	90,545	-	
	सर्वे उपकरण	2,953,202	-	-
	जलयान (बक्सर, घोघरा)		-	41,450
	भूमि	152,450,100	-	
	योग (झ)	**308,841,225**	**6,758,648**	**41,450**
कालादान	फर्नीचर एवं उपस्कर	63,845	39,489	
	अस्थाई संरचना	15,364	-	
	कम्प्यूटर	243,452	-	
	योग (ञ)	**322,661**	**39,489**	**-**
पीएमयू	फर्नीचर एवं उपस्कर	87,440	6,192,781	
	कम्प्यूटर	455,200	1,601,872	
	कार्यालय उपकरण		1,794,973	
	पुस्तकालय पुस्तकें		3,065	
	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर		147,315	
	अस्थाई संरचना		9,037,112	
	भूमि–टर्मिनल फरक्का		23,580,160	
	विद्युत स्थापन		2,549,577	
	योग (ट)	**542,640**	**44,906,855**	**-**
रा.ज.–4	कम्प्यूटर	82,415	149,498	
	फर्नीचर एवं उपस्कर		339,866	
	वायुशीतलक	26,000	90,000	
	योग (ठ)	**108,415**	**579,364**	**-**
रा.ज.–5	कम्प्यूटर	-	52,000	
	फर्नीचर एवं उपस्कर		154,862	
	जलशीतलक और प्रशीतलक		34,000	
	वायुशीतलक	-	53,000	
	योग (ड)	**-**	**293,862**	**-**
	कुल योग (क+ख+ग+घ+ड.+च+छ+ज+झ+ञ+ट+ठ+ड)	**6,784,036,815**	**1,200,438,217**	**(129,116,631)**
	गत वर्ष	**5,835,253,912**	**966,145,030**	**(17,362,127)**

(अजय कुमार गुप्ता)
मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी)

(प्रवीर पाण्डेय)
उपाध्यक्ष / सदस्य (वित्त)

जलमार्ग प्राधिकरण
यथा दिनांक 31.03.2016

अनुसूची–II

(अंक रुपए में)

31.03.2016 को सकल ब्लॉक	मूल्य ह्रास		बिक्री / हस्तांतरित परिसम्पत्तियों का समायोजन	31.03.2016 को कुल मूल्यह्रास	31.03.2016 को शुद्ध ब्लॉक
	31.03.2015 को	वर्ष हेतु			
(3+4+5)				(7+8+9)	(6-10)
6	7	8	9	10	11
176,607	97,641	30,046	-	127,687	48,920
364,695	244,019	66,854	-	310,873	53,822
68,287	31,140	22,340		53,480	14,807
7,225	3,348	2,361		5,709	1,516
243,069	230,919	-	(3)	230,916	12,153
-	-	-	-	-	-
5,520	5,520	-		5,520	-
2,971,849	1,005,418	278,390	60,032	1,343,840	1,628,009
52,102,406				-	52,102,406
55,939,658	**1,618,005**	**399,991**	**60,029**	**2,078,025**	**53,861,633**
5,031,121	2,779,563	822,168	-	3,601,731	1,429,390
657,371	343,475	70,257	-	413,732	243,639
1,477,002	1,117,925	252,843	-	1,370,768	106,234
1,252,179	468,554	523,835	-	992,389	259,790
1,237,281	450,428	334,387	-	784,815	452,466
101,631,075	11,299,377	1,726,088	-	13,025,465	88,605,610
606,957	146,870	326,113		472,983	133,974
402,778	97,945	26,341		124,286	278,492
5,237,144	1,028,926	2,669,140		3,698,066	1,539,078
528,962	112,194	30,113		142,307	386,655
367,573	182,032	160,043	-	342,075	25,498
1,661,542	1,440,262	221,280		1,661,542	-
529,999	529,999	-		529,999	-
31,731,375	7,885,540	11,440,886	-	19,326,426	12,404,949
1,256,603	890,223	366,380		1,256,603	-
6,002,388	2,001,661	966,384		2,968,045	3,034,343
494,676	37,988	50,014		88,002	406,674
90,545	4,571	8,925		13,496	77,049
2,953,202	2,805,539		-	2,805,539	147,663
41,450					41,450
152,450,100				-	152,450,100
315,641,323	**33,623,072**	**19,995,197**	**-**	**53,618,269**	**262,023,054**
103,334	24,246	12,853		37,099	66,235
15,364	15,364	-		15,364	-
243,452	229,796	1,483		231,279	12,173
362,150	**269,406**	**14,336**	**-**	**283,742**	**78,408**
6,280,221	5,535	596,293	-	601,828	5,678,393
2,057,072	73,788	648,021	-	721,809	1,335,263
1,794,973		341,045		341,045	1,453,928
3,065		3,065		3,065	-
147,315		46,650		46,650	100,665
9,037,112		9,037,112		9,037,112	-
23,580,160				-	23,580,160
2,549,577		242,210		242,210	2,307,367
45,449,495	**79,323**	**10,914,396**	**-**	**10,993,719**	**34,455,776**
231,913	13,359	72,133	-	85,492	146,421
339,866		32,287		32,287	307,579
116,000	1,235	10,989		12,224	103,776
687,779	**14,594**	**115,409**	**-**	**130,003**	**557,776**
52,000	-	16,468		16,468	35,532
154,862		14,712		14,712	140,150
34,000		6,460		6,460	27,540
53,000	-	5,035		5,035	47,965
293,862	**-**	**42,675**	**-**	**42,675**	**251,187**
7,855,358,401	**1,941,219,177**	**221,984,444**	**(2,475,726)**	**2,160,727,895**	**5,694,630,506**
6,784,036,815	**1,646,517,681**	**288,213,604**	**6,487,892**	**1,941,219,177**	**4,842,817,638**

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(अमिताभ वर्मा)
अध्यक्ष

अनुसूची–III

चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम यथा दिनांक 31.03.2016

गत वर्ष (रुपए)	विवरण		चालू वर्ष (अंक रुपयों में)
	क) भंडार, कलपुर्जे एवं यांत्रिक उपकरण		
	(लागत पर)		
33,143,245	1) समुद्री कलपूर्जे	30,843,944	
471,854	2) स्थायी भंडार	289,149	
22,070	3) उपभोज्य एवं अंकण सामग्री	-	
209,449	4) लेखन सामग्री	592,516	
13,441,507	5) पो0 ओ0 एल0 स्टॉक	12,772,687	
244,726	6) अन्य	847,500	**45,345,796**
	ख) विविध देनदार		
	1) प्रतिभूति		
	2) अप्रतिभूति		
	–सुविचारित		
	1) 6 माह से अधिक		
	2) 6 माह से कम		
	–संदेहयुक्त		
	ग) जमा, ऋण एवं अग्रिम		
5,421,769	1) स्टाफ को अग्रिम	5,446,852	
20,830	2) विभागीय अग्रिम	273,665	
759,818,267	3) संविदाकारों एवं प्रदायकों को अग्रिम	1,627,696,923	
45,439,340	4) जमा	41,077,250	
88,139,275	5) क्षतिपूर्य दावे	144,469,583	
21,680,210	6) पूर्व प्रदत्त खर्चे	33,049,338	
386,927	7) अन्य	2,303,258	**1,854,316,869**
	घ) नकद एवं बैंक शेष		
58,290	1) उपलब्ध नकद/स्टैम्प	38,710	-
(58,134,281)	2) अनुसूचित बैंकों में नकद	(125,219,203)	-
	3) पारगमन में प्रेषण	-	
398,509,072	4) अल्पावधि जमा	599,113,326	**473,932,833**
1,308,872,550	**योग**		**2,373,595,498**

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(अजय कुमार गुप्ता)
मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी)

(प्रवीर पाण्डेय)
उपाध्यक्ष/सदस्य (वित्त)

(अमिताभ वर्मा)
अध्यक्ष

31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्चे

अनुसूची–IV

गत वर्ष (रुपए)	विवरण		चालू वर्ष (अंक रुपयों में)
	राष्ट्रीय जलमार्ग सं0 1		
	1. वेतन और भत्ते एवं अन्य		
154,826,192	स्टाफ लागतें	148,715,574	
	2. कार्य खर्चे		
41,044,432	(i) सर्वेक्षण	15,222,788	
97,193,793	(ii) निकर्षण	117,969,814	
34,591,040	(iii) बंडालिंग	40,003,982	
7,822,782	(iv) नौचालन एवं चैनल मार्किंग के लिए सहायता	10,223,746	
82,855,954	(v) टर्मिनल सुविधाएं	78,579,845	
82,127,688	(vi) जलयानों की मरम्मत	41,534,811	
40,099,496	(vii) रात्रि नौचालन	38,931,185	
27,175,095	(viii) प्रशिक्षण व्यय (निनी)	23,667,313	
5,112,723	**3. अन्य प्रशासनिक खर्चे एवं विविध खर्चे**	4,974,405	**519,823,463**
	राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 2		
	1. वेतन और भत्ते एवं अन्य		
29,716,020	स्टाफ लागतें	31,859,044	
	2. कार्य खर्चे		
28,203,039	(i) सर्वेक्षण	28,712,804	
30,379,426	(ii) बंडालिंग	36,181,331	
7,830,599	(iii) नौचालन एवं चैनल मार्किंग के लिए सहायता	8,155,522	
16,481,845	(iv) टर्मिनल	16,564,723	
16,167,830	(v) ड्रेजिंग	9,207,462	
17,864,338	(vi) जलयानों की मरम्मत	9,358,670	
30,059,627	(vii) रात्रि नौचालन	31,550,570	
12,524,495	(viii) प्रोटोकॉल	13,083,031	
117,459,000	(ix) तट रक्षण	-	
774,569	**3. अन्य प्रशासनिक एवं विविध खर्चे**	668,085	**185,341,242**

जारी है.....

31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्चे

अनुसूची–IV

गत वर्ष (रुपए)	विवरण		चालू वर्ष (अंक रुपयों में)
	राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 3		
19,729,184	1. वेतन और भत्ते एवं अन्य स्टाफ लागतें	18,776,804	
	2. कार्य खर्चे		
2,128,366	(i) सर्वेक्षण	1,143,981	
81,935,276	(ii) ड्रेजिंग	178,424,187	
	(iii) चैनल मार्किंग	3,091,991	
6,232,932	(iv) रात्रि नौचालन	6,880,902	
8,681,003	(v) टर्मिनल सुविधाएं	12,977,054	
1,213,680	(vi) जलयानों की मरम्मत	2,956,028	-
	(vii) लॉक गेट का अनुरक्षण		
	(viii) तट रक्षण		-
	3. अन्य प्रशासनिक एवं विविध		
738,056	खर्चे	379,064	**224,630,011**
	राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 4		
	1. कार्य खर्चे		
8,577,623	(i) सर्वेक्षण	5,028,859	
8,116,942	(ii) ड्रेजिंग	18,418,023	
-	2. अन्य प्रशासनिक एवं विविध		
1,103,031	खर्चे	1,375,847	**24,822,729**
	राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 5		
	1. कार्य खर्चे		
2,187,218	(i) सर्वेक्षण	8,492,881	
3,934,888	(ii) परामर्शी शुल्क	14,374,153	
	(iii) ड्रेजिंग	13,223,681	
	2. अन्य प्रशासनिक एवं विविध		
63,529	खर्चे	2,422,629	**38,513,344**
	कालादान परियोजना		
	1. वेतन और भत्ते एवं अन्य स्टाफ	-	
223,921	लागतें	37,815	
	2. कार्य खर्चे		
30,381,243	(i) परामर्शी शुल्क	29,119,364	
	3. अन्य प्रशासनिक एवं विविध		
10,061,496	खर्चे	1,433,919	**30,591,098**
	जलमार्ग विकास परियोजना (रा.ज.–1)		
-	1. परामर्शी को पारिश्रमिक		
	स्टाफ लागतें	11,302,353	
	2. कार्य खर्चे		
	(i) सर्वेक्षण	-	
3,163,586	(ii) परामर्शी शुल्क	93,543,900	
	(iii) टर्मिनल सुविधाएं	7,077,765	
	3. अन्य प्रशासनिक एवं विविध		
4,133,812	खर्चे	14,340,895	**126,264,913**
	परियोजना प्रबंधन परामर्शी शुल्क	16,198,758	16,198,758
	पी.पी.पी. परियोजना व्यय	18,305,000	18,305,000
-	नए राष्ट्रीय जलमार्ग	14,573,805	14,573,805
1,072,915,769	योग		**1,199,064,363**

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(अजय कुमार गुप्ता)
मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी)

(प्रवीर पाण्डेय)
उपाध्यक्ष/सदस्य (वित्त)

(अमिताभ वर्मा)
अध्यक्ष

अनुसूची–V

31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए वेतन और भत्ते एवं अन्य स्टाफ लागतें

गत वर्ष (रुपए)	विवरण	चालू वर्ष (अंक रुपयों में)
	वेतन और भत्ते एवं अन्य स्टाफ लागतें	
63,802,598	i) वेतन और भत्ते	70,254,202
31,000	ii) मानदेय	-
3,390,344	iii) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	2,830,177
202,933	iv) दैनिक मजदूरी	58,127
105,100	v) अतिरिक्त समय भत्ता	106,805
245,234	vi) बोनस	236,887
-	vii) अवकाश वेतन एवं	-
1,011,134	पेंशन अंशदान	978,215
1,432,773	viii) आवास किराया	1,443,322
102,920	ix) वर्दी	10,350
878,734	x) स्टाफ कल्याण खर्चे	1,004,736
381,388	xi) शिक्षा शुल्क	491,499
43,284,400	xii) पेंशन एवं उपादान अंशदान	33,967,926
1,068,227	xiii) छुट्टी नकदीकरण	675,149
274,784	xiv) नये कर्मियों के लिए एनपीएस अंशदान	285,309
1,650,593	xv) एल.टी.सी. व्यय	994,820
117,862,162	**योग**	**113,337,524**

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(अजय कुमार गुप्ता)
मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी)

(प्रवीर पाण्डेय)
उपाध्यक्ष/सदस्य (वित्त)

(अमिताभ वर्मा)
अध्यक्ष

31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए सामान्य एवं अन्य खर्चे

अनुसूची–VI

गत वर्ष (अंक रुपए में)	विवरण	चालू वर्ष (अंक रुपयों में)
4,597,989	i) मरम्मत और अनुरक्षण	8,544,725
330,848	ii) स्टाफ भर्त्ती पर खर्चे	349,489
1,280,377	iii) डाक टिकटें, दूरभाष एवं तार	1,398,092
2,445,443	iv) मुद्रण एवं लेखन सामग्री	2,467,061
2,093,075	v) वाहन चालन एवं अनुरक्षण	2,667,011
147,003	vi) विज्ञापन एवं प्रचार	-
294,728	vii) वाहन प्रतिपूर्त्ति	324,101
4,375,418	viii) यात्रा खर्चे –अन्तर्देशीय	4,878,627
2,281,885	–विदेशी	915,604
95,280	ix) समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं	124,864
46,287	x) विविध खर्चे	59,087
145,287	xi) उपभोज्य	210,588
2,875,567	xii) बिजली एवं जल प्रभार	2,857,425
2,031,419	xiii) अंकेक्षण शुल्क एवं खर्चे	2,659,688
1,183,039	xiv) विधायी प्रभार	357,095
	लीज किराया	271,655
202,031	xv) संगोष्ठी एवं कार्यशाला/सम्मेलन	16,180
241,748	xvi) हिन्दी प्रोन्नयन	349,377
124,889	xvii) प्राधिकरण की बैठक पर व्यय	112,333
24,792,313	**योग**	**28,563,002**

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(अजय कुमार गुप्ता)
मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी)

(प्रवीर पाण्डेय)
उपाध्यक्ष/सदस्य (वित्त)

(अमिताभ वर्मा)
अध्यक्ष

अनुसूची–VII

लेखाओं से संबंधित टिप्पणियाँ, यथा दिनांक 31.03.2016

1. 5927.91 लाख रु0 (गत वर्ष 10225.73 लाख रु0) के प्रगति परक पूँजीगत कार्य में निम्नलिखित कार्य हैं :–

(लाख में)

पार्टी का नाम	उद्देश्य	राशि
1. मैसर्स ए.सी.राय एंड कं.	रो–रो जलयान का निर्माण	141.55
2. मैसर्स टेबमा शिपयार्ड्स	रो–रो जलयान का निर्माण	184.95
3. के.लो.नि.वि. –गुवाहाटी	धुब्री में रो–रो टर्मिनल का निर्माण	3315.02
4. के.लो.नि.वि.–केरल	टर्मिनल और सम्पर्क मार्ग का निर्माण	1129.07
5. के.लो.नि.वि.–पटना	कार्यालय भवन का निर्माण	144.08
6. मैसर्स गुप्ता कन्ट्रक्शन, वाराणसी और अन्य	वाराणसी में डी.जी.पी.एस. का निर्माण	95.37
7. मैसर्स दिनेश प्रसाद शर्मा	मनिहान और भागलपुर में आरआईएस स्टेशन का निर्माण	19.22
8. मैसर्स एआरआई	जीएमडीएसएस सिमुलेटर की आपूर्ति	19.63
9. के.लो.नि.वि.–पटना	निनी में स्वीमिंग पुल का निर्माण	107.46
10. मैसर्स एल्कोन इंटीग्रेटेड सिस्टम प्रा. लि.	आरआईएस उपकरण की आपूर्ति	126.48
11. नालंदा इंजिनियरिंग इन्टरप्राईजेज	हल्दिया टर्मिनल में गैंगवे का निर्माण	63.67
12. मैसर्स मेरालिन इंजिनियरिंग वर्क्स प्रा.लि.	स्टील पांतून का डिजाइन निर्माण और आपूर्ति	28.04
13. मैसर्स एआरआई	सर्वे सह निरीक्षण जलयान की अधिप्राप्ति	7.30
14. मैसर्स टर्नकी वाटरवेज ज्वाइंटवेन्चर गोवा	सर्वे सह निरीक्षण जलयान की अधिप्राप्ति	546.07
	कुल योग	**5927.91**

2. वर्ष 2015–2016 के दौरान प्राधिकरण ने अध्यक्ष और बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्यों पर निम्नलिखित राशि खर्च की :–

(रुपए में)

वेतन	मकान किराया	अवकाश वेतन / पेंशन अंशदान	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	यात्रा खर्चे		योग
				विदेश	देश	
58,20,430	6,95,872	5,69,412	1,40,073	9,09,717	14,77,372	**96,12,876**
गत वर्ष (2014–15)						
67,43,739	5,84,320	6,44,982	70,752	6,80,383	9,18,340	**96,42,516**

वर्ष के दौरान अध्यक्ष और सदस्य (वित्त) सह परियोजना निदेशक, जलमार्ग विकास परियोजना ने विश्व बैंक द्वारा 27 जून से 2 जुलाई, 2015 तक यूरोपिय संघ में आयोजित एक्सपोजर विजिट में भाग लिया। सदस्य (वित्त) सह परियोजना निदेशक, जलमार्ग विकास परियोजना ने मसाचूसेट्स, यूएसए में 11 मई से 15 मई, 2015 तक सार्वजनिक निजि भागीदारी और परियोजना वित्त प्रोग्राम पर आयोजित उच्च स्तरीय प्रशिक्षण लेने के लिए दौरा किया। सदस्य (वित्त) सह परियोजना निदेशक, जलमार्ग विकास परियोजना और संयुक्त सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय ने 26 अगस्त से 27 अगस्त, 2015 तक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हब सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिसबेन, आस्ट्रेलिया का दौरा किया।

3. (i) आयकर अपील अधिकरण (आईटीएटी), नई दिल्ली ने निर्धारण वर्श 1988–89 से 1997–98 (निर्धारण वर्ष 1990–91 को छोड़कर) के बारे में अपना निर्णय जुलाई, 2006 में दे दिया है जिसमें कहा गया है कि प्राधिकरण को दिया गया अनुदान राजस्व की प्रकृति का नहीं है, इसलिए आयकर नहीं लगेगा। आईटीएटी आदेश को प्रभावी बनाते समय एसीआईटी, नौएडा ने नवंबर, 2010 में नया निर्धारण आदेश जारी कर दिया, जिसमें प्राधिकरण की विविध प्राप्ति को आय के रूप में माना गया है। तदुपरांत प्राधिकरण ने लगातार इस मामले को आईटीएटी, नई दिल्ली, सीआईटी (अपील), गाजियाबाद और एसीआईटी, नौएडा में अपील दायर किया ताकि एसीआईटी, नौएडा के विविध स्रोतों की प्राप्ति को आय के रूप में मानने के आदेश को खारिज किया जा सके। वित्त वर्ष 2014–15 में आईटीएटी, नई दिल्ली ने आदेश पारित किया कि अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान जारी करते समय विविध प्राप्तियों को समायोजित / सरकार को वापस किया जाए। यह मामला एसीआई टी (छूट), गाजियाबाद के पास आईटीएटी, नई दिल्ली के आदेश निश्पादन हेतु लंबित है।

(ii) सहायक आयकर आयुक्त (एसीआईटी), नौएडा ने नवंबर, 2010 के नए निर्धारण आदेश में भी अर्थदण्ड लगाकर 11.80 करोड़ रु. की मांग की, जो कि संग्रह हो गई। इसके बाद, प्राधिकरण ने लगातार इस मामले को आईटीएटी, नई दिल्ली, सीआईटी (अपील), गाजियाबाद और एसीआईटी, नौएडा में अपील और काउंटर अपील दायर किया ताकि एसीआईटी, नौएडा के आदेश को खारिज किया जा सके।

तदुपरांत एसीआईटी, नौएडा ने एक आदेश जारी किया कि आईटीएटी के निदेश को ध्यान में रखते हुए धारा 271 (1) (ग) के तहत नये सिरे से मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। सहायक आयकर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध प्राधिकरण ने धारा 154 के तहत आईटीएटी, नई दिल्ली के दिशा निर्देश के अनुसार मामले की समीक्षा करने के लिए एसीआईटी, नौएडा के पास एक आवेदन दिया है। यह मामला वर्तमान में सहायक आयकर आयुक्त, नौएडा के पास लंबित है।

(iii) वर्ष 1988–89 से निर्धारण वर्श 1997–98 तक के लिए आईटीएटी, नई दिल्ली के आदेश के विरुद्ध आयकर विभाग ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील भी दायर की है।

4. पोत परिवहन मंत्रालय ने दिनांक 15.10.2014 को गजट अधिसूचना द्वारा प्राधिकरण को 'जलमार्ग विकास' हेतु परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। जलमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत इलाहाबाद से हल्दिया के 1620 किमी. खण्ड को 4200 करोड़ रूपए की लागत से विश्व बैंक की तकनीकी और वित्तीय सहायता के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। परियोजना की लागत भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच 50:50 के अनुपात में विभाजित होगा।

परिणामी आवश्यक कार्यवाही हेतु आगे कार्य करने के लिए जुलाई, 2014 में एक परियोजना निदेशक के साथ परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) प्रारंभ की गई। अभियांत्रिकी, अधिप्राप्ति, संचार और व्यापार विकास के लिए भी विशेषज्ञ नियुक्त किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की अंशधारक राज्य सरकारों से भी प्रतिनिधि सम्मिलित किए गए हैं। वर्ष के दौरान विश्व बैंक ने 3.50 मिलियन यूएस डॉलर की परियोजना प्रारंभिक निधि अग्रिम को मंजूरी दे दी है। प्राधिकरण ने 03.06.2015 से 31.03.2016 तक की अवधि के लिए 18.25 करोड़ रु. का दावा सीएएए, वित्त मंत्रालय को व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए किया है। सीएएए और विश्व बैंक द्वारा उतना ही रकम का अनुमोदन मिला। यह रकम सरकारी खाते में डाल दी गई। वर्ष के दौरान सरकार से प्राप्त अनुदान में से 14144.06 लाख रु. (गत वर्ष 78.40 लाख रु.) का व्यय परियोजना पर हुआ।

5. 11 टर्मिनलों के लिए भूमि और संकरे कैनाल को चौड़ा करने के लिए ली गई भूमि की लागत पर 5164.31 लाख रु.की रकम (गत वर्ष 5137.31 लाख रु.) अग्रिम रूप में केरल सरकार को भुगतान किया गया। उपर्युक्त में से टर्मिनल के 1 2 . 3809 हे. भूमि को 1923.35 लाख रु. में 31.03.2016 तक पूंजीकृत किया गया है। कैनाल को चौड़ा करने के लिए 1711.94 लाख रु. की लागत पर 21.26 हे. भूमि अधिग्रहित की गई है। 1254.26 लाख रु. की रकम को राजस्व व्यय में शामिल हो गई है। क्योंकि जलमार्ग को चौड़ा करने के बाद भूमि वित्तीय वर्ष 2015–16 तक जलमग्न है।

प्राधिकरण को ब्याज के भुगतान सहित माननीय केरल उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार भूमि की बढ़ी हुई लागत का भुगतान भी करना है। केरल के विभिन्न जिला समाहर्ताओं के पास 1522.81 लाख रु. उपलब्ध था, जिसमें मरदु टर्मिनल की नई सम्पर्क सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण मद की 1390.00 लाख रु. भी शामिल है।

6. टर्मिनलों के निर्माण के लिए रु. 3270.17 लाख रु. (गत वर्ष 3270.17 लाख रु.) की रकम का भुगतान सीपीडब्ल्यूडी को किया गया है। अब तक 1654.13 लाख रु. की रकम पूंजीकृत (टर्मिनल और भवन) हो गई है। अलापुझा टर्मिनल (839.49 लाख रु.), काकानाडु टर्मिनल (49.88 लाख रु.), कोट्टापुरम सम्पर्क सड़क (0.32 लाख रु.), कायमकुलम टर्मिनल और सम्पर्क सड़क (26.67 लाख रु.) और चावड़ा सम्पर्क सड़क और चहारदिवारी (212.71 लाख रु.) के निर्माण पर अब तक 1129.07 लाख रु. व्यय करके प्रगतिपरक पूंजीगत कार्य के रूप में दर्शाया गया है।

7. विलिंगडन द्वीप और बोलघट्टी में जेट्टी के निर्माण के लिए कोचीन पत्तन न्यास को जमा रूप में 1660.00 लाख रु. (गत वर्ष 1660.00 लाख रु.) की रकम का भुगतान जमा रूप में किया गया। इसमें से अब तक रु.1575.02लाख रु. की रकम को पूंजीकृत की गई है और भोश 84.98 लाख रू. सीपीटी के पास उपलब्ध है।

8. गुवाहाटी में पांडु टर्मिनल पर ब्रॉड गेज साइडिंग (1030 लाख रु.) और 28 टाईप–।। क्वाटर्स को बदलने (224 लाख रु.) के निर्माण के सम्बंध में एन0 एफ0 रेलवे, गुवाहाटी को1254 लाख रु. (गत वर्ष 1254 लाख रु.) की रकम जमा रूप में निर्गत की गई है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 1865.66 लाख रु. की राशि पूंजीकृत की गई है। यह भी उल्लेख किया जाता है कि एनएफ रेलवे द्वारा दावा की गई 611.66 लाख रु. की अतिरिक्त लागत भी मुहैया कर दी गई है। यह राशि अभी निर्गत की जानी है।

9. गायघाट, पटना में कार्यालय भवन, चाहरदीवारी, सेनिटरी बॉक्स, जेनरेटर कक्ष के निर्माण और कार्यालय स्थल का विभाजन करने के लिए 706.22 लाख रु. (गत वर्ष 577.64 लाख रूपए) की रकम सी.पी.डब्ल्यू.डी., पटना के पास जमा की गई है। इसमें से, कार्य की वित्तीय प्रगति के अनुरूप 497.19 लाख रु.की रकम कार्यालय भवन के निर्माण के लिए पूंजीकृत किया गया है। चाहरदीवारी, मल शोधन संयंत्र, अतिथि गृह, इत्यादि के निर्माण के लिए 144.08 लाख रु. की रकम को प्रगतिपरक पूंजीगत कार्य के रूप में दर्शाकर 64.95 लाख रु. का अग्रिम सी.पी.डब्ल्यू.डी. को दी गई है।

10. प्रशासनिक ब्लॉक, सड़क, विद्युतीकरण, इत्यादि सहित धुब्री में रो–रो जेट्टी का निर्माण के लिए 4408.00 लाख रु. (गत वर्ष 2226.00 लाख रु.) की रकम सी.पी.डब्ल्यू.डी., गुवाहाटी के पास जमा की गई है। इसमें से 3315.02 लाख रु.की रकम (गत वर्ष 1748.75 लाख रु.) को प्रगतिपरक पूंजीगत कार्य के रूप में प्रभार लगाया गया है।

11. भा0 अ0 ज0 प्रा0 के स्टाफ हेतु दीपपोत और दीपस्तंभ महानिदेशालय (डीजीएलएल), पोत परिवहन मंत्रालय से दिसंबर, 2002 में सैक्टर–34, नौएडा में 53 फ्लैट, 225.28 लाख रु. की कुल अन्तरण कीमत पर लिया गया है। अन्तरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क इत्यादि का भुगतान अलग से किया गया।
307.33 लाख रु. (गत वर्ष 307.33 लाख रु.) की रकम पूंजीकृत की गई है। हालांकि, इन फ्लैटों का पंजीकरण भा0 अ0 ज0 प्रा0 के नाम पर नहीं किया जा सका है, क्योंकि इन फ्लैटों के प्रथम स्वामी के नाम पर भी अब तक पंजीकरण नहीं हुआ है। नौएडा को भूमि किराया, इत्यादि का भुगतान करने के लिए डी0 जी0 एल0 एल0 को मनाने के बाद नौएडा के साथ पंजीकरण हेतु पहल की जाएगी। फ्लेटों के पंजीकरण हेतु देयता पंजीकरण के समय की जाएगी।

12. अक्तूबर, 2006 में बोयाओं और लाइटों की चोरी के कारण हुई हानि के लिए मैसर्स ओरियंटल इंश्योरेंस कम्पनी के पास से 34.47 लाख रु. का दावा किया गया था। बीमा कम्पनी ने कुछ औपचारिकताओं और कागजी कार्रवाई को पूरा करने के उपरांत केवल 23.93 लाख रु. का भुगतान करने पर सहमत हुआ है। दावे के निपटारे के लिए बीमा कंपनी से बात की जा रही है जैसा कि 23.93 लाख रु. पर सहमति बन गई है।

13. वर्ष 2002–2003 के दौरान कोलकाता क्षेत्र में चेन, एंकर और अनुषंगी सामानों सहित 47 बोया और 7 दिवस चिन्ह खो गए। प्राधिकरण ने 28.91 लाख रुपए का बीमा दावा किया था। 5.92 लाख की रकम बीमा कंपनी से प्राप्त हो गई है। प्राधिकरण ने जून, 2013 में ठेकेदार से 11.05 लाख रु. की रकम की वसूली कर लिया था। शेष बचे 11.94 लाख रु. को वसूली योग्य दावे के रूप में दर्शाया गया है।

14. मार्च, 2005 में कर और स्पेयर पार्टस की लागत को छोड़कर 873.00 लाख रु.की लागत पर फ्लोटिंग ड्राई डॉक के निर्माण और सुपुर्दगी हेतु प्राधिकरण ने मैसर्स एचडीपीईएल कोलकाता के साथ एक उपबंध पर हस्ताक्षर कियाथा। मैसर्स एचडीपीईएल कोलकाता के फ्लोटिंग ड्राई डॉक की डिलिवरी करने में असमर्थ होने के कारण प्राधिकरण ने संविदा को रद्द कर दिया और 190.42 लाख रु. की रकम परिनिर्धारित नुकसानी (एलडी), ऑयल टैंकर के लिए जलयानों की मरम्मत और कंटेनर जलयानों की मद की 71.48 लाख रु. की देय राशि के समायोजन के बादएचडीपीईएल कोलकाता को निर्गत की गई। 190.42 लाख रु. की रकम को वसूली योग्य दावे के रूप में दर्शाया गया है।

15. विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने मार्च, 2009 में म्यांमार में सिटेव पत्तन को भारत के मिजोरम से जोड़ने वाली कालादान नदी पर मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन सुविधा के कार्यान्वयन हेतु एक उपबंध के माध्यम से समझौता कर प्राधिकरण को परियोजना विकास परामर्शदाता नियुक्त किया। इसे कालादान परियोजना का नाम दिया गया है। परियोजना 30.11.2016 तक पूर्ण होने की संभावना है। प्राधिकरण को अब तक परियोजना हेतु 1950.81 लाख रूपए का पीडीसी भुल्क प्राप्त हुआ है। उपरोक्त में से 2015.18 लाख रूपए का व्यय हुआ और परियोजना का बैंक ब्याज सहित 201.25 लाख रूपए की आंतरिक प्राप्तियां प्राप्त हुईं। वर्ष के दौरान 307.52 लाख रूपए (पिछले वर्ष 406.68 लाख रूपए) का व्यय किया गया और परियोजना निधि पर बैंक से 16.87 लाख रूपए (पिछले वर्ष 24.76 लाख रूपए) की राशि परियोजना की आंतरिक आवती से प्राप्त हुई है।

16. प्राधिकरण ने भा0 अ0 ज0 प्रा0 के कार्मिकों के लिए पेंशन, उपदान और छुट्टी नकदीकरण के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से तीन पॉलिसी ली है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने सभी तीन पॉलिसी के लिए बीमांकीय मूल्यांकन मुहैया किया है। यथा दिनांक 31.03.2016 के बीमांकीय मूल्यांकन के अनुसार पेंशन के लिए 9039.00 लाख रु. (गत वर्ष रु. 7754.00 लाख रु.),उपदान के लिए 884.92 लाख रु. (गत वर्ष 897.70 लाख रु0) और छुट्टी नकदीकरण के लिए 747.09 लाख रु. (गत वर्ष 690.74 लाख रु.) की आवश्यकता है।

प्राधिकरण ने प्राधिकरण के कार्मिकों के लिए पेंशन/उपदान निधि के प्रबंधन के लिए दिनांक 25.03.2003 से ''भा0 अ0 ज0 प्रा0–सामान्य कर्मचारी पेंशन निधि'' नाम से एक न्यास बनाया है। भा0 अ0 ज0 प्रा0–कर्मचारी पेंशन निधि और छुट्टी नकदीकरण का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। भा0 अ0 ज0 प्रा0–कर्मचारी पेंशन निधि लेखा के अनुसार न्यास में पेंशन और उपदान के लिए 5110.27 लाख रु. की रकम और छुट्टी नकदीकरण के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के 747.09 लाख रु. उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान बीमांकिय मूल्यांकन और निधि की उपलब्धता पर विचार करने के उपरांत पेंशन और उपदान के लिए क्रमशः 1086.25 लाख रु. और रु. 4.99 लाख रु. का प्रावधान किया गया है।

बीमांकीय मूल्यांकन के लिए परिकल्पना निम्न हैं :

मृत्यु दर	:	एलआईसी (2006–08) चरम
निकासी दर	:	1% से 3% आयु के अनुसार
बट्टा दर	:	8% प्रति वर्ष
वेतन वृद्धि	:	7% प्रति वर्ष

17. प्राधिकरण ने तीन कंपनियों यथा i) मैसर्स रॉयल लॉजिस्टिक (शिप) लिमिटेड, कोलकाता ii) मैसर्स एसकेएस वाटरवेज लिमिटेड, कोलकाता और iii) मैसर्स विवदा लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता के साथ तीन संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के शेयर धारक उपबंध में प्रवेश किया था। मैसर्स रॉयल लॉजिस्टिक (शिप) लिमिटेड, कोलकाता और मैसर्स एसकेएस वाटरवेज लिमिटेड, कोलकाता के साथ शेयर धारक उपबंध के अनुसार प्रत्येक कंपनी का प्रारंभिक प्राधिकृत शेयर पूंजी 5.00 लाख रुपया है और इतना ही संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा 70 प्रतिशत के अनुपात में और भा0 अ0 ज0 प्रा0 द्वारा 30 प्रतिशत के अनुपात में योगदान दिया जाना है। तदनुसार, वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने प्रारंभिक प्राधिकृत शेयर पूंजी के रूप में प्रत्येक कंपनी में 1.50 लाख रु. का अपने शेयर का योगदान किया है।

18. माध्यस्थों के समक्ष 3 माध्यस्थम संबंधी मामले लंबित हैं जिनमें से दो मामले रा. ज.–3 में 2047.00 लाख रुपए की आकस्मिक दायित्व वाले भारी निकर्षाण संबंधी कार्यों से संबंधित हैं और एक मामला जलयानों के निर्माण पर हुए लगभग 1600.00 लाख रु. लगभग की हानि से संबंधित है। वर्तमान में एलएआर/एलएए सम्बंधी 36 मामले उप न्यायालय, केरल में लंबित हैं, जिसके लिए याचिकादाता ने लगभग 318.54 लाख रु. का दावा किया है।

लंबित न्यायालय मामलों की सूची–

न्यायालय	मामलों की संख्या
माननीय उच्चतम न्यायालय	03
एनजीटी, दिल्ली	01
एनजीटी, दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई	01
माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली	03
माननीय उच्च न्यायालय, केरल	10
माननीय उच्च न्यायालय, पटना	04
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	09
माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता	08
माननीय उच्च न्यायालय, गुवाहाटी	06
माननीय उच्च न्यायालय, हैदराबाद	01
जिला न्यायालय, वाराणसी	01
निचली अदालत, बालासोर	01
सीजीआईटी सह श्रम न्यायालय, गुवाहाटी	01
उप न्यायालय, पटना	01
सीजीआईटी सह श्रम न्यायालय, कानपुर	01
भाहरी न्यायालय, कोलकाता	02
सीजीआईटी सह श्रम न्यायालय, कोलकाता	05
उप न्यायालय, विशाखापट्टनम	01
उप न्यायालय, केरल	03
मानवाधिकार आयोग, केरल	02
उप न्यायालय, केरल (एलएआर/एलएए मामले)	36

19. पटना में निनी में मेरिनटाइम सिमुलेटर सेंटर की स्थापना के लिए मेसर्स एआरआई, दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन हुआ था। समझौता ज्ञापन के अनुसार सिमुलेटर पर आने वाले पूंजीगत लागत को भा0 अ0 ज0 प्रा0 और एआरआई 50:50 के अनुपात में शेयर करेगा तथा इसके प्रचालन पर आने वाले व्यय के बाद अर्जित शुद्ध राजस्व का शेयर भी समान रूप से किया जाएगा। सिमुलेटर यूनिट की कीमत को पूंजीकृत कर दिया गया है और मेसर्स एआरआई द्वारा व्यय किया गया 116.58 लाख रु. (गत वर्ष 115.47 लाख रु.) को पूंजी आरक्षित के रूप में दर्शाकर मूल्य ह्रास लगाया गया है।

20. प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान योजना और गैर–योजना के विभिन्न बजट शीर्षों के अंतर्गत अनुदान रूप में 32191.00 लाख रूपए प्राप्त हुए। वित्तीय 2014–15 में प्राधिकरण की आंतरिक आवती की मद के 913.87 लाख रु. की वापसी पोत परिवहन मंत्रालय को वर्ष के दौरान कर दी गई। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2015–16 में पेंशन और उपदान योगदान के लिए क्रमशः 1086.25 लाख रु. और 4.99 लाख रु. के प्रावधान सहित प्राधिकरण द्वारा 18902.37 लाख रु. का पूंजीगत व्यय और 13510.35 लाख रु. का राजस्व व्यय किया गया। वर्ष के दौरान प्राधिकरण को 1249.12 लाख रु. की आंतरिक आवती सृजित हुई। इस राशि को दायित्व के रूप में दर्शाया गया है, क्योंकि पोत परिवहन मंत्रालय के निदेशों के अनुसार रकम भारत सरकार को देय है, देखें दिनांक 06.12.2013 का पत्रांक–जी–20017/60/2013–अजप। संक्षिप्त विवरण नीचे इस प्रकार है :–

31.3.2016 को अनुदान का सार

(लाख रूपए में)

	ब्यौरा		कुल
वित्त वर्ष 2015–16 में प्राप्त अनुदान			
(क) योजना	29,552.00		
(ख) गैर योजना	2,639.00		32191.00
हानियां: वर्ष 2015–16 के दौरान प्रभारित व्यय और सरकार को वापस की गई राशि			
(क) वि.व. 2014–15 आंतरिक आवती	913.87		
(ख) वि.व. 2014–15 के वार्षिक खातों के अनुसार घाटा	3220.30	4134.17	
(ग) राजस्व व्यय	13510.35		
(घ) पूंजी व्यय	18902.37	32412.72	36546.89
31.3.2016 को घाटा अनुदान			**4355.89**

21. साहिबगंज में मल्टीमॉडल टर्मिनल के निर्माण के लिए 187 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु 31.03.2016 तक 7899.87 लाख रु. की रकम अग्रिम रूप में जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी और उपायुक्त, साहिबगंज को निर्गत कर दिया गया है। उपर्युक्त भूमि अधिग्रहण के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 और वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान क्रमशः 200.00 लाख रु. और 7699.87 लाख रु. झारखण्ड सरकार द्वारा की गई मांग के विरूद्ध निर्गत किया गया है।

22. मूल कीमत के 5 प्रतिशत सालवेज मूल्य पर विचार करने के उपरांत कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।। में निर्धारित उपयोगी आयु पर एसएलएम प्रणाली के अनुसार निर्धारित परिसंपत्ति पर मूल्य ह्रास दिया गया है। पूरे खरीद वर्ष के लिए मूल्य ह्रास लगाया गया है। निस्तारण/बिक्री वर्ष के लिए मूल्य ह्रास प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

23. 31 मार्च, 2016 तक ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं इत्यादि से प्रतिभूति जमा बयाना रकम और जुटाव अग्रिम की दिशा में उनको दिए गए कार्य/ठेके के विरूद्ध उनसे 2616.35 लाख रु. (गत वर्ष 1985.74 लाख रु.) की राशि प्राप्त हुई है।

24. प्राधिकरण का वार्षिक लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में ही तैयार किया जाता है।

25. पुनर्समूहन एवं पुनर्वर्गीकरण यथा आवश्यक किया गया है।

26. सभी आँकड़े निकटतम पूर्ण रुपए में दिए गए हैं और ( ) के आँकड़े निषेधात्मक आँकड़े इंगित करते हैं।

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

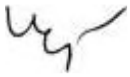

(अजय कुमार गुप्ता) **मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी)**	**(प्रवीर पाण्डेय)** **उपाध्यक्ष/सदस्य (वित्त)**	**(अमिताभ वर्मा)** **अध्यक्ष**

अनुसूची–VIII

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
लेखा नीतियाँ

1. व्यय निरूपण

जलीय सर्वेक्षण, तकनीकी–आर्थिक अध्ययन, बंडालिंग, तलीय पैनलिंग, निकर्षण, चैनल मार्किंग पर अस्थायी संरचना और जलयानों आदि के अनुरक्षण पर व्यय राजस्व व्यय के रूप में निरूपित किया जाता है जबकि चैनल मार्किंग में स्थायी संरचना, जलयानों की लागत, सर्वेक्षण लांचों, टगों, बार्जों, निकर्षकों आदि पर व्यय पूँजीगत व्यय के रूप में निरूपित किया जाता है।

2. मूल्यह्रास

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची XIV में दी गई दरों के आधार पर स्ट्रेट लाइन विधि के अनुसार मूल्यह्रास मुहैया किया गया है। पुस्तकालय की पुस्तकों पर स्ट्रेट लाइन विधि से मूल्यह्रास 100 प्रतिशत की दर से लगाया गया है। अनुसूची–II के 5 और 9 कॉलम में कोष्ठक ( ) में दर्शाए गए आँकड़े क्रमशः सकल ब्लाक और मूल्यह्रास से कटौती को इंगित करते हैं। मूल्यह्रास खरीद वर्ष में पूरे वर्ष के लिए लगाया जाता है और निस्तारण / विक्रय वर्ष में कोई मूल्यह्रास नहीं लगाया जाता है।

3. पूँजीगत कार्य में वृद्धि

कार्य प्रगति का परिकलन वास्तविक लागत के आधार पर किया जाता है तथा इसमें सम्पन्न और प्रमाणित कार्यों के लिए ठेकेदारों को किए गए भुगतान शामिल होते हैं।

4. भंडार, कल–पुर्जे और उपकरण

भंडार, कल–पुर्जे और उपकरण न्यूनतम और वास्तविक मूल्य पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

5. पूर्वावधि समायोजन

गत वर्ष / वर्षों से संबंधित मद के लिए 1000/– रुपए से अधिक की आय और व्यय चालू वर्ष खाते में जमा /नामे, जैसे भी हों लिखे जाते हैं।

6. प्रावधान

I) किसी व्यय के संबंध में ज्ञात दायित्व के लिए प्रावधान किया जाता है यदि मूल्य 1000/– से अधिक होता है।

ii) भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान द्वारा जारी लेखा मापदंड 15 के अनुरूप किसी नियमित कर्मचारी के अवकाश ग्रहण करने पर उनके छुट्टियों को भुनाने के लिए प्रावधान किया जाता है।

iii) बोनस का प्रावधान तदर्थ आधार पर किया जाता है जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा स्वायत्त निकायों के विषय में गत वर्ष घोषित किया गया था।

iv) पेंशन अंशदान/ग्रैच्युटी के लिए प्रावधान भा0 अ0 ज0 प्रा0 कर्मचारी पेंशन निधि विनियम, 1993 के अनुरूप किया गया है।

7. अनुदान निरूपण

प्राधिकरण के पास सरकार से प्राप्त अनुदान के अतिरिक्त कोई राजस्व उत्पादन नहीं होगा, जब तक कि राष्ट्रीय जलमार्ग आम प्रयोग के लिए पूर्ण रूप से प्रचालन योग्य नहीं हो जाते और यातायात दरें, उद्ग्रहण और शुल्क नियत नहीं हो जाते। अतएव केन्द्र सरकार से जो अनुदान प्राप्त किया जाता है, उसमें से राजस्व लेखा पर किए गए व्यय राजस्व अनुदान के रूप में, परिसम्पत्तियों के लिए किए गए भुगतान, पूँजीगत अनुदान और शेष को अधिशेष में प्राप्त अनुदान (चालू दायित्वों के तहत) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(अजय कुमार गुप्ता)	(प्रवीर पाण्डेय)	(अमिताभ वर्मा)
मुख्य लेखा अधिकारी (प्रभारी)	उपाध्यक्ष/सदस्य (वित्त)	अध्यक्ष

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अंकेक्षण रिपोर्ट

2002 में यथा संशोधित भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नियमावली, 1986 (भा0 अ0 ज0 प्रा0 नियमावली, 1986) के नियम 28(3) और भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (भा0 अ0 ज0 प्रा0 अधिनियम, 1985) की धारा 23 के तहत दी गई तिथि में समाप्त वर्ष के लिए हमने 31 मार्च, 2016 के भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (प्राधिकरण) के संलग्न तुलन पत्र और आय और व्यय खाते को अंकेक्षित किया है, देखें दिनांक 10 अक्टूबर 2002 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 449। इन वित्तीय विवरण में निगम के यूनिटों /शाखाओं के खाता शामिल है। ये वित्तीय विवरण प्राधिकरण के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अंकेक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरण पर अपनी विचार व्यक्त करने की है।

हमने भारत में सामान्यतया स्वीकृत मानदंडों के अनुसार अंकेक्षण किया है। इन मानदंडों में आवश्यक होता है कि हम उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अंकेक्षण का नियोजन और अंकेक्षण यह जानने के लिए करते हैं कि वित्तीय विवरण गलत विवरणों से मुक्त हैं अथवा नहीं। अंकेक्षण में जाँच के आधार पर निरीक्षण करना, रकम के लिए दिए गए साक्ष्य की जाँच और वित्तीय विवरण को उजागर करना शामिल होता है। अंकेक्षण में प्रयुक्त सिद्धांतों के निर्धारण और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलन के साथ–साथ समग्र वित्तीय विवरण से संबंधित प्रस्तुति को भी शामिल किया जाता है। हमें विश्वास है कि हमारा अंकेक्षण हमारे विचार के लिए एक उचित आधार मुहैया करता है।

अपने अंकेक्षण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :–

i. हमें सभी तरह की सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त हो गए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास में अंकेक्षण के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।

ii. इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र और आय एवं व्यय खाता भा0 अ0 ज0 प्रा0 नियमावली, 1986 के नियम 28 (2) और भा0 अ0 ज0 प्रा0 अधिनियम, 1985 की धारा 34 (2) (छ) के तहत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में तैयार किया गया है।

iii. हमारी राय में प्राधिकरण द्वारा लेखा की उचित पुस्तकें और अन्य संगत रिकार्ड अनुरक्षित किया गया है, जो भा0 अ0 ज0 प्रा0 अधिनियम, 1985 की धारा 34 (2) (छ) के तहत आवश्यक है। ऐसी पुस्तकों की जाँच से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि निम्न को छोड़कर –

(क) तुलन पत्र

1. पूंजी और दायित्व

चालू दायित्व एवं प्रावधान

(क) चालू दायित्व– रु. 63.08 करोड़

सर्वेक्षण सह निरीक्षण जलयान के आपूर्तिकर्ता द्वारा नवतल बनाने के लिए प्रथम चरण में होने वाले भुगतान के लिए उपर्युक्त में से रु. 2.65 करोड़ (वैट और सेवा कर को छोड़कर, यदि कोई) का दायित्व शामिल नहीं है। इससे चालू दायित्व और प्रगतिपरक पूंजीगत कार्य में रु. 2.65 करोड़ तक की कमी आई है।

(ख) प्रावधान (अनुसूची– I) रु. 48.32 करोड़ (अनुसची VII के नोट सं. 16 के साथ पठित)

पेंशन, उपदान और छुट्टी नकदीकरण जैसे कार्मिकों के सेवानिवृत्ति लाभ के लिए रु. 4.52 करोड़ का आवश्यक प्रावधान उपर्युक्त में शामिल नहीं है। इससे उपबंध और व्यय में रु. 4.52 करोड़ रु. की कमी आई है।

2. **सम्पत्ति एवं परिसम्पत्ति**
चालू परिसम्पत्ति, ऋण एवं अग्रिम
जमा, ऋण एवं अग्रिम – रु. 185.43 करोड़

म्यांमार में विदेश मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन परियोजना में इसके द्वारा किए गए कार्य के लिए प्राधिकरण को की गई सेवा कर की प्रतिपूर्ति के आधार पर विदेश मंत्रालय से रु. 2.11 करोड़ की रकम वापस करने के लिए उपर्युक्त शामिल नहीं है। इससे जमा, ऋण एवं अग्रिम तथा आय में रु. 2.11 करोड़ की कमी आई है।

(ख) **लेखा टिप्पणी – अनुसूची VII**
आकस्मिक दायित्व सम्बंधी टिप्पणी सं.–18 में उस स्तर तक कमी है कि रा.ज.–3 में भारी निकर्षण कार्यों से सम्बद्ध दो मामले 20.47 करोड़ रु. के स्थान पर 43.09 करोड़ रु. का आकस्मिक दायित्व उपर्युक्त नोट में दर्शाया गया है।

(ग) **प्रबंधन पत्र**
लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं की गई रिपोर्टों को सुधारात्मक/उपचारात्मक कार्यवाही हेतु अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्राधिकरण के अध्यक्ष के संज्ञान में लाया गया है।

iv. पूर्व के पैराग्राफ में हमारे अवलोकन के तहत् हम प्रतिवेदन करते हैं कि इस रिपोर्ट में दी गई तुलन पत्र और आय एवं व्यय खाता, लेखा–बही के अनुरूप है।

v. हमारे विचार में और हमारी सूचना के अनुसार और हम लोगों को दिए गये स्पष्टीकरण के अनुरूप, लेखा नीतियों और खातों पर टिप्पणियों के साथ पढ़ा गया उक्त वित्तीय विवरण और उपर्युक्त उल्लिखित संगत मामले और इस अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मामले के तहत् यह भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा नीतियों से संबंधित सिद्धांतों के अनुरूप सत्य और स्पष्ट हैं :–

क) जहाँ तक इसका संबंध प्राधिकरण के यथा दिनांक 31 मार्च, 2016 तक के कार्यकलापों और तुलन पत्र से है; और
ख) जहाँ तक इसका संबंध 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय/व्यय के आय एवं व्यय लेखा से है।

कृते तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निमित्त

(नीलेश कुमार साह)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक अंकेक्षण सह
पदेन सदस्य, अंकेक्षण बोर्ड–I
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 दिसंबर 2016

अनुलग्नक

(वर्ष 2015–16 हेतु भा.अ.ज.प्रा. के वार्षिक लेखा पर अंकेक्षण रिपोर्ट)

1. आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली

आंतरिक अंकेक्षक के निष्कर्षों/निष्कर्षों के अनुपालन की जांच करने की प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है। आंतरिक अंकेक्षक जलमार्ग विकास परियोजना के विषय में अलग से रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया था यद्यपि यह काम के उद्देश्य के तहत आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता और प्रभावी होने के सम्बंध में आंतरिक अंकेक्षण रिपोर्ट किसी प्रकार का औपचारिक आश्वासन नहीं देता है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

प्राधिकरण की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में पाई गई निम्नांकित कमियों को ध्यान में रखते हुए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को और भी मजबूत करने की आवश्यकता है –

- प्राधिकरण ने संयुक्त उद्यम के मुख्य पार्टनर के नाम से दो सर्वेक्षण सह निरीक्षण जलयान की आपूर्ति करने के लिए कार्य आदेश दे दिया है, यद्यपि बिड संयुक्त उद्यम के नाम पर लगाया गया है।
- 0.09 करोड़ रु. की असमायोजित अग्रिम 5 वर्षों से अधिक अवधि के लिए ठेकेदारों के पास रखी हुई थी।
- बैंक गारंटी के नवीनीकरण समय पर कार्रवाई नहीं की जा रही थी।
- लेखा बही में दर्शायी गई वापस योग्य टीडीएस रकम में विसंगति तथा वर्ष 2008–09 से 2015–16 की अवधि के लिए फाइल किए गए आयकर रिटर्न को समयबद्ध ढंग से समायोजित करने की आवश्यकता है।

3. स्थायी परिसम्पत्तियों की वास्तविक सत्यापन प्रणाली

रिकॉर्ड का जाँच संबंधी परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि स्थायी परिसम्पत्तियों का वास्तविक सत्यापन प्रधान कार्यालय, नौएडा में नहीं कराया गया था। आगे, नौएडा स्थित मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी और क्षेत्रीय कार्यालय, कोची में स्थायी परिसम्पत्ति रजिस्टर ठीक ढंग से अनुरक्षित नहीं कराया गया था।

4. वस्तुसूची की वास्तविक सत्यापन प्रणाली

वस्तुसूची के निवल वसूली के मूल्यांकन की कोई प्रणाली नहीं है। इसके अतिरिक्त वस्तुसूची की वास्तविक सत्यापन प्रणाली को और मजबूत करने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रधान कार्यालय, नौएडा में वस्तुसूची की कुछ मदों का सत्यापन नहीं हो सका था।

5. सांविधिक बकाया के भुगतान में नियमितता

कामगार कल्याण कर, कार्य संविदा कर और स्रोत परकर कीकटौती सही ढंग से नहीं की गई थी तथा यह सांविधिक प्राधिकारियों के पास जमा भी नहीं हुई थी।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अंकेक्षण रिपोर्ट में 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं पर की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर

(क) तुलन पत्र

1. पूंजी और दायित्व

चालू दायित्व एवं प्रावधान

(क) चालू दायित्व–रू. 63.08 करोड़

संविदा उपबंध के अनुसार समतुल्य रकम की बैंक गारंटी के साथ इन्वॉयस प्रस्तुत करने पर पहली किस्त का भुगतान ठेकेदार को किया जाता है। इस मामले में ठेकेदार ने समतुल्य रकम की बैंक गारंटी और इन्वॉयस प्रस्तुत नहीं किया था। अतः संविदा के अनुसार ठेकेदार को प्रथम किस्त का भुगतान नहीं हुआ। सुधारात्मक कार्रवाई वित्तीय वर्ष 2016–17 में की जाएगी।

(ख) प्रावधान (अनुसूची– I) रू. 48.32 करोड़ (अनुसची VII के नोट सं. 16 के साथ पठित)

एलआईसी ने 7 प्रतिशत की दर से वेतन वृद्धि मानकर बीमांकीय मूल्यांकन प्रमाणपत्र दिया है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में यह अवलोकित हुआ है कि इस पर 6 प्रतिशत की दर से विचार किया गया है। उपर्युक्त उच्च पूर्वानुमान के कारण पेंशन, उपदान और छुट्टी नकदीकरण का मूल्यांकन गत वर्ष की तुलना में अधिक हो गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने बीमांकीय मूल्यांकन प्रमाणपत्र काफी विलंब से दिया है। समय की कमी के कारण उसमें संशोधन नहीं किया जा सका। वित्तीय वर्ष 2016–17 में एलआईसी से सही पूर्वानुमान मूल्यांकन के साथ बीमांकीय मूल्यांकन प्रमाणपत्र ले लिया जाएगा।

2. सम्पत्ति एवं परिसम्पत्ति

चालू परिसम्पत्ति, ऋण एवं अग्रिम

जमा, ऋण एवं अग्रिम –रू. 185.43 करोड़

उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल द्वारा सेवा कर के लिए दिए गए रू. 3.50 करोड़ के अनुमोदन के बारे में विदेश मंत्रालय ने दिनांक 21.10.2015 को जारी पत्र द्वारा संसूचित कर दिया है। हालांकि, सेवा कर के कारण भा.अ.ज.प्रा. द्वारा किए जाने वाले वास्तविक व्यय का भुगतान विदेश मंत्रालय के साथ प्रधान उपबंध में संशोधन करने के पश्चात ही संभव होगा। प्रधान उपबंध का पूरक उपबंध को अंतिम रूप देकर भा.अ.ज.प्रा. द्वारा विदेश मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर दिनांक 28.04.2016 को ही किया गया था तथा सेवा कर प्रतिपूर्ति आदेश के आधार पर भा.अ.ज.प्रा. के दावे को विदेश मंत्रालय द्वारा दिनांक 20.06.2016 को निर्गत किया गया।

तथ्य और साक्ष्य के आधार पर विदेश मंत्रालय ने सिद्धांत रूप में भा.अ.ज.प्रा. को सेवा कर की प्रतिपूर्ति दिनांक 28.04.2016 को करने पर सहमत हो गया, जिसे वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान लेखा बही में वापस योग्य नहीं दिखाया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।

(ख) लेखा टिप्पणी – अनुसूची VII

अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है। वास्तविक स्थिति वित्तीय वर्ष 2016–17 लेखा टिप्पणी में स्पष्ट की जाएगी।

अनुसूची

1. आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली

आंतरिक अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुपालन की देखरेख काफी प्रभावी ढंग से की जाएगी। आंतरिक अंकेक्षक को जलमार्ग विकास परियोजना से सम्बंधित रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है तथा वित्तीय प्रतिवेदन पर प्रभावी आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता भी देने का निदेश दिया गया है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

- दो (02) सर्वेक्षण सह निरीक्षण जलयानों की आपूर्ति की सूचना संशोधित रूप में संयुक्त उद्यम के नाम से दी जाएगी।
- पांच वर्षों से अधिक अवधि की बकाया अग्रिम का समायोजन वित्तीय वर्ष 2016–17 में कराया जाएगा।
- बैंक गारंटी सम्बंधी विस्तार देने के लिए प्राधिकरण ने सम्बंधित बैंकों के साथ–साथ ठेकेदारों को भी पत्र जारी किया है। बैंकों को अनुरोध पत्र ई–मेल द्वारा भी भेजा गया है। बैंकों को बैंक गारंटी की वैधता का विस्तार देने के लिए कहा गया था, यदि ऐसा नहीं किया गया हो, तो पत्र को इन्वोकेशन नोटिस माना जाएगा। बैंकों ने तद्नुसार समाप्ति की तिथि से बैंक गारंटी का विस्तार दिया है। भविष्य में यथा अवलोकित अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
- आवश्यक लेखा समाधान वित्तीय वर्ष 2016–17 में किया जाएगा।

3. स्थायी परिसम्पत्तियों की वास्तविक सत्यापन प्रणाली

स्थायी परिसम्पत्तियों की वास्तविक सत्यापन प्रणाली कराने के लिए अनुदेश यथा दिनांक 31.03.2017 को कराने के लिए दे दिया गया है। प्रधान कार्यालय, नौएडा, क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी और क्षेत्रीय कार्यालय, कोची को अंकेक्षण में किए गए अवलोकन के अनुसार स्थायी परिसम्पत्ति रजिस्टर को समुचित ढंग से तैयार रखने का निदेश दे दिया गया है।

4. वस्तुसूची की वास्तविक सत्यापन प्रणाली

चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान सभी कार्यालयों को निदेश दे दिया गया है।

5. सांविधिक बकाया के भुगतान में नियमितता

ऐसे कर के लागू होने के सम्बंध में कर विशेषज्ञों का दृष्टिकोण लेकर सभी कार्यालयों में अनुपालन कराया गया है।

www.iwai.nic.in